

परिशिष्ट 1.1
राज्य प्रोफाइल

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1 एवं 1.3; पृष्ठ 1 तथा 9)

राज्य प्रोफाइल					
क. सामान्य डाटा					
क्र. सं.	विवरण		आंकड़े		
1	क्षेत्र		44,212 वर्ग कि.मी.		
2	जनसंख्या				
	क	2001 की जनगणना के अनुसार	2.11 करोड़		
	ख	2011 की जनगणना के अनुसार	2.54 करोड़		
3	जनसंख्या घनत्व(2011) (अखिल भारतीय घनत्व=382 व्यक्ति प्रति वर्ग कि.मी.)		573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर.		
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या (अखिल भारतीय औसत=21.92 प्रतिशत)		11.16 प्रतिशत		
5	साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत=74.04 प्रतिशत)		76.64 प्रतिशत		
6	शिशु मृत्यु - दर (प्रति 1000 सजीव जन्म) (अखिल भारतीय औसत=40 प्रति 1000 सजीव जन्म)		51		
7	जन्म पर जीवन प्रत्याशा (अखिल भारतीय औसत=65.8 वर्ष)		66.2 वर्ष		
8	गिनी सहकारी कारण ¹				
	क	ग्रामीण (अखिल भारतीय= 0.29)	0.28		
	ख	शहरी (अखिल भारतीय= 0.38)	0.36		
9	वर्तमान मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) 2013-14		₹ 3,83,911 करोड़		
10	स.रा.घ.उ. ² सी.ए.जी.आर. ³ (2004-05 से 2013-14)		16.66 प्रतिशत		
11	प्रति व्यक्ति स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2004-05 से 2013-14)		15.16 प्रतिशत		
12	स.रा.घ.उ. सी.ए.जी.आर. (2004-05 से 2012-13)	हरियाणा	17.13 प्रतिशत		
13		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	15.49 प्रतिशत		
14	जनसंख्या वृद्धि (2001-02 से 2010-11)	हरियाणा	19.90 प्रतिशत		
15		अन्य सामान्य श्रेणी राज्य	17.56 प्रतिशत		
ख	वित्तीय आंकड़े				
	विवरण	आंकड़े (प्रतिशत में)			
	सी.ए.जी.आर	2004-05 से 2012-13			
		सामान्य श्रेणी राज्य	हरियाणा	2004-05 से 2013-14	
	क	राजस्व प्राप्तियों का	16.93	14.80	14.59
	ख	स्वयं का कर राजस्व	16.42	15.50	14.69
	ग	कर - भिन्न राजस्व का	12.49	7.90	7.73
	घ	कुल व्यय का	15.37	17.14	15.71
	ड	पूंजीगत व्यय का	17.01	26.17	17.84
	च	शिक्षा पर राजस्व व्यय का	17.44	19.62	17.88
	छ	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय का	16.50	19.62	18.08
	ज	वेतन एवं मजदूरियों का	14.73	15.13	13.71
	झ	पेंशन का	18.34	19.04	18.52

स्रोत: वित्तीय डाटा, वित्तीय लेखाओं में आंकड़ों पर आधारित है। बी.पी.एल. (योजना आयोग तथा एस.एस.ओ. डाटा, 61वीं राऊंड), गिनी सहकारी कारण (योजना आयोग भा.स. दिनांक 18 अक्टूबर 2013 - राऊंड 2009 - 10 एम.आर.पी.), जन्म पर जीवन प्रत्याशा तथा शिशु मृत्यु दर (हरियाणा का आर्थिक सर्वेक्षण 2010 - 11) तथा जनसंख्या की सघनता (भारत की जनगणना 2011, अनन्तिम जनसंख्या योग, नीरज शेखर, निदेशक जनगणना परिचालन, हरियाणा द्वारा प्रकाशित)।

1. गिनी सहकारी कारण, आय सवितरण की असमानता का मापदण्ड है जहां शून्य पूर्ण समानता को सूचित करता है तथा एक पूर्ण असमानता को सूचित करता है।
2. स.रा.घ.उ. = सकल राज्य घरेलू उत्पाद।
3. सी.ए.जी.आर. = मिश्रित वार्षिक वृद्धि दर। [सी.ए.जी.आर. का परिकलन=(((अन्तिम आंकड़ा/पहला आंकड़ा)^{1/समय वर्षों में})-1)*100]

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

भाग क: सरकारी लेखाओं का ढांचा एवं स्वरूप

सरकारी लेखे का ढांचा: राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) समेकित निधि, (ii) आकस्मिक निधि, एवं (iii) लोक लेखा।

भाग I: समेकित निधि: इस निधि में राज्य सरकार द्वारा प्राप्त सभी राजस्व, राज्य सरकार द्वारा उठाए गए सभी ऋण (मार्किट लोनज, ब्रांडज, केंद्रीय सरकार के ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी की गई विशेष प्रतिभूतियां) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बढ़ाए गए अर्थोपाए तथा राज्य सरकार द्वारा ऋणों के पुर्नभुगतान सभी धन शामिल होते हैं। भारतीय संविधान द्वारा प्रावधान किए गए प्रयोजनों के लिए, कानून के अनुसार तथा पद्धति में के अतिरिक्त कोई धन इस फंड से विनियोजित नहीं किया जा सकता। व्यय की निश्चित श्रेणियां (उदाहरणार्थ-संवैधानिक प्राधिकारियों के वेतन, ऋण पुर्नभुगतान इत्यादि) राज्य की समेकित विधि पर भार संघटित करती है (भारित व्यय) तथा विधायिका द्वारा मत के अंतर्गत नहीं होती अन्य सभी व्यय (दत्तमत व्यय) विधायिका द्वारा वोट किए जाते हैं।

समेकित फंड में दो सैक्शन शामिल होते हैं: राजस्व तथा पूंजीगत (ऋण सहित)। ये आगे 'प्राप्तियां' तथा 'व्यय' के अंतर्गत श्रेणीबद्ध हैं। राजस्व प्राप्तियां सैक्शन तीन सैक्टरों यानि 'कर राजस्व', 'कर भिन्न राजस्व' तथा सहायतानुदान तथा अंशदानों में बंटा हुआ है। ये तीन सैक्टर आगे सब-सैक्टरज में जैसे 'आय तथा व्यय पर कर', 'राजकोषीय सेवाएं' आदि में विभाजित है। पूंजीगत प्राप्तियां सैक्शन में कोई सैक्टर या सब-सैक्टर नहीं है। राजस्व व्यय सैक्शन चार भागों में विभाजित है अर्थात्, 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं' तथा 'सहायतानुदान तथा अंशदान'। राजस्व व्यय सैक्शन के ये भाग आगे उप भागों में विभाजित हैं 'जैसे राज्य के अंग', 'शिक्षा', 'खेल', 'कला' तथा संस्कृति आदि। पूंजीगत सैक्शन आठ भागों में उप विभाजित है, अर्थात् 'सामान्य सेवाएं', 'सामाजिक सेवाएं', 'आर्थिक सेवाएं', 'सहायतानुदान तथा अंशदान' 'लोक ऋण', 'ऋण तथा अग्रिम', 'अंतर्राज्यीय समायोजन' तथा 'आकस्मिक निधि को ट्रांसफर'।

भाग II: आकस्मिक निधि: यह निधि अग्रदाय के रूप में होती है जो कानून द्वारा राज्य विधायिका द्वारा स्थापित है तथा अप्रत्याशित व्यय, पूरा करने के लिए जो राज्य विधायिका द्वारा प्राधिकार के लिए लम्बित हो, राज्यपाल की डिस्पोजल पर रखा जाता है फंड की प्रतिपूर्ति राज्य की समेकित निधि से संबंधित क्रियाशील मुख्य शीर्ष को व्यय द्वारा डैबिट कर के की जाती है। 2013-14 के लिए हरियाणा सरकार की आकस्मिक निधि ₹ 200 करोड़ है।

भाग III: लोक लेखा: अन्य सारा पब्लिक धन जो सरकार द्वारा या सरकार की ओर से प्राप्त किया जाता है, जिसमें सरकार बैंकर या ट्रस्टी के रूप में काम करती है, लोक लेखा में जमा किया जाता है। पब्लिक अकाउंट में पुर्नभुगतान योग्य जैसे लघु बचतें तथा भविष्य निधियां, डिपोजिटस (ब्याज वाली तथा बिना ब्याज वाली), अग्रिम, रिजर्व फंडस (ब्याज वाले तथा बिना ब्याज वाले) प्रेषण तथा उचंत शीर्ष (जिनमें से दोनों ही ट्रांजिटरी शीर्ष है फाइनल बुकिंग के लिए लंबित है) शामिल हैं। सरकार के पास उपलब्ध नेट कैश बैलेस भी पब्लिक अकाउंट में शामिल है। लोक लेखे में छः सैक्टर यानि 'लघु बचतें, भविष्य निधि आदि', 'रिजर्व फंड', 'जमा तथा अग्रिम', 'उचंत तथा विविध, प्रेषण' तथा 'कैश बैलेस' शामिल हैं। ये सैक्टर आगे उप भागों में विभाजित हैं। पब्लिक अकाउंट विधायिका की वोट के अध्वधीन नहीं है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरण	विन्यास
	वित्त लेखे दो खंडों में प्रस्तुत किए जाते हैं। खंड-1 में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का सर्टिफिकेट, वित्त लेखाओं की गाइड, चार विवरणियां जो चालू वित्तीय वर्ष के लिए राज्य सरकार की वित्तीय स्थिति तथा लेन-देनों पर संक्षेपित सूचना, लेखाओं पर टिप्पणियां तथा लेखाओं की टिप्पणियों पर एक परिशिष्ट शामिल होता है। खंड- I में चार विवरणियों का वर्णन नीचे दिया है:
विवरण सं. 1	वित्तीय स्थितियों की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार की परिसंपत्तियों तथा देयताओं के संचयी आंकड़े चित्रित करती है, क्योंकि वे वर्ष के अंत में रहते हैं तथा जैसे गत वर्ष की वित्तीय स्थिति से तुलना किए गए हैं।
विवरण सं. 2	प्राप्तियों तथा संवितरणों की विवरणी: यह विवरणी, वर्ष के दौरान राज्य सरकार की सभी प्राप्तियों तथा संवितरणों का, सभी तीन भागों, जिनमें सरकारी लेखे रखे जाते हैं यानि समेकित निधि, आकस्मिक निधि तथा लोक लेखा में चित्रण करती है। इसके अतिरिक्त, सरकार के कैश बैलेसिज के वैकल्पिक चित्रण को दिखाते हुए इसमें एक परिशिष्ट होता है। परिशिष्ट (निवेशों सहित) भी सरकार की अर्थोपाय स्थिति को विस्तार से प्रकट करता है।

परिशिष्ट 1.2 भाग-ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरणी	विन्यास
विवरणी सं. 3	प्राप्तियों की विवरणी (समेकित निधि): यह विवरणी राज्य सरकार की राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों तथा उधारों को शामिल करती है। यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड-II में विस्तृत विवरणी 11, 15 तथा 16 के अनुरूप होती है।
विवरणी सं. 4	व्यय की विवरणी (समेकित निधि): वित्त लेखाओं के लघु शीर्ष स्तर के सामान्य चित्रण के प्रत्यंतर से, यह विवरणी, गतिविधि की प्रकृति द्वारा (व्यय के उद्देश्य) व्यय का विवरण भी देती है। यह विवरणी खंड-2 में विस्तृत विवरणी 12 के अनुरूप है।
खंड-II में तीन भाग शामिल हैं। भाग-I में छः सार विवरणी शामिल हैं जैसा कि नीचे दी गई है:	
विवरणी सं. 5	प्रोग्रेसिव पूंजीगत व्यय की विवरणी: यह विवरणी भाग-II में विवरणी 13 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 6	उधारों तथा अन्य देयताओं की विवरणी: सरकार की उधारों में इसके द्वारा उठाए गए बाजार ऋण (आंतरिक डेब्ट) तथा भारत सरकार से प्राप्त ऋण तथा अग्रिम शामिल होते हैं। अन्य देयताओं में लघु बचतें, भविष्य निधि आदि 'रिजर्व फंड' तथा 'डिपोजिटस शामिल हैं। विवरणी में ऋण की सेवा पर एक टिप्पणी भी होती है, तथा भाग-II में विस्तृत विवरणी-15 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 7	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ऋणियों जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तिगत प्राप्तकर्ता (सरकारी कर्मचारियों सहित) को दिए गए सभी ऋणों तथा अग्रिमों को चित्रित करती है। यह विवरणी भाग-II में विस्तृत विवरणी-16 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 8	सरकार द्वारा दिए गए सहायता अनुदानों की विवरणी: यह विवरणी राज्य सरकार द्वारा विभिन्न श्रेणियों के ग्रांटीज जैसे सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्वायत्त तथा अन्य निकायों/प्राधिकरणों तथा व्यक्तियों को दिए गए सभी सहायता अनुदानों का चित्रण करती है परिशिष्ट VIII प्राप्तकर्ता संस्थाओं का ब्यौरा देती है।
विवरणी सं. 9	सरकार द्वारा दी गई गारंटियों की विवरणी: यह विवरणी सांविधिक निगमों, सरकारी कंपनियों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा उठाए गए ऋणों पर मूलधन तथा ब्याज के पुनर्भुगतान पर राज्य सरकार द्वारा दी गई गारंटियों का संक्षिप्त ब्यौरा प्रदान करती है।
विवरणी सं. 10	दत्तमत तथा भारित व्यय की विवरणी: यह विवरणी विनियोग लेखाओं में प्रकट होने वाले सकल आंकड़ों के साथ वित्त लेखों में प्रकट नेट आंकड़ों के एग्रीमेंट में सहायता करती है।
खंड II भाग II: यह भाग, खंड-I तथा खंड-II के भाग-I में विवरणियों के अनुरूप लघु शीर्ष द्वारा लेन-देनों के विवरण को प्रस्तुत करते हुए नौ विवरणियां रखता है।	
विवरणी सं. 11	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व तथा पूंजीगत प्राप्तियों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी वित्त लेखाओं के खंड-I में सार विवरणी-3 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 12	लघु शीर्षों द्वारा राजस्व व्यय की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी जो खंड-I में सार विवरणी 4 के अनुरूप है, प्लान (स्टेट प्लान, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा केंद्रीय प्लान स्कीमें) तथा नॉन प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार के राजस्व व्यय को चित्रित करती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग से दर्शाए जाते हैं।
विवरणी सं. 13	लघु शीर्षों तथा उपशीर्षों द्वारा पूंजीगत व्यय की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी जो इस खंड के भाग-I में सार विवरणी 5 के अनुरूप है, प्लान (स्टेट प्लान, केंद्रीय प्रायोजित स्कीमें तथा केंद्रीय प्लान स्कीमें) तथा नॉन-प्लान के अंतर्गत राज्य सरकार के पूंजीगत व्यय (वर्ष के दौरान तथा संचयी रूप से) चित्रित करती है। भारत तथा दत्तमत व्यय अलग से दर्शाए जाते हैं। महत्वपूर्ण स्कीमों के संबंध में लघु शीर्ष स्तर पर पूंजीगत व्यय निरूपित करने के अतिरिक्त यह विवरणी उपशीर्ष स्तरों पर भी विवरण चित्रित करती है।
विवरणी सं. 14	सरकार के निवेशों की विस्तृत विवरणी: यह विवरणी सांविधिक निगमों सरकारी कंपनियों, अन्य ज्वाइंट स्टॉक कंपनियों, सहकारी संस्थाओं तथा स्थानीय निकायों की साम्य पूंजी में राज्य सरकार के निवेशों को दर्शाती है।

परिशिष्ट 1.2 भाग - ख: वित्त लेखाओं का विन्यास	
विवरणी	विन्यास
विवरणी सं. 15	लघु शीर्षों द्वारा उधार तथा अन्य देयताओं की विस्तृत विवरणी:— इस विवरणी में जो इस खंड के भाग-1 में सार विवरणी-6 के अनुरूप है, राज्य सरकार (मार्किटलोनज, बान्डज, केंद्र सरकार के ऋण, वित्तीय संस्थाओं से ऋण, राष्ट्रीय लघु बचत फंड आदि को जारी विशेष प्रतिभूतियां) द्वारा उठाए गए सभी ऋणों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा दिए गए अर्थोपाय अग्रिमों के सारे विवरण होते हैं। यह विवरणी तीन श्रेणियों के अंतर्गत ऋणों पर सूचना प्रस्तुत करती है। (क) व्यक्तिगत ऋणों के विवरण (ख) मैच्योरिटी प्रोफाइल यानि विभिन्न वर्षों में ऋणों की प्रत्येक श्रेणी के संबंध में भुगतान योग्य राशियां; तथा (ग) बकाया ऋणों की ब्याज दर प्रोफाइल।
विवरणी सं. 16	सरकार द्वारा दिए गए ऋणों तथा अग्रिमों पर विस्तृत विवरणी: यह विवरणी इस खंड के भाग-1 में सार विवरणी 7 के अनुरूप है।
विवरणी सं. 17	राजस्व लेखे से अन्य व्यय के लिए फंडों के स्रोत तथा अनुप्रयोग पर विवरणी: यह विवरणी इस सिद्धान्त पर आधारित है कि राजस्व व्यय राजस्व प्राप्तियों से किया जाना प्रत्याशित है, जबकि वर्ष का पूंजीगत व्यय, राजस्व सरप्लस, पब्लिक अकाउंट में नेट क्रेडिट शेषों, वर्ष की शुरुआत में नकद शेष तथा उधारों से पूरा किया जाता है।
विवरणी सं. 18	आकस्मिक निधि तथा अन्य लोक लेखा लेन-देनों पर विस्तृत विवरणी: यह विवरणी लघु शीर्ष स्तर पर आकस्मिक निधि के अंतर्गत अप्रतिपूरित राशियों के विवरण, वर्ष के दौरान पब्लिक अकाउंट लेन-देनों की समेकित स्थिति तथा वर्ष के अंत में बकाया शेषों को चित्रित करती है।
विवरणी सं. 19	चिन्हित शेषों पर विस्तृत विवरणी: यह विवरणी रिजर्व फंडों (लोक लेखा) से निवेशों के विवरण चित्रित करती है।
<p>खंड - II भाग - III मुख्य केंद्रीय स्कीमों तथा स्टेट प्लान स्कीमों आदि के संबंध में स्कीमवार व्यय, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं, सहायता अनुदान, सबसीडियों, वेतनों सहित विभिन्न मद 12 परिशिष्ट शामिल करता है। ये विवरण उप-शीर्ष स्तर या नीचे (यानि लघु-शीर्ष स्तर से नीचे) अकाउंटस में प्रस्तुत है तथा इसीलिए सामान्य तौर पर वित्त लेखाओं में चित्रित नहीं किए जाते। परिशिष्ट की एक विस्तृत सूची खंड-1 या 2 में 'सूचकांक' पर लगी होती है। परिशिष्टों के साथ पठित विवरणियां राज्य सरकार के वित्तों की स्थिति का एक पूर्ण चित्र देती हैं।</p>	

परिशिष्ट-1.3

(संदर्भ: अनुच्छेद प्रस्तावना; पृष्ठ 1)

राजकोषीय स्थिति के निर्धारण हेतु अपनाई गई पद्धति

राज्य सरकार द्वारा उनके वित्तीय उत्तरदायित्व अधिनियमों तथा अधिनियम के अन्तर्गत विधानसभा में प्रस्तुत की जानी अपेक्षित अन्य विवरणियों में की गई वचनबद्धताओं/प्रक्षेपणों तथा वित्तीय योगों के स्थापन हेतु इसके प्रक्षेपणों सहित चयनित वित्तीय परिवर्ती हेतु बारहवें वित्त आयोग (बा.वि.आ.) द्वारा निर्धारित मानक/सीमाएं, मुख्य वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के गुणवत्ता निर्धारण हेतु प्रयोग किए जाते हैं। यह मानते हुए कि सरा.घ.उ. राज्य की अर्थव्यवस्था के निष्पादन की उत्तम सूचक है, कर तथा कर भिन्न राजस्व, राजस्व एवं पूंजीगत व्यय, आन्तरिक ऋण एवं राजस्व तथा वित्तीय घाटे जैसे मुख्य वित्तीय योगों, वर्तमान बाजार मूल्यों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जी.एस.डी.पी) की प्रतिशतता के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। सरा.घ.उ. द्वारा निरूपित आधार के संदर्भ में उचित वित्तीय परिवर्ती हेतु उत्प्लावकता सह-दक्षताएं भी यह निर्धारित करने हेतु परिकल्पित की गई है, कि संसाधनों का संचलन, व्यय की पद्धति इत्यादि आधार में परिवर्तन की गति के साथ रखे जा रहे हैं अथवा ये वित्तीय योग सरा.घ.उ. से अन्य घटकों द्वारा भी प्रभावित हैं।

गत पांच वर्षों हेतु सरा.घ.उ. में प्रवाह नीचे सूचित किए गए हैं:

चालू दरों पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद (सरा.घ.उ.) में प्रवाह

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
सकल राज्य घरेलू उत्पाद (₹ करोड़ में)	2,23,600	2,60,621	2,98,786	3,39,451	3,83,911
सरा.घ.उ. की वृद्धि दर	22.51	16.56	14.64	13.61	13.10

स्रोत: निदेशालय आर्थिक एवं सांख्यिकी विश्लेषण, हरियाणा

वित्तीय योगों के प्रवाहों एवं पद्धति के निर्धारण में प्रयुक्त चयनित शब्दावली की कुछ परिभाषाएं नीचे दी गई हैं:

शब्दावली	गणना के आधार
पैरा मीटर के उत्प्लावकता	पैरामीटर की वृद्धि की दर/सरा.घ.उ. वृद्धि
अन्य पैरा मीटर (वाई) के संबंध में पैरामीटर (एक्स) की उत्प्लावकता	पैरामीटर (एक्स) की वृद्धि की दर/पैरामीटर (वाई) की वृद्धि की दर
वृद्धि की दर (आर.ओ.जी.)	$[(\text{चालू वर्ष राशि} / \text{गत वर्ष राशि}) - 1] * 100$
विकास व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
कुल व्यय	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + ऋण एवं अग्रिम
राज्य द्वारा प्रदत्त औसत ब्याज	$\text{ब्याज भुगतान} / [(\text{गत वर्षों की राजकोषीय देयताओं की राशि} + \text{चालू वर्ष की राजकोषीय देयताएं}) * 2] * 100$
ब्याज फैलाव	सरा.घ.उ. वृद्धि - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा फैलाव	ऋण स्टॉक * ब्याज फैलाव
बकाया ऋणों के प्रतिशत के रूप में प्राप्त ब्याज	$\text{प्राप्त ब्याज} / [(\text{ऋण एवं अग्रिमों का प्रारम्भिक} + \text{अन्त शेष}) * 2] * 100$
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियां - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूंजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम - राजस्व प्राप्तियां - विविध पूंजीगत प्राप्तियां
प्राथमिक घाटा	वित्तीय घाटा - ब्याज भुगतान
चालू राजस्व से शेष (बी.सी.आर.)	राजस्व प्राप्तियां घटा सभी योजनागत अनुदान तथा मुख्य शीर्ष 2048 के अन्तर्गत अभिलिखित व्यय को छोड़कर योजनेतर राजस्व व्यय - ऋण के परिहार की कटौती हेतु विनियोजन

परिशिष्ट 1.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.3; पृष्ठ 9)

राज्य सरकार के वित्तों पर समय क्रम आंकड़े

(₹ करोड़ में)

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भाग - क प्राप्तियां					
1. राजस्व प्राप्तियां	20,993	25,564	30,558	33,634	38,012
(i) कर राजस्व	13,220(63)	16,790 (66)	20,399(67)	23,559(70)	25,567(67)
विक्रियों, व्यापार आदि पर कर	9,032(68)	11,082 (66)	13,384(66)	15,377(65)	16,774(82)
राज्य उत्पाद शुल्क	2,059(16)	2,366 (14)	2,832(14)	3,236(14)	3,697(18)
वाहनों पर कर	277(2)	457 (3)	740(4)	887(4)	1,095(5)
स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण फीस	1,294(10)	2,319 (14)	2,793(14)	3,326(14)	3,203(16)
भू - राजस्व	9	10	11	13	12
माल एवं यात्रियों पर कर	392(3)	387 (2)	429(2)	471(2)	498(2)
बिजली पर कर एवं शुल्क	120(1)	130 (1)	166	192(1)	219(1)
अन्य कर	37	39	44	57	69
(ii) कर - भिन्न राजस्व	2,741(13)	3,421 (13)	4,722(15)	4,673(14)	4,975(13)
(iii) संघीय करों एवं शुल्को में राज्य का हिस्सा	1,775(8)	2302 (9)	2,682(9)	3,062(9)	3,343(9)
(iv) भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान	3,257(16)	3,051 (12)	2,755(9)	2,340(7)	4,127(11)
2. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	9	8	9	11	10
3. ऋणों एवं अग्रिमों की वसुलियां	213	233	294	349	262
4. कुल राजस्व एवं ऋणमुक्त पूंजीगत प्राप्तियां (1+2+3)	21,215	25,805	30,861	33,994	38,284
5. लोक ऋण प्राप्तियां	8,455	9,843	10,767	15,213	17,604
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	8,320(98)	9,535 (97)	10,669(99)	15,162 (100)	17,263(98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन - देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	135(2)	308 (3)	98(1)	51	341(2)
6. समेकित निधि में कुल प्राप्तियां (4+5)	29,670	35,648	41,628	49,207	55,888
7. आकस्मिक निधि प्राप्तियां	-	193	168	-	-
8. लोक लेखे प्राप्तियां	15,789	16,595	19,260	22,709	26,548
9. राज्य की कुल प्राप्तियां (6+7+8)	45,459	52,436	61,056	71,916	82,436
भाग - ख व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	25,257	28,310	32,015	38,072	41,887
योजनागत	5,715(23)	6,251 (22)	7,792(24)	9,456(25)	10,152(24)
योजनेत्तर	19,542(77)	22,059 (78)	24,223 (76)	28,616(75)	31,735(76)
सामान्य सेवाएं (ब्याज भुगतानों सहित)	7,755(31)	9,328 (33)	10,220 (32)	11,897(31)	13,597(32)
आर्थिक सेवाएं	7,530(30)	7,997 (28)	9,054 (28)	11,557(30)	12,740(30)
सामाजिक सेवाएं	9,902(39)	10,904 (39)	12,641 (39)	14,516(38)	15,414(37)
सहायता अनुदान एवं अंशदान	70(-)	81 (-)	99	102	136(1)
11. पूंजीगत व्यय	5218	4,031	5,372	5,762	3,935
योजनागत	4,203(81)	3,845 (95)	4,354 (81)	4,191(73)	5,067(129)
योजनेत्तर	1,015(19)	186 (5)	1,018 (19)	1,571(27)	(-), 1,32 (-29)
सामान्य सेवाएं	187(4)	199 (5)	235 (5)	251(4)	282(7)
आर्थिक सेवाएं	3,961(76)	2,602 (65)	3,770 (70)	4,065(71)	1,829(46)
सामाजिक सेवाएं	1,070(20)	1,230 (31)	1,367 (25)	1,446(25)	1,824(46)
12. ऋणों एवं अग्रिमों का वितरण	830	722	627	522	776
13. कुल (10+11+12)	31,305	33,063	38,014	44,356	46,598
14. लोक ऋण के पुनर्भूगतान	2,746	3,971	4,037	5,951	7,968
आन्तरिक ऋण (अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट रहित)	2,576(94)	3,846 (97)	3,812 (94)	5,825(98)	7,800(98)
अर्थोपाय अग्रिम एवं ओवर ड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन - देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से ऋण एवं अग्रिम	170(6)	125 (3)	225 (6)	126(2)	168(2)
15. आकस्मिक निधि के विनियोजन	-	190	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	34,051	37,224	42,051	50,307	54,566
17. आकस्मिक निधि संवितरण	-	3	168	-	-
18. लोक लेखे संवितरण	14,320	15,324	17,051	21,074	24,560
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	48,371	52,551	59,270	71,381	79,126
भाग ग - घाटा/आधिक्य					
20. राजस्व घाटा (-)/आधिक्य (+) (1-10)	(-), 4,264	(-), 2,746	(-), 1,457	(-), 4,438	(-), 3,875
21. राजकोषीय घाटा (-)/आधिक्य (+) (4-13)	(-), 10,090	(-), 7,258	(-), 7,153	(-), 10,362	(-), 8,314
22. प्राथमिक घाटा (-)/आधिक्य (+) (21+23)	(-), 7,353	(-), 3,939	(-), 3,152	(-), 5,618	(-), 2,464

	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14
भाग - घ अन्य आंकड़े					
23. ब्याज भुगतान (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	2,737	3,319	4,001	4,744	5,850
24. स्थानीय निकायों आदि को वित्तीय सहायता	1,947	2,223	3,306	4,648	4,540
25. अर्थोपाय अग्रिम (अ.अ.)/प्राप्त ओवर ड्राफ्ट (दिनों में)	170(7)	670(8)	974(11)	347(12)	109 (4)
26. अ.अ./ओवर ड्राफ्ट पर ब्याज ⁴	0.05	1.16	1.51	0.78	0.03
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (स.रा.घ.उ.) ⁵	2,23,600	2,60,621	2,98,786	3,39,451	3,83,911
28. बकाया राजकोषीय देयताएं (वर्ष के अन्त में)	39,337	46,282	54,540	64,818	76,263
29. ब्याज तथा गारंटी फीस सहित बकाया गारंटियां (वर्ष के अन्त में)	4,536	4,528	5,608	21,124	27,309
30. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	15	21	8	14	40
31. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरूढ़ पूंजी (₹ करोड़ में)	30.00	41	186	48	398
भाग - ई राजकोषीय स्थिति सूचक					
I संसाधन गतिशीलता					
स्वयं का कर राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.059	0.064	0.068	0.069	0.067
स्वयं का कर - भिन्न राजस्व/स.रा.घ.उ.	0.012	0.013	0.016	0.014	0.013
केन्द्रीय अन्तरण/स.रा.घ.उ.	0.008	0.009	0.009	0.009	0.009
II व्यय प्रबन्ध					
कुल व्यय/स.रा.घ.उ.	0.140	0.127	0.127	0.131	0.121
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियां	1.491	1.293	1.244	1.319	1.226
राजस्व व्यय/कुल व्यय	0.807	0.856	0.842	0.858	0.899
सामाजिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.364	0.367	0.368	0.360	0.370
आर्थिक सेवाओं पर व्यय/कुल व्यय	0.374	0.321	0.337	0.352	0.313
पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.167	0.122	0.141	0.130	0.084
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत व्यय/कुल व्यय	0.161	0.116	0.135	0.124	0.078
III राजकोषीय असंतुलनों का प्रबन्ध					
राजस्व घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-)0.019	(-)0.011	(-)0.005	(-)0.013	(-)0.010
राजकोषीय घाटा/स.रा.घ.उ.	(-)0.045	(-)0.028	(-)0.024	(-)0.031	(-)0.022
प्राथमिक घाटा (आधिक्य)/स.रा.घ.उ.	(-)0.033	(-)0.015	(-)0.011	(-)0.017	(-)0.006
राजस्व घाटा/वित्तीय घाटा	0.423	0.378	0.204	0.428	0.466
प्राथमिक राजस्व शेष/स.रा.घ.उ.	(-)0.032	(-)0.021	(-)0.013	(-)0.018	(-)0.017
IV राजकोषीय देयताओं का प्रबन्ध					
राजकोषीय देयताएं/स.रा.घ.उ.	0.176	0.178	0.183	0.191	0.199
वित्तीय देयताएं/राजस्व प्राप्तियां	1.187	1.810	1.785	1.927	2.006
परिमात्रा विस्तार की तुलना में प्राथमिक घाटा	4.181	(-)0.457	(-)0.730	(-) 2.044	(-) 1.163
ऋण विमोचन (मूल + ब्याज)/कुल ऋण प्राप्तियां	0.740	0.831	0.810	0.806	0.833
V अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर रिटर्न	9.60	2.48	1.64	7.05	6.49
चालू राजस्व से शेष (₹ करोड़ में)	(-)117	2325	4977	3741	4406
वित्तीय परिसम्पत्तियां/देयताएं	0.80	0.77	0.78	0.75	0.74

⁴ अर्थोपाय अग्रिमों पर ₹ 0.03 करोड़ का ब्याज सात से दस प्रतिशत की दर पर दिया गया था।

⁵ आर्थिक एवं सांख्यिकीय विश्लेषण, हरियाणा के डायरेक्टोरेट द्वारा यथा संचारित वर्तमान मूल्यों पर स.रा.घ.उ. आंकड़े।

परिशिष्ट 1.5 भाग - क

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 2)

वर्ष 2013 - 14 हेतु प्राप्तियों एवं सवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

	प्राप्तियां			सवितरण				
	2012-13	2013-14		2012-13	2013-14		कुल	
				नॉन प्लान	प्लान			
भाग क: राजस्व								
I. राजस्व प्राप्तियां	33,633.53		38,012.08	I. राजस्व व्यय	38,071.72	31,735.01	10,152.09	41,887.10
कर राजस्व	23,559.00	25,566.60		सामान्य सेवाएं	11,896.75	13,505.73	91.58	13,597.31
कर भिन्न राजस्व	4,673.15	4,975.06		सामाजिक सेवाएं	14,516.35	8,167.73	7,245.68	15,413.41
संघीय करों का राज्य का हिस्सा	3,062.13	3,343.24		शिक्षा, खेल, कला एवं सांस्कृति	7,023.51	5,074.98	2,298.52	7,373.50
नॉन प्लान अनुदान	851.62	2,256.17		स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1,596.85	845.73	856.91	1,702.64
राज्य प्लान स्कीमों हेतु अनुदान	727.75	856.66		जल आपूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	2,728.19	1,391.54	1,488.65	2,880.19
केन्द्रीय एवं केन्द्रीय पोषित प्लान स्कीमों के लिए अनुदान	759.88	1,014.35		सूचना एवं प्रसारण	64.74	35.48	58.90	94.38
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जन जातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	336.44	134.88	186.94	321.82
				श्रम एवं श्रम कल्याण	232.65	157.33	80.38	237.71
				समाज कल्याण एवं पोषण	2,527.22	521.68	2,275.38	2,797.06
				अन्य	6.75	6.11	--	6.11
				आर्थिक सेवाएं	11,556.73	9,925.37	2,814.83	12,740.20
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	1,705.62	887.06	959.39	1,846.45
				ग्रामीण विकास	1,289.96	555.23	1,172.17	1,727.40
				विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	--	--	--	--
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	1,059.45	888.17	273.66	1,161.83
				ऊर्जा	5,140.30	5,207.29	4.76	5,212.05
				उद्योग एवं खनिज	86.90	35.31	61.76	97.07
				परिवहन	2,110.03	2,304.95	75.06	2,380.01
				विज्ञान, प्रौद्योगिकी एवं पर्यावरण	26.01	7.19	22.56	29.75
				अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	138.46	40.17	245.47	285.64
				सहायता अनुदान तथा अंशदान	101.89	136.18		136.18
II. भाग ख को अग्रणीत राजस्व घाटा	4,438.19		3,875.02	भाग ख को अग्रणीत राजस्व आधिव्यय				
योग भाग क	38,071.72		41,887.10		38,071.72	31,735.01	10,152.09	41,887.10
भाग ख - अन्य								
III. स्थायी अग्रिमों एवं नकद शेष निवेश सहित आरम्भिक नकद शेष	2,161.75		2,697.11	III. भारतीय रिजर्व बैंक से आरम्भिक ओवरड्राफ्ट				
IV. विविध पूंजीगत प्राप्तियां	10.81		9.89	IV. पूंजीगत परिव्यय	5,761.84	(-),1,132.12	5,066.72	3,934.60
				सामान्य सेवाएं	250.6	0	282.16	282.16
				सामाजिक सेवाएं	1,445.99	0	1,823.95	1,823.95
				शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	123.11	0	158.99	158.99
				स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	4.05	0	49.83	49.83
				जलापूर्ति, सफाई, आवास एवं शहरी विकास	1,198.59	0	1,500.63	1,500.63
				अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1.00	0	1.25	1.25
				समाज कल्याण एवं पोषण	58.70	0	1.93	1.93
				अन्य	60.54	0	111.32	111.32

प्राप्तियां			संवितरण					
	2012-13		2013-14	2012-13	2013-14			
					नॉन प्लान	प्लान	कुल	
				आर्थिक सेवाएं	4,065.25	(-) 1,132.12	2,960.61	1,828.49
				कृषि एवं सहायक गतिविधियां	1,659.55	(-) 1,132.55	56.85	(-)1,075.70
				सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण	887.46	-	908.29	908.29
				ऊर्जा	198.62	-	100.08	100.08
				उद्योग एवं खनिज	2.22	-	6.05	6.05
				परिवहन	1295.40	0.43	1,869.05	1,869.48
				सामान्य आर्थिक सेवाएं	22	-	20.29	20.29
V. ऋणों एवं अग्रिमों की वसुलियां	349.38		261.85	V. संवितरित ऋण एवं अग्रिम	521.99	282.26	493.35	775.61
बिजली परियोजनाओं से	9.34	7.94		बिजली परियोजनाओं हेतु	73.86	-	290.88	290.88
सरकारी कर्मचारियों से	187.60	207.89		सरकारी कर्मचारियों को	237.79	282.26	-	282.26
अन्यों से	152.44	46.02		अन्यों को	210.34	-	202.47	202.47
VI राजस्व आधिक्य नीचे लाया गया	-			VI. राजस्व घाटा नीचे लाया गया	4,438.19			3,875.02
VII. लोक ऋण प्राप्तियां	15,213.54		17,604.16	VII. लोक ऋण का पुनर्भुगतान	5,951.37			7,968.47
बाह्य ऋण				बाह्य ऋण				
अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	15,162.39	17,262.69		अर्थोपाय अग्रिमों तथा ओवरड्राफ्ट से अन्य आन्तरिक ऋण	5,824.68	7,800.08		
अर्थोपाय अग्रिमों के अधीन निवल संपादन	--			अर्थोपाय अग्रिमों के अन्तर्गत निवल संपादन	--			
केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	51.15	341.47		केन्द्रीय सरकार को ऋण एवं अग्रिमों का पुनर्भुगतान	126.69	168.39		
VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	-			VIII. आकस्मिक निधि का विनियोजन	-			
IX. आकस्मिक निधि से हस्तांतरित राशि	-			IX. आकस्मिक निधि से व्यय	-			
X. लोक लेखा प्राप्तियां	22,708.90		26,548.06	X. लोक लेखा संवितरण	21,073.88			24,560.19
लघु बचत, भविष्य निधि, इत्यादि.	2,310.94	2,498.81		लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि.	1,852.98	1,777.82		
आरक्षण निधियां	666.68	511.50		आरक्षण निधियां	106.01	60.20		
उचन्त एवं विविध	652.76	371.03		उचन्त एवं विविध	560.82	641.64		
प्रेषण	5,928.62	7,521.22		प्रेषण	6,001.22	7,521.46		
निक्षेप एवं अग्रिम	13,149.90	15,645.50		डिपोजिटस एवं अग्रिम	12,552.85	14,559.07		
XI. रिजर्व बैंक आफ इंडिया से संवरण ओवरड्राफ्ट				XI. समाप्ति पर नकद शेष	2,697.11			6,007.18
				कोषालयों तथा स्थानीय प्रेषणों में नकद	0.54	0.54		
				रिजर्व बैंक के साथ निक्षेप	164.43	(-) 652.85		
				स्थायी अग्रिमों इत्यादि सहित विभागीय नकद शेष	2.28	(-) 1.33		
				नकद शेष निवेश एवं उद्दिष्ट निवेश	2,529.86	6,660.82		
योग भाग - ख	40,444.38		47,121.07	योग	40,444.38			47,121.07

परिशिष्ट 1.5 भाग ख
(संदर्भ: अनुच्छेद 1.9.2; पृष्ठ 29)
31 मार्च 2014 को राज्य सरकार की सारांशित वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

31 मार्च 2013 को	देयताएं	31 मार्च 2014 को
48,680.54	आन्तरिक ऋण	58,143.15
	29,656.16 ब्याज युक्त बाजार ऋण 40,277.53	
	2.31 ब्याज रहित बाजार ऋण 2.31	
	4.38 जीवन बीमा निगम से ऋण 2.48	
	7,514.05 अन्य संस्थाओं इत्यादि से ऋण 6,329.11	
	11,503.64 केन्द्र सरकार के राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियां 11,531.72	
1,977.73	केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम	2,150.81
	1984-85 से पूर्व के ऋण	
	25.28 योजनेत्तर ऋण 48.98	
	1,920.42 स्टेट प्लान स्कीमों हेतु ऋण 2,095.5	
	8.60 केन्द्रीय प्लान स्कीमों हेतु ऋण	
	23.43 केन्द्रीय पोषित प्लान स्कीमों हेतु ऋण 6.33	
200.00	आकस्मिक निधि	200.00
9,395.64	लघु बचतें, भविष्य निधियां, इत्यादि	10,116.63
4,488.54	डिपोजिटस	5,574.98
2,712.91	आरक्षण निधियां	3,164.21
129.46	उर्ध्व तथा विविध शेष	--
157.48	प्रेषण शेष	157.23
67,742.30		79,507.01
31 मार्च 2013 को	परिसम्पत्तियां	31 मार्च 2014 को
44,524.18	स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूंजीगत परिव्यय	48,448.90
	7,240.02 कम्पनियों, निगमों इत्यादि के शेयरों में निवेश 7,378.87	
	37,284.16 अन्य पूंजीगत परिव्यय 41,070.03	
3,488.48	ऋण एवं अग्रिम	4,002.24
	650.52 बिजली परियोजनाओं हेतु ऋण 933.46	
	2,172.17 अन्य विकास ऋण 2,328.62	
	665.79 सरकारी कर्मचारियों को ऋण तथा विविध ऋण 740.16	
0.78	अग्रिम	0.78
-	उर्ध्व एवं विविध शेष	141.14
-	प्रेषण शेष	-
2,697.11	नकद	6,007.18
	0.54 कोषालयों में नकद तथा स्थानीय प्रेषण 0.54	
	164.43 रिजर्व बैंक में डिपोजिटस (-) 652.85	
	2.17 विभागीय नकद शेष (-) 1.44	
	0.11 स्थायी अग्रिम 0.11	
	92.46 नकद शेष निवेश 3,774.41	
	2,437.40 आरक्षण निधि निवेश 2,886.41	
17,031.75	सरकारी लेखाओं पर घाटा	20,906.77
	(-)4,438.19 (i) चालू वर्ष का राजस्व आधिक्य/घाटा 3,875.02	
	12,593.52 (ii) गत वर्ष तक संचित घाटा 17,031.75	
	0.04 (iii) विविध सरकारी लेखा ⁶	
67,742.30	योग	79,507.01

परिशिष्ट 1.3 तथा 1.4 हेतु व्याख्यात्मक टिप्पणी: आगे विवरणियों में संक्षिप्त लेखे, वित्त लेखाओं में टिप्पणियों एवं व्याख्याओं के साथ पढ़े जाने हैं। सरकारी लेखे मुख्यतः नकद आधार पर होने के कारण, सरकारी लेखे पर घाटा, जैसा कि परिशिष्ट 1.5 में दर्शाया गया है, नकद आधार पर स्थिति सूचित करता है जो वाणिज्यिक लेखांकन में अर्जन आधार के विरुद्ध है। परिणामतः, देय अथवा प्राप्य मदें अथवा स्टाक आंकड़ों में हास अथवा भिन्नता जैसे मदें लेखे में लेखाबद्ध नहीं होती। उर्ध्व एवं विविध शेषों में, जारी किए गए परन्तु भुगतान नहीं किए गए चैक, राज्य की ओर से किए गए भुगतान तथा अन्य लम्बित समायोजन इत्यादि सम्मिलित हैं। लेखाओं में दर्शाए गए तथा “भारतीय रिजर्व बैंक में निक्षेप” के अधीन भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा 31 मार्च 2014 को सूचित किए गए आंकड़ों में ₹ 35.93 करोड़ (जमा) का अंतर था। अंतर मिलान अधीन था (अगस्त 2014)।

⁶ मुख्य शीर्ष “8680-विविध सरकारी लेखे” के अंतर्गत शेष को बंद करते हुए लेखाशीर्ष से बट्टे खाते डाले गए।

परिशिष्ट 1.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.1.1; पृष्ठ 3)

वर्ष 2013 - 14 के लिए तेरहवें वित्त आयोग, राजकोषीय सुधार पथ तथा मध्यावधि राजकोषीय नीति विवरणी के अन्तर्गत निर्धारण/प्रक्षेपणों की विवरणी

(₹ करोड़ में)

विवरण	ते.वि.आ. द्वारा निर्धारित	रा.सु.प. में प्रक्षेपण	म.अ.रा.नी.वि. में प्रक्षेपण
सकल राज्य घरेलू उत्पाद			
स्वयं का कर राजस्व	26,577.32	28,099	28,784.34
स्वयं का कर - भिन्न राजस्व	16,795.90	5,115	5,162.48
स्वयं की राजस्व प्राप्तियां	43,373.21	33,214	33,946.82
योजनेतर राजस्व व्यय	22,138.16	31,135	32,419.81
योजनागत राजस्व व्यय		8,545	13,803.75
वेतन	7,687.43	10,990	12,792.44
ब्याज भुगतान	5,314.21	5,180	6,301.65
पेंशन	2,581.24	4,080	3,820.00
सबसिडी - विद्युत		4,020	4,260.25
राजस्व घाटा	शून्य	शून्य	कुल राजस्व प्राप्तियों का 5.58 प्रतिशत
राजकोषीय घाटा	स.रा.घ.उ. का तीन प्रतिशत	स.रा.घ.उ. का तीन प्रतिशत	स.रा.घ.उ. का 2.18 प्रतिशत
बकाया ऋण	स.रा.घ.उ. का 22.8 प्रतिशत	स.रा.घ.उ. का 22.8 प्रतिशत	16.47 प्रतिशत स.रा.घ.उ. का
देयताएं		67,770	72,881.54

परिशिष्ट 1.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.3; पृष्ठ 25)

अन्ततम वर्ष, जिसके लिए लेखाओं को अंतिम रूप दिया गया था, में हानियों में चल रहे सांविधिक निगमों एवं सरकारी कंपनियों की वित्तीय स्थिति

क्र.सं.	सरकारी कम्पनियां	निवेश (2013-14 तक)	संचित हानि	लेखा वर्ष
		(₹ करोड़ में)		
1.	हरियाणा पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कल्याण निगम लिमिटेड	22.77	7.38	2009-10
2.	हरियाणा राज्य लघु सिंचाई (नलकूप) निगम लिमिटेड	10.89	349.91	2012-13
3.	हरियाणा राज्य सड़क एवं पुल विकास निगम लिमिटेड	185.74	25.28	2011-12
4.	हरियाणा विद्युत उत्पादन लिमिटेड	2,735.24	412.14	2012-13
5.	उत्तर हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	938.67	14,720.46	2012-13
6.	दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम लिमिटेड	855.74	8,637.94	2012-13
7.	हरियाणा वित्तीय निगम	201.98	163.57	2012-13
8.	हरियाणा मिनरल्स लिमिटेड	0.24	11.76	2011-12
9.	यमुना कोल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड	0.01	0.07	2012-13
कुल		4,951.28	24,328.51	

परिशिष्ट 1.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.4; पृष्ठ 26)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक/अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों की सारांशित वित्तीय स्टेटमेंट

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	लेखाओं की अवधि	गत खाते के अनुसार नियोजित पूंजी	साधन सरकारी पूंजी	हास मूल्य पर ब्लाक परिसम्पत्तिय ि	वर्ष के दौरान किया गया हास प्रावधान	टर्नओवर	निवल लाभ/ हानि	पूंजी पर ब्याज	कुल रिटर्न (9+10)	पूंजी पर रिटर्न प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	कृषि विभाग (बीज डीपो स्कीम)	1988-89	-	-	-	-	0.03	(-) 0.01	-	(-) 0.01	-
2.	कृषि विभाग (कीटनाशियों का क्रय एवं वितरण)	1986-87 ⁷	0.82	1.68	-	-	1.67	0.13	-	0.13	7.74
3.	मुद्रण एवं लेखन (राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम)	2007-08	17.97	21.59	0.09	0.01	7.24	1.74	1.43	3.17	14.68
4.	खाद्य एवं आपूर्ति (अनाज आपूर्ति स्कीम)	2012-13	5,439.92	4555.35	-	-	5,241.52	(-) 198.39	462.87	264.48	5.81
5.	परिवहन विभाग हरियाणा रोडवेज	2009-10	678.74	643.37	635.67	(-) 1.59 ⁸	668.06	(-) 288.83	50.82	(-) 238.01	-
कुल			6,137.45	5,221.99	635.76		5,918.52	(-) 485.36	515.12	29.76	0.57

⁷ 1986-87 के बाद स्कीम सहकारी समितियों को ट्रांसफर की गई।

⁸ नेगेटिव आंकड़े, वर्ष 2009-10 में हास रिजर्व फंड में कमी के कारण थे।

परिशिष्ट 1.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 1.8.5; पृष्ठ 26)

कार्यान्वयनाधीन पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मूलभूत संरचना परियोजनाओं का ब्यौरा

क्र. सं.	परियोजना का नाम	विभाग / एजेंसी	अनुमानित लागत (₹ करोड़ में)	संरचना (बी.ओ.ओ. टी./बी.ओ. टी.)	प्रदानगी की तारीख	पूर्णता की संभावित तारीख
1.	राई मलिकपुर का विकास (राजस्थान सीमा) - हरियाणा राज्य में नारनौल - महेन्द्रगढ़ - दादरी - भिवानी - खरक गलियारा	लो.नि.वि. (भ. व स.)	1,201.70	डी.बी.एफ.ओ.टी.	31 जनवरी 2012	बोलीदाता की ₹ 24.03 करोड़ की बोली प्रतिभूमि भुनाई गई थी (फरवरी 2014) क्योंकि बोलीदाता निष्पादन प्रतिभूमि प्रस्तुत करने में विफल रहा
2.	कुण्डली मानेसर पलवल (के.एम.पी.) एक्सप्रेसवे का निर्माण	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	2,310.00	बी.ओ.टी.	14 नवम्बर 2005	जून 2014 तक 69 प्रतिशत भौतिक प्रगति प्राप्त की गई
3.	मनोरंजन पार्क गुडगांव का निर्माण	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	230.00	संयुक्त उद्यम	01 अप्रैल 2004	परियोजना का मुख्य हिस्सा कार्यान्वित किया गया
4.	रिलायंस विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, गुडगांव	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	12,500.00	संयुक्त उद्यम	19 जून 2006	सरकार ने रियायत का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया था तथा ₹ 337.85 करोड़ का पुनर्भुगतान करने का निर्णय किया। ठेका समाप्त करने से संबंधित मामला प्रगति अधीन था (जून 2014)
5.	रिलायंस विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, झज्जर	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	12,500.00	संयुक्त उद्यम	19 जून 2006	सरकार ने रियायत का प्रस्ताव अनुमोदित कर दिया था तथा ₹ 337.85 करोड़ का पुनर्भुगतान करने का निर्णय किया। ठेका समाप्त करने से संबंधित मामला प्रगति अधीन था (जून 2014)
6.	सूनिटेक विशेष आर्थिक जोन लिमिटेड, कुण्डली - सोनीपत	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	22,000.00	संयुक्त उद्यम	04 अप्रैल 2007	प्रोजेक्ट रोक कर रखा गया है
7.	पेट्रोकेमिकल हब, पानीपत	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	3,730.00	संयुक्त उद्यम	14 अप्रैल 2006	प्रोजेक्ट लिया नहीं जा सका इसलिए एच.एस.आई.डी.सी. स्वयं से प्रोजेक्ट इंप्लीमेंट कर रही थी।
8.	नैनोसिटी, पंचकुला	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	1,846.00	संयुक्त उद्यम	31 अक्टूबर 2006	प्रोजेक्ट रद्द किया गया तथा 22 जनवरी 2013 को प्रोमोटर्स को सूचित किया गया।
9.	सूरोपियन टेक्नोलोजी पार्क, फरीदाबाद	एच.एस.आई. आई.डी.सी.	1,448.00	संयुक्त उद्यम	10 अक्टूबर 2006	प्रोजेक्ट रद्द किया गया तथा 22 जनवरी 2013 को प्रोमोटर्स को सूचित किया गया।
10.	दिल्ली मेट्रो सिकन्दरपुर से एन.एच. - 8, गुडगांव तक मेट्रो लिंक का विकास	हुडा	900.00	बी.ओ.टी.	16 जुलाई 2009	मार्च 2016 तक पूर्ण किए जाने का लक्ष्य किया
11.	सामान्य सेवा केन्द्र स्कीम	हारट्रोन	18.00	बी.ओ.टी.	17 अप्रैल 2007	वर्तमान में आपरेशनल नहीं हैं। विकल्पी माडलज का अध्ययन किया जा रहा है। आई.टी. विभाग विश्लेषण कर रहा है तथा नया माडल बनाएगा।
12.	आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत पूर्ण सुविधा प्रबंध	स्कूल शिक्षा	39.78	बी.ओ.ओ. / बी.ओ.ओ.टी.	19 नवम्बर 2009	नवंबर 2014 तक लक्ष्य पूर्ण किया जाना है।
13.	आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत पूर्ण सुविधा प्रबंध	स्कूल शिक्षा	11.22	बी.ओ.ओ. / बी.ओ.ओ.टी.	25 नवम्बर 2009	नवंबर 2014 तक लक्ष्य पूर्ण किया जाना है।
14.	213 गवर्नमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूलों में आई.सी.टी. स्कीम के अन्तर्गत विस्तृत कम्प्यूटर शिक्षा परियोजना	स्कूल शिक्षा	47.00	बी.ओ.ओ. / बी.ओ.ओ.टी.	03 मार्च 2010	सितंबर 2015 तक लक्ष्य पूर्ण किया जाना है।
कुल			58,821.70			

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.1; पृष्ठ 38)

विभिन्न अनुदानों/विनियोजनों, जहां प्रत्येक प्रकरण में बचतें ₹ 100 करोड़ से अधिक थी,
की विवरणी

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल	पूरक	कुल	वास्तविक व्यय	बचतें	अभ्यर्पित
राजस्व (दत्तमत)							
1.	4 - राजस्व	858.50	121.62	980.12	654.63	325.49	295.94
2.	7 - आयोजना तथा सांख्यिकी	546.76	0.35	547.11	266.26	280.85	274.26
3.	9 - शिक्षा	8,753.77		8,753.77	6,935.45	1,818.31	1,812.52
4.	13 - स्वास्थ्य	1,936.13	46.12	1,982.24	1,702.51	279.74	281.70
5.	14 - शहरी विकास	189.01	3.37	192.38	74.01	118.37	118.27
6.	15 - स्थानीय सरकार	2,074.00	70.00	2,144.00	1,554.43	589.57	592.62
7.	19 - एस.सी., एस.टी. और बी.सीज का कल्याण	420.13	42.66	462.79	321.82	140.96	140.99
8.	20 - सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	1,821.21	143.75	1,964.96	1,863.34	101.62	101.62
9.	21 - बाल विकास	695.87	23.17	719.04	561.23	157.81	156.44
10.	23 - खाद्य एवं आपूर्ति	258.13	108.28	366.41	180.89	185.52	185.52
11.	24 - सिंचाई	1,509.37		1,509.37	1,126.83	382.54	121.41
12.	27 - कृषि	1,071.59	17.07	1,088.66	831.74	256.92	241.88
13.	32 - ग्रामीण तथा सामुदायिक विकास	2,171.25	28.06	2,199.31	1,853.95	345.36	346.27
14.	36 - गृह	2,028.35	166.74	2,195.10	2,051.28	143.82	135.36
15.	40 - ऊर्जा और विद्युत	4,295.82	1,039.71	5,335.52	5,232.65	102.88	102.89
राजस्व (भारित)							
16.	6 - वित्त	6,994.92		6,994.92	5,849.77	1,145.14	715.05
पूंजीगत (दत्तमत)							
17.	8 - भवन एवं सड़कें	2,005.06	500.00	2,505.06	2,158.45	346.60	356.45
18.	14 - शहरी विकास	850.00		850.00	387.36	462.64	457.17
19.	21 - महिला तथा बाल विकास	188.62	7.00	195.62	1.75	193.87	193.87
20.	23 - खाद्य एवं आपूर्ति	8,350.34		8,350.34	5,310.03	3,040.31	3,036.66
21.	38 - जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,064.93	149.73	1,214.66	1,077.38	137.28	125.78
22.	40 - ऊर्जा और विद्युत	475.68		475.68	100.08	375.60	375.60
23.	45 - राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	1,083.55	5.74	1,089.29	775.61	313.67	149.79
पूंजीगत (भारित)							
24.	लोक ऋण	13,104.90		13,104.90	8,077.26	5,027.64	3,046.17
कुल		62,747.89	2,473.37	65,221.25	48,948.71	16,272.51	13,364.23

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.4; पृष्ठ 40)

2013 - 14 के दौरान प्रावधान के बिना किए गए व्यय का ब्यौरा

क्र. स.	अनुदानों की संख्या तथा नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	कारण/टिप्पणियां
1	24-सिंचाई	106.61	लेखा शीर्ष- '2700-मुख्य सिंचाई, 02- पश्चिमी जमुना कैनल प्रोजेक्ट (वाणिज्यिक) 800-अन्य व्यय, 99-ब्याज' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
2		1.75	लेखा शीर्ष '2700-मुख्य सिंचाई, 001 निदेशन एवं प्रशासन, 89-विशेष राजस्व' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा, आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
3		0.11	लेखा शीर्ष '2700-मुख्य सिंचाई, 01 बहु प्रयोजन, नदी परियोजना (वाणिज्यिक), 001-निदेशन एवं प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
4		155.34	शीर्ष '4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 06-जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
5		24.07	शीर्ष '4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 06-जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 89-विशेष राजस्व' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
6		8.92	शीर्ष '4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 06-जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
7		8.45	शीर्ष '4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 06-जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 93-मुख्य अभियंता' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
8		0.32	शीर्ष '4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 06-जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 88-पेशनरी प्रभार' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा आधिक्य के कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
9		78.66	शीर्ष '4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 97-निष्पादन' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
10		7.13	शीर्ष '4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 95-विशेष राजस्व' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
11		4.10	शीर्ष '4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 99-मुख्य अभियंता' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. स.	अनुदानों की संख्या तथा नाम	प्रावधान के बिना व्यय की राशि (₹ करोड़ में)	कारण/टिप्पणियां
12	24-सिंचाई	3.74	शीर्ष '4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 98-अधीक्षण अभियंता' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
13		0.15	शीर्ष '4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, 01-बाढ़ नियंत्रण, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 88-पेंशनर चार्जिज' के अंतर्गत व्यय किया गया था। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
14		70.66	शीर्ष '4706-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, मौजूदा नहरों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 91-कार्यकारी अभियंता' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
15		9.67	शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, मौजूदा नहरों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 89-विशेष राजस्व' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
16		3.44	शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 16-मौजूदा नहरों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 92-अधीक्षण अभियंता' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
17		3.40	शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 16-मौजूदा नहरों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001-निदेशन तथा प्रशासन 93-मुख्य अभियंता' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
18		0.13	शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 16-मौजूदा नहरों/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 88-पेंशनरी चार्जिज' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
19		4.81	शीर्ष '4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय, 799-उचंत, 99-उचंत' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
20	45-राज्य सरकार द्वारा ऋण एवं अग्रिम	25.00	शीर्ष '6425-निगम के लिए ऋण, 108-अन्य सहकारिताओं को ऋण, 86-कृषकों के लिए हरियाणा राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक को राज्य सरकार ऋणों के लिए स्कीम' के अंतर्गत व्यय किया गया। सरकार द्वारा कारण सूचित नहीं किए गए हैं।
	कुल	516.46	

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.6; पृष्ठ 40)

उन मामलों के विवरण जहां अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्र.स.	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	अनुपूरक	वास्तविक व्यय	प्रावधानों में से बचतें
राजस्व (दत्तमत)					
1	3-सामान्य प्रशासन	150.26	4.82	147.50	7.58
2	4-राजस्व	858.50	121.62	654.63	325.49
3	5-आबकारी एवं कराधान	137.50	5.12	131.82	10.80
4	11-खेल एवं युवा	173.81	6.91	124.39	56.33
5	13-स्वास्थ्य	1,936.13	46.12	1,702.51	279.74
6	14-शहरी विकास	189.01	3.37	74.01	118.37
7	15-स्थानीय शासन	2,074.00	70.00	1,554.43	589.57
8	19-एस.सी./एस.टी. और बी.सी. का कल्याण	420.13	42.66	321.82	140.96
9	21-महिला एवं बाल विकास	695.87	23.17	561.23	157.81
10	23-खाद्य एवं आपूर्ति	258.13	108.28	180.89	185.52
11	25-उद्योग	112.33	0.97	75.68	37.62
12	27-कृषि	1,071.59	17.07	831.74	256.92
13	30-वन एवं वन्य जीवन	265.14	1.75	259.23	7.66
14	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2,171.25	28.06	1,853.95	345.36
15	38-जन-स्वास्थ्य और जलापूर्ति	1,261.56	38.22	1,230.53	69.25
16	42-न्याय - प्रशासन	322.65	8.86	308.23	23.29
उप - योग		1,2097.86	527.00	1,0012.59	2,612.27
राजस्व (भारित)					
17	2-राज्यपाल एवं परिषद्	8.43	1.25	6.37	3.31
उप - योग		8.43	1.25	6.37	3.31
पूंजीगत (दत्तमत)					
18	21-महिला एवं बाल विकास	188.62	7.00	1.75	193.87
19	35-पर्यटन	24.00	1.30	20.29	5.01
20	45-ऋण एवं अग्रिम	1,083.55	5.74	775.61	313.67
उप - योग		1,296.17	14.04	797.65	512.55
कुल - योग		13,402.46	542.29	10,816.61	3,128.13

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.7; पृष्ठ 40)

प्रत्येक मामले में एक करोड़ से अधिक की निधियों का अधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन के विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिव्यय (+) बचत (-)
1.	01	विधान सभा	2011-संसद/स्टेट/यू.टी. विधायिका 02-स्टेट/यू.टी. विधायिका 101-विधान सभा 99-स्थापना	(ओ) 6.77 (एस) 1.00 (आर) (-) 0.40 7.37	5.95	(-) 1.42
2.			2011-संसद/स्टेट/यू.टी. विधायिका 02-राज्य/यू.टी. विधायिका 103-विधान सचिवालय 98-मुख्य संसदीय सचिव/संसदीय सचिव	(ओ) 15.47 (एस) 5.71 (आर) (-) 0.09 21.09	20.01	(-) 1.08
3.	02	राज्यपाल एवं मंत्री परिषद्	2013-मंत्री परिषद् 800-अन्य व्यय 99-मंत्री आवास आफिस का रख-रखाव	(ओ) 8.03 (एस) 3.00 (आर) (-) 1.97 9.06	10.08	(+) 1.02
4.	04	राजस्व	2245-प्राकृतिक आपदाओं के लिए राहत 05-राज्य आपदा अनुक्रिया फंड 101-राज्य आपदा अनुक्रिया फंड तथा 99-राज्य अंशदान	(ओ) 223.31 (एस) 112.25 (आर) (-) 36.71 298.85	275.84	(-) 23.01
5.			2053-जिला प्रशासन 094-अन्य स्थापनप 99-उप मंडल स्थापना	(ओ) 14.91 (आर) 2.70 17.61	16.56	(-) 1.05
6.	06	वित्त	2071-पेंशन तथा अन्य सेवानिवृत्त लाभ 01-सिविल 104-ग्रेज्यूटीज	(ओ) 558.00 (एस) 27.24 (आर) 36.39 621.63	683.48	(+) 61.85
7.			2049-ब्याज भुगतान 200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज 92-एन.सी.आर.पी.बी. से ऋणों पर ब्याज	(ओ) 356.15 (आर) (-) 219.63 136.53	142.83	(+) 6.30
8.			2049-ब्याज भुगतान 200-अन्य आंतरिक ऋणों पर ब्याज 91-8.5% राज्य सरकार के कर मुक्त स्पेशल बांड्स (पावर बांड्स)	(ओ) 45.06 (आर) (-) 0.01 45.05	-	(-) 45.05
9.			2049-ब्याज भुगतान 115-भारतीय रिजर्व बैंक से अर्थोपाय अग्रिमों पर ब्याज 99-भारतीय रिजर्व बैंक अर्थोपाय अग्रिम	(ओ) 50.00 (आर) (-) 45.00 5.00	0.03	(-) 4.97
10.			2049-ब्याज भुगतान 04-केन्द्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज 101-राज्य/संघीय क्षेत्र प्लान स्कीम के लिए ऋणों पर ब्याज 99-ब्लॉक ऋण	(ओ) 76.20 (आर) (-) 45.31 30.89	40.22	(+) 9.33
11.			2049-ब्याज भुगतान 01-आंतरिक ऋणों पर ब्याज 305-ऋणों का प्रबंधन 99-नए ऋणों आदि के निर्गम पर व्यय	(ओ) 3.00 (आर) (-) 1.00 2.00	3.62	(+) 1.62

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
12.			2049 - ब्याज भुगतान 01 - आंतरिक ऋणों पर ब्याज 101 - बाजार ऋणों पर ब्याज 99 - ब्याज वाले बाजार ऋणों पर ब्याज	(ओ) 2,841.46 (आर) 22.89 2,864.36	2,707.63	(-)156.73
13.			2049 - ब्याज भुगतान 01 - आंतरिक ऋणों पर ब्याज 123 - राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार की राष्ट्रीय लघु बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियों पर ब्याज 93 - लघु बचतों पर ब्याज	(ओ) 1,081.97 (आर) (-) 47.10 1,034.86	1,109.93	(+)75.07
14.			2049 - ब्याज भुगतान 03 - लघु बचतों, भविष्य निधियों इत्यादि पर ब्याज 104 - राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज 99 - राज्य भविष्य निधियों पर ब्याज	(ओ) 782.09 (आर) 35.14 817.23	805.54	(-)11.69
15.			2049 - ब्याज भुगतान 04 - केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिमों पर ब्याज 108 - 9वें वित्त आयोग की सिफारिश के अंतर्गत समेकित 1984 - 89 राज्य प्लान ऋणों पर ब्याज 99 - 1984 - 89 पूर्व समेकित ऋण	(ओ) 71.53 (आर) 8.22 79.75	65.77	(-)13.98
16.			2049 - ब्याज भुगतान 05 - आरक्षण निधियों पर ब्याज 101 - मूल्य हास पर ब्याज रिन्वूवल रिजर्व फंड 98 - हास रिजर्व फंड (मोटर ट्रांसपोर्ट)	(ओ) 27.77 (आर) 1.23 29.00	27.97	(-)1.03
17.	7	आयोजना एवं सांख्यिकी	3451 - सचिवालय आर्थिक सेवाएं 102 - जिला आयोजना मशीनरी 95 - जिला योजना	(ओ) 313.00 (आर) (-) 172.89 140.11	135.13	(-) 4.98
18.			3451 - सचिवालय आर्थिक सेवाएं 789 - एस.सी. के लिए विशेष घटक योजना 99 - जिला योजनागत स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति का कल्याण	(ओ) 187.00 (आर) (-) 85.37 101.63	100.09	(-)1.54
19.	8	भवन एवं सड़के	3054 - सड़के एवं पुल 797 - रिजर्व फंडस तथा अकाउंटस से/को हस्तान्तरण 99 - सी.आर.एफ. को अकाउंट हस्तान्तरण	(ओ) 100.00 (आर) (-) 65.97 34.03	74.42	(+)40.39
20.			3054 - सड़के एवं पुल 03 - राज्य राजमार्ग 337 - सड़क निर्माण	(ओ) 50.15 (आर) 27.19 77.34	75.26	(-)2.08
21.			5054 - सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04 - जिला एवं अन्य सड़कें 789 - अनुसूचित जाति 99 - अनुसूचित जाति आबादी क्षेत्र में सड़कों का निर्माण/चौड़ा करना/सुदृढीकरण तथा विशेष मरम्मत	(ओ) 341.00 (आर) (-)68.93 272.07	262.93	(-)9.14

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
22.			5054 - सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04 - जिला एवं अन्य सड़कें 337 - सड़क निर्माण 99 - जिला सड़कें 98 - राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र स्कीम के अंतर्गत निर्माण/सुदृढीकरण एवं चौड़ा करना	(ओ) 45.00 (आर) (-)4.5 40.50	52.11	(+) 11.61
23.			4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60 - अन्य भवन 051 - निर्माण 99 - लोक निर्माण	(ओ) 13.00 (आर) (-)0.07 12.93	17.93	(+)5.00
24.			4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 01 - आफिस भवन 051 - निर्माण 99 - जिला प्रशासन	(ओ) 78.84 (आर) (-) 3.98 74.86	79.86	(+)5.00
25.			4059 - लोक निर्माण पर पूंजीगत परिव्यय 60 - अन्य भवन 051 - निर्माण 98 - न्याय प्रशासन	(ओ) 35.00 (आर) 7.78 42.78	32.41	(-)10.37
26.			5054 - सड़कों एवं पुलों पर पूंजीगत परिव्यय 04 - जिले तथा अन्य सड़कें 337 - सड़क निर्माण 98 - ग्रामीण सड़कें 99 - राज्य स्कीम के लिए सड़कों के बाइपास निर्माण/सुदृढीकरण/चौड़ा करना	(ओ)247.00 (एस)220.00 (आर) (-)9.71 457.29	459.43	(+)2.14
27.	9	शिक्षा	2202 - सामान्य शिक्षा 03 - यूनिवर्सिटी तथा उच्च शिक्षा 103 - गवर्नमेंट कालेज तथा संस्थान 99 - संस्थान	(ओ) 238.61 (आर) (-)11.78 226.83	221.04	(-)5.79
28.	13	स्वास्थ्य	2210 - चिकित्सा एवं जन - स्वास्थ्य 03 - ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाएं एलौपैथी 103 - प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 84 - एन.आर.एच.एम. के अंतर्गत राज्य हिस्सा के रूप में सहायतानुदान	(ओ)120.00 (आर) (-)13.36 106.64	110.64	(+)4.00
29.	14	शहरी विकास	4217 - शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय 60 - अन्य शहरी विकास स्कीमें 051 - निर्माण 97 - सार्वजनिक स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के लिए प्रोत्साहन पैकेज	(ओ) 415.00 (आर) (-) 115.00 300.00	293.93	(-)6.07
30.	15	स्थानीय शासन	2217 - शहरी विकास 800 - अन्य व्यय 81 - संघटित आवास एवं स्लम विकास प्रोग्राम 99 - नार्मल प्लान	(ओ) 27.77 (आर) 10.58 38.35	41.53	(+)3.18
31.	23	खाद्य एवं आपूर्ति	4408 - खाद्य, भंडारण तथा भांडागार पर पूंजीगत परिव्यय 01 - खाद्य 101 - प्रापण एवं आपूर्ति 99 - अन्न आपूर्ति स्कीम	(ओ) 7,549.79 (आर) (-) 2,718.68 4,831.11	4827.46	(-)3.65

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
32.	24	सिंचाई	2700 - मुख्य सिंचाई 02 - पश्चिमी जमुना कैनल परियोजना (वाणिज्यिक) 001 - निदेशन एवं प्रशासन 91 - कार्यकारी अभियंता	(ओ) 337.02 (आर) (-) 38.52 298.50	86.42	(-) 212.08
33.			2700 - मुख्य सिंचाई 02 - पश्चिमी जमुना कैनल परियोजना (वाणिज्यिक) 001 - निदेशन एवं प्रशासन 91 - कार्यकारी अभियंता 89 - विशेष राजस्व	(ओ) 38.84 (आर) (-) 6.27 32.57	8.99	(-) 23.58
34.			2700 - मुख्य सिंचाई 02 - पश्चिमी जमुना कैनल परियोजना (वाणिज्यिक) 001 - निदेशन एवं प्रशासन 91 - कार्यकारी अभियंता 92 - अधीक्षण अभियंता	(ओ) 29.24 (आर) (-) 11.36 17.88	6.08	(-) 11.80
35.			2700 - मुख्य सिंचाई 02 - पश्चिमी जमुना कैनल परियोजना (वाणिज्यिक) 101 - रस्व - रखाव तथा मरम्मत 98 - अन्य रस्व - रखाव व्यय	(ओ) 30.50 (आर) (-) 1.30 29.20	27.18	(-) 2.02
36.			2700 - मुख्य सिंचाई 01 - बहु - प्रयोजन नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001 - निदेशन एवं प्रशासन 91 - कार्यकारी अभियंता	(ओ) 63.74 (आर) 0.43 64.17	2.65	(-) 61.52
37.			2700 - मुख्य सिंचाई 01 - बहु - प्रयोजन नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001 - निदेशन एवं प्रशासन 89 - विशेष राजस्व	(ओ) 20.02 (आर) (-) 1.91 18.11	0.54	(-) 17.57
38.			2700 - मुख्य सिंचाई 01 - बहु - प्रयोजन नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 001 - निदेशन एवं प्रशासन 92 - अधीक्षण अभियंता	(ओ) 2.46 (आर) (-) 0.40 2.06	0.12	(-) 1.94
39.			2700 - मुख्य सिंचाई 18 - गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना 001 - निदेशन एवं प्रशासन 91 - कार्यकारी अभियंता	(ओ) 42.28 (आर) (-) 1.97 40.31	11.60	(-) 28.71
40.			2700 - मुख्य सिंचाई 18 - गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना 001 - निदेशन एवं प्रशासन 91 - कार्यकारी अभियंता 92 - अधीक्षण अभियंता	(ओ) 4.97 (आर) (-) 1.98 2.99	0.52	(-) 2.47
41.			2700 - मुख्य सिंचाई 18 - गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना 001 - निदेशन एवं प्रशासन 91 - कार्यकारी अभियंता 93 - मुख्य अभियंता	(ओ) 2.75 (आर) (-) 0.41 2.34	0.52	(-) 1.82

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिव्य (+) बचत (-)
42.			2700 - मुख्य सिंचाई 80 - सामान्य 001 - निदेशन एवं प्रशासन 93 - मुख्य अभियंता	(ओ) 30.02 (आर) (-) 9.41 20.61	6.40	(-) 14.21
43.			2700 - मुख्य सिंचाई 18 - गैर वाणिज्यिक सिंचाई परियोजना 101 - रख - रखाव तथा मरम्मत 98 - अन्य रख - रखाव व्यय	(ओ) 8.50 (आर) 0.50 9.00	12.32	(+) 3.32
44.			2700 - मुख्य सिंचाई 01 - बहु - प्रयोजन नदी परियोजना (वाणिज्यिक) 101 - रख - रखाव तथा मरम्मत 98 - अन्य रख - रखाव व्यय 99 - हरियाणा हिस्सा	(ओ) 3.22 (आर) 0.28 3.50	4.79	(+) 1.29
45.			2700 - मुख्य सिंचाई 02 - पश्चिमी जमुना कैनल परियोजना (वाणिज्यिक) 800 - अन्य व्यय 98 - विद्युत प्रभार	(ओ) 30.00 (आर) (-) 1.00 29.00	31.15	(+) 2.15
46.			2700 - मुख्य सिंचाई 04 - लोहारू कैनल परियोजना (वाणिज्यिक) 800 - अन्य व्यय 98 - विद्युत प्रभार	(ओ) 30.00 (आर) (-) 5.48 24.52	29.11	(+) 4.59
47.			4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06 - जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर 800 - अन्य व्यय 98 - कैनल का निर्माण	(ओ) 19.15 (आर) (-) 7.62 11.53	50.93	(+) 39.40
48.			4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07 - नाबाई के अंतर्गत पुरानी/मौजूदा नहरों का सुधार 800 - अन्य व्यय 98 - कैनल का निर्माण	(ओ) 98.50 (आर) (-) 6.40 92.10	143.34	(+) 51.24
49.			4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80 - सामान्य 052 - मशीनरी तथा उपकरण 99 - संस्थानिक सुदृढीकरण डाटा संग्रहण	(ओ) 0.25 (आर) (-) 0.17 0.08	1.55	(+) 1.47
50.			4700 - सिंचाई पूंजीगत परिव्यय 16 - मौजूदा चैनल/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरूद्धार 001 - निदेशन एवं प्रशासन 98 - कैनल का निर्माण	(ओ) 38.00 (आर) (-) 10.70 27.30	53.54	(+) 26.24

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
51.			4700 - मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 15 - चैनलज की लाईनिंग 800 - अन्य व्यय 97 - बी.एम.एल. - हांसी ब्रांच - बुटाना ब्रांच बहुप्रयोजन लिंक चैनल	(ओ) 1.00 (आर) (-) 0.55 0.45	4.47	(+)4.02
52.			4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 07 - नाबार्ड के अंतर्गत पुरानी/मौजूदा चैनलज का सुधार 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 - राज्य में अनुसूचित जाति आबादी के लिए आर.आई.डी.एफ. (नाबार्ड) के अंतर्गत पुरानी/मौजूदा चैनलज का सुधार	(ओ) 91.50 (आर) (-) 6.30 85.20	47.97	(-)37.23
53.			4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06 - जल के उचित वितरण के लिए नई माइनर 800 - अन्य व्यय 97 - भूमि की वार्षिकी	(ओ) 20.00 (आर) (-) 10.53 9.47	2.42	(-) 7.05
54.			4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 06 - जल के उचित वितरण के लिए नई माइनर 789 - अनुसूचित जाति के लिए विशेष घटक योजना 99 - राज्य में अनुसूचित जाति जनसंख्या के लिए जल के उचित बंटवारे के लिए नई माइनर में सुधार	(ओ) 15.50 (आर) (-)2.80 12.70	8.79	(-) 3.91
55.			4701 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80 - सामान्य 002 - डाटा संग्रहण 99 - सिंचाई परियोजनाओं का डाटा संग्रहण	(ओ) 15.00 (आर) (-) 3.10 11.90	10.52	(-) 1.38
56.			4700 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 13 - केवल सिस्टमज का आधुनिकीकरण तथा लाईनिंग 800 - अन्य व्यय 98 - कौना का निर्माण	(ओ) 39.37 (आर) 0.55 39.92	13.91	(-) 26.01
57.			4700 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 16 - मौजूदा वचैनलज/ड्रेनेज सिस्टम का पुनरुद्धार 789 - अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना 99 - राज्य में अनु. जाति आबादी में निर्माण कार्यों में सुधार तथा जल मार्गों का पुनरुद्धार	(ओ) 26.00 (आर) (-) 1.00 25.00	12.39	(-) 12.61
58.			4700 - मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 15 - नहर की लाईनिंग 800 - अन्य व्यय 98 - बी.एम.एल. क्षमता का पुनरुद्धार	(ओ) 5.50 (आर) (-) 0.54 4.96	0.49	(-)4.47
59.			4711 - बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय 01 - बाढ़ नियंत्रण 201 - ड्रेनेज तथा बाढ़ नियंत्रण परियोजनाएं 99 - बाढ़ सुरक्षा तथा आपदा तैयारी	(ओ) 108.05 (आर) (-) 3.85 104.20	105.42	(+)1.22

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
60.			4701-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय 80-सामान्य 800-अन्य व्यय 98-कोर्ट आदेश के अंतर्गत बढ़ाई गई भूमि क्षतिपूर्ति का भुगतान	(ओ)50.00 (आर) (-) 0.19 49.81	56.03	(+) 6.22
61.	27	कृषि	2415-कृषि अनुसंधान एवं शिक्षा 01-फसल पालन 277-शिक्षा 99-हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय को सहायता अनुदान	(ओ) 120.00 (आर) (-) 10.96 109.04	97.04	(-) 12.00
62.			2402-भूमि एवं जल संरक्षण 102-भूमि संरक्षण 86-राज्य में लवणीय भूमि तथा जल भराव युक्त भूमि के सुधार के पाइलैट प्रोजेक्ट हेतु स्कीम 99-नोरमल प्लान	(ओ) 4.20 (आर) (-) 1.14 3.06	0.86	(-) 2.20
63.	28	पशुपालन एवं डेयरी विकास	2403-पशुपालन 101-पशु सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 62-पशु संस्थाओं का खोलना/अपग्रेड करना तथा मजबूत करना	(ओ) 49.00 (आर) (-) 10.23 38.77	29.10	(-)9.67
64.			2403-पशुपालन 101-पशु सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 93-अस्पताल सह प्रजनन केंद्रों में पशु डिस्पेंसरीज/स्टाकमैन का संरक्षण	(ओ) 65.59 (आर) (-) 7.85 57.75	61.62	(+)3.87
65.			2403-पशुपालन 101-पशु सेवाएं तथा पशु स्वास्थ्य 95-पशु अस्पतालों तथा डिस्पेंसरीज को जारी रखना	(ओ)60.82 (आर) (-) 2.28 58.54	64.17	(+)5.63
66.			2406-वानिकी एवं वन्य जीवन 02-पर्यावरण वानिकी तथा वन्य जीवन 110-वन्य जीवन परिरक्षण 99-मुख्यालय स्टाफ	(ओ)6.35 (आर) (-)0.66 5.68	4.50	(-)1.18
67.	30	वन एवं वन्य जीव	2406-वानिकी एवं वन्य जीवन 01-वानिकी 102-सामाजि तथा फार्म वानिकी 94-वन का सर्वेक्षण, चिन्हीकरण तथा समायोजन	(ओ)1.24 (आर) (-)0.09 1.16	2.36	(+)1.20
68.	36	गृह	2055-पुलिस 104-विशेष पुलिस 98-भारतीय रिजर्व बटालियन	(ओ) 86.19 (एस) 23.30 (आर) (-)15.49 94.00	78.04	(-) 15.95
69.			2055-पुलिस 114-वायरलैस तथा कम्प्यूटरज 99-वायरलैस तथा कम्प्यूटर 98-स्थापना व्यय	(ओ) 76.05 (एस) 0.30 (आर) (-) 3.96 72.40	64.95	(-)7.45
70.			2055-पुलिस 111-रेलवे पुलिस 99-रेलवे कमांडो फोर्स	(ओ)75.22 (एस) 0.80 (आर) (-)3.28 72.74	69.29	(-) 3.45
71.			2055-पुलिस 101-क्रीमीनल छानबीन तथा सतर्कता 99-सी.आई.डी. तथा एस.सी.आर.बी.	(ओ)72.61 (एस)1.03 (आर)7.16 80.79	88.05	(+)7.26

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
72.			2055 - पुलिस 109 - जिला पुलिस 99 - जिला पुलिस बल	(ओ)1377.05 (एस)125.83 (आर) (-)46.89 1,455.99	1467.09	(+)11.10
73.			4055 - पुलिस पर पूंजीगत व्यय 207 - राज्य पुलिस 97 - पुलिस स्टेशन	(ओ)100.00 (आर) (-)15.01 84.99	26.17	(-)58.82
74.	38	जन - स्वास्थ्य एवं जलापूर्ति	2215 - जलापूर्ति एवं सफाई 01 - जलापूर्ति 799 - उचंत	(ओ) 3.70 (आर) (-)2.09 1.61	(-) 29.57	(-)31.18
75.			2215 - जलापूर्ति एवं सफाई 01 - जलापूर्ति 101 - शहरी जलापूर्ति प्रोग्राम 99 - शहरी जलापूर्ति एवं सीवरेज का रखरखाव 99 - विद्युत प्रभार	(ओ) 159.50 (आर) (-)2.09 170.65	173.36	(+)2.71
76.			2215 - जलापूर्ति एवं सफाई 01 - जलापूर्ति 101 - शहरी जलापूर्ति प्रोग्राम 98 - रख - रखाव प्रभार	(ओ) 53.66 (एस)13.00 (आर) 20.90 87.56	75.44	(-) 12.12
77.			2215 - जलापूर्ति एवं सफाई 01 - जलापूर्ति 102 - ग्रामीण जलापूर्ति प्रोग्राम 97 - ग्रामीण जलापूर्ति प्रोग्राम	(ओ)460.50 (एस)7.00 (आर) 10.12 477.62	475.06	(-) 2.56
78.			4215 - जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय 799 - उचंत 99 - स्टाक 98 - स्टाक को क्रेडिट	(ओ)5.00 (आर)(-)4.78 0.22	(-)6.60	(-)6.82
79.			4215 - जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय 101 - शहरी सफाई सेवाएं 90 - नेशनल नदी संरक्षण प्लान	(ओ)68.26 (आर)5.06 73.32	74.82	(+)1.50
80.			4215 - जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय 101 - शहरी जलापूर्ति 99 - शहरी जलापूर्ति संवर्धन	(ओ)55.00 (एस)15.00 (आर)7.67 77.67	70.90	(-)6.77
81.	लोक ऋण	लोक ऋण (सभी भारत)	6003 - राज्य सरकार को आंतरिक ऋण 109 - अन्य संस्थानों से ऋण 96 - एन.सी.आर.पी.बी. (पी.एच.) से ऋण	(ओ) 332.49 (आर) (-)174.29 158.20	95.43	(-) 62.77
82.			6003 - राज्य सरकार को आंतरिक ऋण 108 - राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण 99 - राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से ऋण	(ओ) 10.66 (आर)79.68 90.34	9.03	(-)81.31
83.			6004 - केंद्रीय सरकार से ऋण एवं अग्रिम 02 - राज्य/यू.टी. प्लान स्कीमों से ऋण 101 - ब्लॉक ऋण	(ओ)21.50 (आर)54.86 76.36	67.43	(-)8.93
84.	45	ऋण एवं अग्रिम	6801 - विद्युत परियोजनाओं के लिए ऋण 205 - संचारण एवं वितरण 98 - हरियाणा विद्युत परसारण निगम को ऋण	(ओ)484.11 (आर)(-)0.10 484.01	290.88	(-)193.13

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	प्रावधान ओ: मूल एस: पूरक आर: पुनर्विनियोजन	वास्तविक व्यय	फाईनल आधिक्य (+) बचत (-)
85.			7610 - सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण 201 - गृह निर्माण ऋण 99 - अखिल भारतीय सेवाएं अधिकारियों से अन्य सरकारी को अग्रिम 98 - ऐच्छिक कोटा के अंतर्गत अग्रिम	(ओ)40.00 (आर)(-)5.85 34.15		(-)34.15
86.			7610 - सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण 201 - गृह निर्माण ऋण 99 - अखिल भारतीय सेवाएं अधिकारियों से अन्य सरकारी कर्मचारी को अग्रिम 98 - मंत्रियों, उप-मंत्रियों, राज्य मंत्रियों, प्रीजाइडिंग अधिकारियों तथा राज्य विद्यायिकों को अग्रिम	(ओ)8.00 (आर)(-)5.44 2.57		(-)2.57
87.			7610 - सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण 201 - गृह निर्माण अग्रिम 800 - अन्य अग्रिम 99 - खाद्यान्नों की खरीद के लिए अग्रिम	(ओ)80.00 (आर)(-)59.08 20.92	48.30	(+)27.38
88.			7610 - सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण 201 - गृह निर्माण अग्रिम 800 - अन्य अग्रिम 97 - शादियों के समारोह के लिए अग्रिम	(ओ)45.00 (आर)(-)15.92 29.08	27.92	(-)1.16
89.			7610 - सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण 202 - मोटर वाहनों के क्रय के लिए अग्रिम 99 - मंत्रियों तथा राज्य विद्यायिकों से अन्य मोटर वाहनों की खरीद के लिए अग्रिम 98 - ऐच्छिक कोटा के अंतर्गत अग्रिम	(ओ)15.00 (आर)(-)2.02 12.98		(-)12.98
90.			7610 - सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण 202 - मोटर वाहनों के क्रय के लिए अग्रिम 99 - ऐच्छिक कोटे के अंतर्गत अग्रिम	(ओ)45.00 (आर)(-)19.10 25.90	33.75	(+)7.85
91.			6425 - सहकारिता के लिए ऋण 108 - अन्य सहकारिताओं के लिए ऋण 99 - संघटित सहकारी विकास प्रोग्राम	(ओ)21.27 (आर)10.10 31.37	7.85	(-)23.52
92.			7610 - सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण 201 - गृह निर्माण अग्रिम 99 - अखिल भारतीय सेवाएं अधिकारियों से अन्य सरकारी कर्मचारी को अग्रिम 99 - ऐच्छिक कोटे के अंतर्गत अग्रिम	(ओ)136.28 (आर)(-)19.29 116.99	161.54	(+)44.55
93.			7610 - सरकारी कर्मचारियों इत्यादि को ऋण 201 - गृह निर्माण अग्रिम 800 - अन्य अग्रिम 98 - त्यौहार अग्रिम	(ओ)4.50 (आर)1.06 5.56	7.04	(+)1.48
			कुल			(+)482.20 (-)1,364.70

सार	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ में)
विनियोजन पर अतिरिक्त व्यय (+)	35	(+) 482.20
विनियोजन में से बचत (-)	58	(-)1,364.70
कुल	93	

₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ में)
क्र.सं. 22 और 72	2	22.71
₹ 10 करोड़ से अधिक परन्तु ₹ 25 करोड़ से कम की बचत के मामले		
क्र.सं. 4, 14, 15, 25, 33, 34, 37, 42, 57, 61, 68, 76, 89, 91	14	215.39
कुल	16	

₹ 25 करोड़ से अधिक के आधिक्य के मामले	मामलों की संख्या	राशि (करोड़ में)
क्र.सं. 6, 13, 19, 47, 48, 50, 87, 92	8	366.12
₹ 25 करोड़ से अधिक के बचत के मामले		
क्र.सं. 8, 12, 32, 36, 39, 52, 56, 73, 74, 81, 82, 84, 85	13	1028.69
कुल	21	

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.8; पृष्ठ 41)

मार्च 2014 की समाप्ति पर ₹ 10 करोड़ से अधिक की निधियों के अभ्यर्पण के विवरण
(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान / संख्या	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें/ आधिक्य (-)	अभ्यर्पित राशि
राजस्व (दत्तमत)							
1	4 - राजस्व	858.50	121.62	980.12	654.63	325.49	295.94
2	5 - आबकारी एवं कराधान	137.50	5.12	142.62	131.82	10.80	10.92
3	6 - वित्त	3,880.66	229.29	4,109.95	4,220.33	(-)110.38	12.07
4	7 - योजना एवं सांख्यिकी	546.76	0.35	547.11	266.26	280.85	274.26
5	8 - भवन एवं सड़क	1,122.09	0.07	1,122.16	1,060.81	61.35	77.64
6	9 - शिक्षा	8,753.77	--	8,753.77	6,935.45	1,818.32	1,812.52
7	10 - तकनीकी शिक्षा	373.50	--	373.50	294.82	78.68	78.20
8	11 - खेल एवं युवा कल्याण	173.81	6.91	180.72	124.39	56.33	56.46
9	13 - स्वास्थ्य	1,936.13	46.12	1,982.25	1,702.51	279.74	281.70
10	14 - शहरी विकास	189.01	3.37	192.38	74.01	118.37	118.27
11	15 - स्थानीय शासन	2,074.00	70.00	2,144.00	1,554.43	589.57	592.62
12	17 - रोजगार	78.45	--	78.45	52.84	25.61	25.19
13	18 - औद्योगिक प्रशिक्षण	180.30	--	180.30	155.99	24.31	23.82
14	19 - एस.सी., एस.टी. और ओ.बी.सी., बी.सी. का कल्याण	420.13	42.66	462.79	321.82	140.97	140.99
15	20 - सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	1,821.21	143.75	1,964.96	1,863.34	101.62	101.62
16	21 - महिला एवं बाल विकास	695.87	23.17	719.04	561.23	157.81	156.44
17	23 - खाद्य एवं आपूर्ति	258.13	108.28	366.41	180.89	185.52	185.52
18	24 - सिंचाई	1,509.37	--	1,509.37	1,126.83	382.54	121.41
19	25 - उद्योग	112.33	0.97	113.30	75.68	37.62	36.46
20	27 - कृषि	1,071.59	17.07	1,088.66	831.74	256.92	241.88
21	28 - पशुपालन एवं डेरी विकास	489.45	--	489.45	407.61	81.84	81.64
22	32 - ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	2,171.25	28.06	2,199.31	1,853.95	345.36	346.27
23	33 - सहकारिता	202.67	59.32	261.99	232.77	29.22	29.16
24	34 - परिवहन	1,525.43	82.52	1,607.95	1,528.05	79.90	79.20
25	36 - गृह	2,028.35	166.74	2,195.09	2,051.28	143.81	135.36
26	38 - जन - स्वास्थ्य	1,261.56	38.22	1,299.78	1,230.53	69.25	26.42
27	39 - सूचना एवं प्रचार	191.78	--	191.78	94.38	97.40	97.35
28	40 - ऊर्जा एवं विद्युत्	4,295.82	1,039.71	5,335.53	5,232.65	102.88	102.89
29	41 - इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आई.टी.	30.41	--	30.41	15.40	15.01	15.01
30	42 - न्याय - प्रशासन	322.65	8.86	331.51	308.23	23.28	23.00
31	44 - मुद्रण एवं लेखन सामग्री	40.44	--	40.44	28.93	11.51	11.47
राजस्व (भारित)							
32	6 - वित्त	6,994.92	--	6,994.92	5,849.77	1,145.15	715.05

क्र.सं.	अनुदान/संख्या	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें/आधिक्य (-)	अभ्यर्पित राशि
पूजीगत (दत्तमत)							
33	8 - भवन एवं सड़क	2,005.06	500.00	2,505.06	2,158.45	346.61	356.45
34	9 - शिक्षा	27.20	--	27.20	13.60	13.60	13.6
35	13 - स्वास्थ्य	80.00	--	80.00	25.00	55.00	55.00
36	14 - शहरी विकास	850.00	--	850.00	387.36	462.64	457.17
37	21 - महिला एवं बाल विकास	188.62	7.00	195.62	1.75	193.87	193.87
38	23 - खाद्य एवं आपूर्ति	8,350.34	--	8,350.34	5,310.03	3,040.31	3,036.66
39	24 - सिंचाई	639.00	--	639.00	852.26	(-)213.26	156.60
40	28 - पशुपालन	20.00	--	20.00	4.95	15.05	15.05
41	33 - सहकारिता	74.95	--	74.95	45.82	29.13	29.13
42	36 - गृह	109.00	35.79	144.79	129.75	15.04	15.01
43	38 - जन - स्वास्थ्य	1,064.93	149.73	1,214.66	1,077.38	137.28	125.78
44	40 - ऊर्जा एवं विद्युत	475.68	--	475.68	100.08	375.6	375.60
45	45 - ऋण एवं अग्रिम	1,083.54	5.74	1,089.28	775.61	313.67	149.79
पूजीगत (भारित)							
46	लोक ऋण	13,104.90	--	13,104.90	8,077.26	5,027.64	3,046.17
कुल		73,821.06	2,940.44	76,761.50	59,982.67	16,778.83	14,332.63

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.3.9; पृष्ठ 41)

वर्ष की अन्तिम तिमाही/माह में व्यय की अधिकता दर्शाने वाले ब्यौरे

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	लेखा शीर्ष योजना/स्कीम	वर्ष के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अन्तिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2014 के दौरान व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1.	04-राजस्व	2705-कमाण्ड क्षेत्र विकास	27.45	13.55	49.36	9.95	36.25
2.	06-वित्त	2049-ब्याज भुगतान	5,849.77	4,019.80	68.72	1815.77	31.04
3.	07-योजना एवं सार्विकी	3451-सचिवालय - आर्थिक सेवाएं	243.74	135.29	55.51	90.57	37.16
4.	08-भवन एवं सड़कें	3054-सड़क एवं पुल	809.60	386.26	47.71	322.65	39.85
5.	09-शिक्षा	4202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति पर पूंजीगत परिव्यय	13.60	13.60	100.00	13.60	100.00
6.	18-औद्योगिक प्रशिक्षण	4250-अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	54.89	29.58	53.89	18.21	33.18
7.	19-अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	2225-अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन जाति एवं अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	321.82	167.64	52.09	99.08	30.79
8.	24-सिंचाई	2701-मध्यम सिंचाई	204.39	176.71	86.46	171.09	83.71
9.		4701-मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	520.08	321.94	61.90	254.62	48.96
10.		4700-मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	169.12	127.07	75.14	108.23	64.00
11.		4711-बाढ़ नियंत्रण परियोजना पर पूंजीगत परिव्यय	219.10	144.57	65.98	125.47	57.27
12.		2705-कमाण्ड क्षेत्र विकास	136.61	84.74	62.03	49.74	36.41
13.	32-ग्रामीण एवं सामुदायिक विकास	3604-स्थानीय निकायों और पंचायती राज संस्थाओं को मुआवजा और सुपुर्दगी	136.18	129.45	95.06	120.34	88.37
14.	33-सहकारिता	4425-सहकारिता पर पूंजीगत परिव्यय	44.79	42.78	95.51	27.91	62.31
15.	37-चुनाव	2015-चुनाव	29.99	17.47	58.25	10.66	35.55
16.	40-ऊर्जा एवं विद्युत	4801-विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	100.08	50.08	50.04	50.08	50.04
17.		3425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	24.79	14.96	60.35	0.66	2.66
कुल			8,906	5,875.49	65.97	3,288.63	36.93

परिशिष्ट 2.7

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.1; पृष्ठ 42)

वर्ष 2013 - 14 के लिए भुगतान के समर्थन में वाऊचरों को प्रस्तुत न करना

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	खजाने का नाम	वाऊचरों की संख्या	राशि
1.	अंबाला	12	13,64,132
2.	भिवानी	23	25,78,306
3.	चण्डीगढ़	09	8,59,920
4.	फरीदाबाद	04	4,40,376
5.	फतेहाबाद	08	1,19,712
6.	गुड़गांव	59	4,94,20,830
7.	हिसार	15	68,08,586
8.	जगाधरी	04	5,95,860
9.	झज्जर	02	1,49,179
10.	जींद	01	47,780
11.	कैथल	01	27,060
12.	करनाल	40	46,40,927
13.	कुरूक्षेत्र	04	3,72,704
14.	नारनौल	04	20,77,331
15.	नूंह	06	5,60,164
16.	पानीपत	07	10,28,520
17.	पंचकुला	23	24,57,186
18.	रेवाड़ी	03	3,45,585
19.	रोहतक	20	33,49,750
20.	सिरसा	09	3,35,442
21.	सोनीपत	05	3,44,273
कुल		259	7,79,23,623

परिशिष्ट 2.8

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 42)

भुगतानों की प्रथम सूची – कोषालयों द्वारा प्रत्येक माह, जिससे लेखे संबंधित हैं, की 13 से 17 तारीख तक देय लेखाओं का विलंब से प्रस्तुतिकरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	माह	खजाने का नाम	प्राप्ति की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
1.	अप्रैल 2013	अंबाला	22 अप्रैल 2013	05
		चण्डीगढ़	26 अप्रैल 2013	09
		गुड़गांव	26 अप्रैल 2013	09
2.	मई 2013	अंबाला	24 मई 2013	07
		गुड़गांव	27 मई 2013	10
		करनाल	24 मई 2013	07
		पानीपत	21 मई 2013	04
		पंचकूला	21 मई 2013	04
		सिरसा	27 मई 2013	10
3.	जून 2013	अंबाला	12 अगस्त 2013	08
		गुड़गांव	21 जून 2013	04
		जगाधरी	21 जून 2013	04
		झज्जर	21 जून 2013	04
		जींद	21 जून 2013	04
		सिरसा	24 जून 2013	07
4.	जुलाई 2013	अंबाला	12 अगस्त 2013	26
		फरीदाबाद	30 जुलाई 2013	13
		जगाधरी	30 जुलाई 2013	13
		झज्जर	30 जुलाई 2013	13
		जींद	30 जुलाई 2013	13
		कैथल	25 जुलाई 2013	08
		नारनौल	22 जुलाई 2013	05
5.	अगस्त 2012	अंबाला	23 अगस्त 2013	06
		फरीदाबाद	26 अगस्त 2013	09
		हिसार	21 अगस्त 2013	04
		जगाधरी	23 अगस्त 2013	06
		झज्जर	30 अगस्त 2013	13
		जींद	03 सितंबर 2013	17
		नूंह	21 अगस्त 2013	04
		रेवाड़ी	27 अगस्त 2013	10
6.	सितंबर 2013	झज्जर	25 सितंबर 2013	08
		जींद	26 सितंबर 2013	09

क्र. सं.	माह	खजाने का नाम	प्राप्ति की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
7.	अक्तूबर 2013	फरीदाबाद	25 अक्तूबर 2013	08
		हिसार	21 अक्तूबर 2013	04
		झज्जर	21 अक्तूबर 2013	04
		जींद	22 अक्तूबर 2013	05
		कैथल	28 अक्तूबर 2013	11
		करनाल	21 अक्तूबर 2013	04
		नूंह	24 अक्तूबर 2013	07
8.	नवंबर 2013	अंबाला	25 नवंबर 2013	08
		फरीदाबाद	22 नवंबर 2013	05
		जगाधरी	25 नवंबर 2013	08
		जींद	22 नवंबर 2013	05
		कैथल	21 नवंबर 2013	04
9.	दिसंबर 2013	अंबाला	26 दिसंबर 2013	09
		फरीदाबाद	24 दिसंबर 2013	07
		जींद	23 दिसंबर 2013	06
10.	जनवरी 2014	अंबाला	27 जनवरी 2014	10
		फरीदाबाद	30 जनवरी 2014	13
		जगाधरी	22 जनवरी 2014	05
		झज्जर	23 जनवरी 2014	06
		जींद	29 जनवरी 2014	12
		करनाल	21 जनवरी 2014	04
		कुरुक्षेत्र	22 जनवरी 2014	05
		नूंह	24 जनवरी 2014	07
11.	फरवरी 2014	अंबाला	25 फरवरी 2014	08
		फरीदाबाद	28 फरवरी 2014	11
		झज्जर	28 फरवरी 2014	11
		नूंह	26 फरवरी 2014	09
12.	मार्च 2014	अंबाला	28 मार्च 2014	11
		फरीदाबाद	31 मार्च 2014	14
		झज्जर	21 मार्च 2014	04
		जींद	21 मार्च 2014	04
		नूंह	25 मार्च 2014	08

परिशिष्ट 2.9

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.2; पृष्ठ 42)

भुगतानों की दूसरी सूची - कोषालयों द्वारा माह, जिससे लेखे संबंधित हैं (अप्रैल 2013 से मार्च 2014), के बाद के महीने की तीन से सात तारीख तक देय लेखाओं के विलंब से प्रस्तुतिकरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	माह	खजाने का नाम	प्राप्ति की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
1.	अप्रैल 2013	अंबाला	16 मई 2013	09
		फरीदाबाद	14 मई 2013	07
		गुड़गांव	15 मई 2013	08
2.	मई 2013	अंबाला	19 जून 2013	12
		गुड़गांव	14 जून 2013	07
		हिसार	13 जून 2013	06
		जगाधरी	12 जून 2013	05
		नारनौल	12 जून 2013	05
		पंचकूला	14 जून 2013	07
		सिरसा	17 जून 2013	10
		चण्डीगढ़	12 जून 2013	05
		फरीदाबाद	14 जून 2013	07
		फतेहाबाद	17 जून 2013	10
		झज्जर	17 जून 2013	10
		जींद	12 जून 2013	05
		करनाल	13 जून 2013	06
3.	जून 2013	अंबाला	20 जुलाई 2013	13
		फरीदाबाद	16 जुलाई 2013	09
		झज्जर	15 जुलाई 2013	08
		जींद	16 जुलाई 2013	09
		नूंह	11 जुलाई 2013	04
4.	जुलाई 2013	अंबाला	19 अगस्त 2013	12
		फरीदाबाद	19 अगस्त 2013	12
		हिसार	12 अगस्त 2013	05
		जगाधरी	13 अगस्त 2013	06
		झज्जर	21 अगस्त 2013	14
		जींद	21 अगस्त 2013	14
		नारनौल	12 अगस्त 2013	05
		नूंह	12 अगस्त 2013	05
		रेवाड़ी	19 अगस्त 2013	12
सोनीपत	12 अगस्त 2013	05		
5.	अगस्त 2013	जगाधरी	12 सितंबर 2013	05
		झज्जर	16 सितंबर 2013	09
		जींद	17 सितंबर 2013	10
		रेवाड़ी	16 सितंबर 2013	09
6	सितंबर 2013	झज्जर	11 अक्टूबर 2013	04

क्र. सं.	माह	खजाने का नाम	प्राप्ति की वास्तविक तिथि	विलंब (दिनों में)
7.	अक्टूबर 2013	अंबाला	18 नवंबर 2013	11
		फरीदाबाद	12 नवंबर 2013	05
		गुडगांव	11 नवंबर 2013	04
		हिसार	13 नवंबर 2013	06
		जगाधरी	18 नवंबर 2013	11
		झज्जर	12 नवंबर 2013	05
		जींद	18 नवंबर 2013	11
		कैथल	18 नवंबर 2013	11
		करनाल	11 नवंबर 2013	04
		कुरुक्षेत्र	11 नवंबर 2013	04
		नारनौल	11 नवंबर 2013	04
		नूंह	11 नवंबर 2013	04
		रेवाड़ी	12 नवंबर 2013	05
8.	नवंबर 2013	अंबाला	16 दिसंबर 2013	09
		फरीदाबाद	17 दिसंबर 2013	10
		जगाधरी	12 दिसंबर 2013	05
		झज्जर	11 दिसंबर 2013	04
		जींद	12 दिसंबर 2013	05
		कैथल	16 दिसंबर 2013	09
		रेवाड़ी	11 दिसंबर 2013	04
9.	दिसंबर 2013	अंबाला	16 जनवरी 2014	09
		फरीदाबाद	21 जनवरी 2014	14
		झज्जर	15 जनवरी 2014	08
		जींद	16 जनवरी 2014	09
		रेवाड़ी	15 जनवरी 2014	08
10.	जनवरी 2014	अंबाला	17 फरवरी 2014	10
		फरीदाबाद	19 फरवरी 2014	12
		झज्जर	21 फरवरी 2014	14
		जींद	13 फरवरी 2014	06
		कुरुक्षेत्र	11 फरवरी 2014	04
		नूंह	17 फरवरी 2014	10
		सिरसा	11 फरवरी 2014	04
11.	फरवरी 2014	अंबाला	19 मार्च 2014	12
		साइबर	11 मार्च 2014	04
		फरीदाबाद	20 मार्च 2014	13
		फतेहाबाद	11 मार्च 2014	04
		गुडगांव	11 मार्च 2014	04
		हिसार	11 मार्च 2014	04
		झज्जर	14 मार्च 2014	07
		जींद	11 मार्च 2014	04
नूंह	18 मार्च 2014	11		

परिशिष्ट 2.10

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.3; पृष्ठ 42)

31 मार्च 2014 को प्रतीक्षित प्लस (+) और माइनस (-) मीमोज की सूची

क्र.सं.	खजाना	माह
1.	अंबाला	अप्रैल 2013 से मार्च 2014
2.	भिवानी	अप्रैल 2013 से मार्च 2014
3.	फरीदाबाद	अप्रैल 2013 से मार्च 2014
4.	फतेहाबाद	अप्रैल 2013 से मार्च 2014
5.	गुड़गांव	अप्रैल 2013 से मार्च 2014
6.	झज्जर	मार्च 2014
7.	जींद	अप्रैल 2013 से मार्च 2014
8.	कैथल	अप्रैल 2013 से मार्च 2014
9.	करनाल	फरवरी 2014 से मार्च 2014
10.	कुरुक्षेत्र	अक्टूबर 2013 से मार्च 2014
11.	नारनौल	अप्रैल 2013 से मार्च 2014
12.	पानीपत	अक्टूबर 2013 से मार्च 2014
13.	पंचकूला	दिसंबर 2013 से मार्च 2014
14.	रेवाड़ी	अप्रैल 2013 से मार्च 2014
15.	सोनीपत	फरवरी 2014 से मार्च 2014

परिशिष्ट 2.11
(संदर्भ: अनुच्छेद 2.4.5; पृष्ठ 43)
**पेंशन/फैमिली पेंशन/डी.सी.आर.जी./कम्युटेशन के संवितरण के कारण अधिक
भुगतान**
(₹ में)

क्र. सं.	खजाना/उप-खजाने का नाम	कम्युटेशन	फैमिली पेंशन	डी.सी.आर.जी.	कुल
1.	अंबाला छावनी (अंबाला)	402	-	64,641	65,043
2.	भिवानी	2,56,905	1,85,401	-	4,42,306
3.	फतेहाबाद	4,17,036	-	-	4,17,036
4.	भट्टू कलां (फतेहाबाद)	10,360	-	-	10,360
5.	हिसार	8,88,416	3,49,356	-	12,37,772
6.	आदमपुर (हिसार)	1,518	-	-	1,518
7.	हांसी (हिसार)	-	2,02,427	-	2,02,427
8.	जगाधरी	1,11,450	12,29,962	-	13,41,412
9.	बिलासपुर (जगाधरी)	-	-	1,50,000	1,50,000
10.	झज्जर	-	-	11,536	11,536
11.	करनाल	-	-	5,565	5,565
12.	पुंडरी (कैथल)	30,339	-	-	30,339
13.	नारनौल	32,598	4,01,521	-	4,34,119
14.	पानीपत	11,863	-	-	11,863
15.	इसराना (पानीपत)	-	-	6,535	6,535
16.	रोहतक	-	-	50,629	50,629
17.	सांपला (रोहतक)	-	-	413	413
18.	रेवाड़ी	-	10,13,736	-	10,13,736
19.	सिरसा	52,880	-	-	52,880
20.	डबवाली (सिरसा)	-	25,655	-	25,655
21.	ऐलनाबाद (सिरसा)	40,384	-	-	40,384
	कुल	18,54,151	34,08,058	2,89,319	55,51,528

परिशिष्ट 2.12

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5 (i); पृष्ठ 43)

उन स्कीमों के विवरण जिनके लिए बजट आउटले मूल बजट में अनुमोदित किए गए थे परंतु कार्यान्वित नहीं किए तथा संशोधित अनुमानों में आहरित कर लिए गए थे
(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित आउटले	
1	कृषि	खाद्यान्नों का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भण्डारण	300.00	
2		ई-पेस्ट निगरानी द्वारा प्लांट स्वास्थ्य देखभाल	25.00	
3		कृषि प्रणाली का बृहद् (90:10) प्रबंध	104.00	
4		राज्य भूमि उपयोग बोर्ड, हरियाणा	25.00	
5	मत्स्य पालन	राष्ट्रीय मत्स्य विकास बोर्ड (90:10)	2.00	
6	वन	अरावली हिल्स में वर्धित भूमि जल व्यवस्था	1.00	
7		मसानी बैरेज, धारूहेड़ा, रेवाड़ी में हर्बल पार्क और इको-टूरिजम केंद्र का विकास	1.00	
8	सहकारिता	उझाना, कैथल में दुग्ध योजना का स्थापन	500	
9	भूमि अभिलेख	पंजीकरण का कंप्यूटराइजेशन (25:75)	63.48	
10	सामुदायिक विकास	मुख्यमंत्री की स्वच्छता प्रोत्साहन योजना	445.00	
11	पावर (हरियाणा पावर जैनेरेशन कारपोरेशन लि.)	यूनिट तीन और चार पी.टी.पी.एस का रीफर्बिशमेंट	1,358.00	
12	हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	बी.बी.एम.बी. का नवीकरण और आधुनिकीकरण	1,430	
13		प्रसारण कार्य	12,657	
14		ई.आर.पी. का कार्यान्वयन	200	
15		आई.वी.आर.डी. वर्क्स - इक्विटी	8,583	
16	उत्तर हरियाणा विद्युत वितरण निगम	नए 33 के.वी. सब-स्टेशनों, 33 के.वी. सब-स्टेशनों, लाइनों और एच.टी. कैपेसिटरज का संवर्धन	2,491	
17		11 के.वी. फीडरज का द्वि/त्रय विभाजन, 11 के.वी. और एल.टी. लाइनों के साथ नए डी.टी.ज के संवर्धन और वृद्धि आर.जी.जी.वी.वाई.ए.बी. केबलज के अंतर्गत जिला प्रणाली का सुदृढीकरण	2,604.00	
18		नए कनैक्शन की निर्मुक्ति, ट्रांसफार्मर केबल, कंडकटर्ज इत्यादि का प्रापण	4,500.00	
19		टयूब वेल कनैक्शन की निर्मुक्ति	937	
20		मूलभूत संरचना विकास - सिविल कार्य/पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए राज्य सरकार से समर्थन	263	
21		पायलट परियोजना	300	
22		फीडिंग स्रोत का ए.पी. से शहरी पद्धति में परिवर्तन	3,136	
23		दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम	मीटरिंग (प्रोपेड/ए.एम.आई./उपभोक्ता/डी.टी./फीडर - मीटरिंग/मीटर रिलोकेशन इत्यादि	488
24			33 के.वी. सब-स्टेशन/ नई लाईनें और संवर्धन	701
25			11 के.वी. लाईनें/केबलज/ट्रांसफार्मज (नया संवर्धन और द्वि/त्रय विभाजन इत्यादि	2,206
26	मूलभूत संरचना विकास/सिविल कार्य		200.00	

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमोदित आउटले
27		उपभोक्ता देखभाल संशोधित ए.पी.डी.आर.पी.	1,885.00
28		आई.वी.आर.डी. निर्माण - लोन (ई.ए.वी.)	14,080.00
29		पी.पी.पी. परियोजनाओं के लिए समर्थन	109.00
30	उद्योग/बृहद एवं मध्यम	वायलर्ज संगठनों का सुदृढीकरण	14.00
31	ग्रामीण एवं स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज	औद्योगिक मूलभूत संरचना अपग्रेडेशन योजना (आई.आई.यू.एस.)	50.00
32		सी.एन.जी./पी.एन.जी. के वितरण नेटवर्क का स्थापन	1.00
33	इलेक्ट्रॉनिक और सूचना	गुडगांव में आई.आई.आई.टी. की स्थापना	0.10
34	प्रौद्योगिकी	सोफ्टवेयर टेकनोलोजी पार्क	25.00
35	सिविल विमानन	सी.एंड ए. इंजनों, एयर फ्रेमज तथा इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मरम्मत कार्यशाला के लिए मशीनरी तथा उपकरण का प्रापण	15.00
36		ग्लाइडर्ज/पावर ग्लाइडर्ज/हैलीकाप्टर का प्रापण	5.00
37	सड़क परिवहन	एच.आर.ई.सी. को शेयर कैपिटल	5.00
38	पर्यटन	राज्य से बाहर पर्यटन योजना	5.00
39	स्वास्थ्य	एन.पी.सी.डी.सी.एस. और एन.पी.एच.सी.ई. का कार्यान्वयन	300
40	स्वास्थ्य	सिविल पंजीकरण पद्धति का सुदृढीकरण	250
41	कर्मचारी राज्य बीमा	आई.टी. 33 व्यवसायिक सेवा (नई योजना)	1.25
42	सामाजिक न्याय और	आयोजना सह मानिट्रिंग सैल	20.00
43	सशक्तिकरण	अपाहिजों के लिए अनुसंधान केंद्र/विशेष स्कूल और मनोरंजन केंद्रों की स्थापना	5
44		स्थानीय स्तरीय समितियों का निधिकरण	1.00
45		निदेशालय (घरौंडा) के मानसिक रूप से बाधित व्यक्तियों के लिए जीवन पर्यंत गृह की स्थापना	10.00
46		निदेशालय के स्थापना स्थल/भवन के निर्माण की खरीद	100.00
47		वृद्धों तथा निराश्रयों के लिए गृह (रेवाड़ी)	200.00
48		वरिष्ठ नागरिक सम्मान क्लबज	160.50
49		एच.बी.सी.के.एन. का शेयर पूंजी	141.50
50		विकलांगों के लिए एच.बी.सी. और ई.डब्ल्यू.एस.के.एन. के लिए शेयर पूंजी	141.50
51	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	विविध कार्य/फैकल्टी/अन्य स्टाफ के सदस्यों के लिए आवास	1.00
52		सूचना प्रौद्योगिकी	1.00
53		पुस्तकालय, पुस्तक पत्रिकाएं और उपकरण	0.90
54		प्रशिक्षण फिल्मों/आडियो-विजुअल उपकरणों की खरीद	1.00
55		पंचकुला में डी.टी.सी. भवन का निर्माण	2.00
56	लोक निर्माण (सामान्य	आबकारी एवं कराधान भवन, जांच बैरियर इत्यादि	400.00
57	प्रशासन)	आतिथ्य भवन	3.00
58		खजाना एवं लेखा भवन	3.00
59		रोजगार भवन	100.00
		कुल	61,557.23

परिशिष्ट 2.13

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5 (ii); पृष्ठ 43)

उन स्कीमों का विवरण जिनके लिए संशोधित अनुमानों में प्रावधान कम किया गया था परंतु कोई व्यय नहीं किया गया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले
1	कृषि	एस.सी. के लिए खाद्यान्नों का सुरक्षित एवं वैज्ञानिक भंडारण	400.00	300.00
2	बागवानी	बागवानी का सुदृढीकरण	100.00	1.00
3	पशुपालन और डेयरी उद्योग	पशुधन मिशन की स्थापना के लिए योजना	100.00	10.00
4	पंचायत	महात्मा गांधी ग्रामीण बस्ती योजना	19,774.00	4,774.00
5	सिंचाई	मेवात सिंचाई योजना	25.00	10.00
6		राज्य में जल निकायों का विकास	5,000.00	500.00
7	उद्योग (ग्रामीण एवं स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज)	एकीकृत हथकरघा विकास योजना (सी.एस.एस.)	150.00	1.00
8		एम.एस.एम.ई. क्लस्टर विकास कार्यक्रम (सी.एस.एस.)	1,032.00	125.00
9	लोक निर्माण विभाग (भवन तथा सड़कें)	मशीनरी एवं उपकरण	225.00	100.00
10	पर्यटन	पिंजौर में पर्यटन सुविधाएं	20.00	10.20
11	कला एवं सांस्कृति	राज्य में पुरातत्व संग्रहालयों की स्थापना	65.00	1.00
12	तकनीकी शिक्षा	एस.सी. छात्रों को स्टाइपेंड	1,300.00	1,100.00
13		राजकीय इंजीनियरिंग कालेज ब्रज्जर की स्थापना	1,000.00	550.00
14	शहरी विकास	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण अभियान (छोटे तथा मध्यम कस्बों के लिए शहरी मूलभूत संरचना विकास) (यू.आई.डी.डी.एस.एस.एम.टी.)	10,358.00	3,050.00
15		एकीकृत कम लागत स्वच्छता स्कीम	100.00	10.00
16		दूध डेयरियों का स्थानान्तरण	126.00	76.00
17		राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना (आर.जी.एस.बी.वाई.)	295.00	40.00
18	अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों का कल्याण	निजी संस्थाओं के माध्यम से उच्च प्रतियोगी परीक्षा के लिए एस.सी./बी.सी. परीक्षार्थियों को वित्तीय सहायता	450.00	50.00
19		अनुसंधान व अध्ययन	12.00	7.50
20	सामाजिक न्याय तथा सशक्तिकरण	हरियाणा में नशा मुक्ति केंद्रों की स्थापना के लिए एन.जी.ओज को वित्तीय सहायता	100.00	35.00
21		सभी जिला अर्बन एस्टेट्स में वरिष्ठ नागरिक क्लबों की स्थापना	20.00	18.00
22		वरिष्ठ नागरिक स्वैच्छिक सेवा एसोशिएसन/नेटवर्क स्थापित करना	20.00	5.00
23	महिला तथा बाल विकास	ए.डब्ल्यू.सीज के निर्माण के लिए नाबाई लोन	18,262.00	4,932.00
		कुल	58,934.00	15,705.70

परिशिष्ट 2.14

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5 (iii); पृष्ठ 43)

उन स्कीमों के विवरण जिनके लिए अनुमोदित आउटले और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया परंतु कोई व्यय नहीं किया गया।

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीमें	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले
1	कृषि (फसल पालन)	किसानों के समूह तथा एस.सी. वर्ग के किसानों को सबसिडी पर उपकरण/मशीनरी उपलब्ध करवाने के लिए स्कीम	50.00	50.00
2	बागवानी	फसल बीमा (सी.एस.एस. 50:50)	25.00	25.00
3	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	कृषि महाविद्यालय, हिसार	3,860.95	3,860.95
4		मूलभूत विज्ञान तथा ह्यूमैनिटिज कालेज	404.89	404.89
5		गृह विज्ञान कालेज	56.65	56.65
6		एग्री इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी कालेज	27.19	27.19
7	मेवात विकास बोर्ड	खेल - कूद	20.00	20.00
8	सिंचाई	एस.वाई.एल. परियोजना (हरियाणा भाग) का निर्माण	10.00	10.00
9	कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण	वाटर लॉगड क्षेत्रों का उद्धार (50:40:10)	135.00	135.00
10	उद्योग (ग्रामीण एवं स्माल स्केल इण्डस्ट्रीज)	हथकरघा क्षेत्र (सी.एस.एस.) का पुर्नस्थापन सुधार तथा पुनर्गठन	1.00	1.00
11	सड़क परिवहन	चालकों का प्रशिक्षण विद्यालय	10.00	10.00
12	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	कार्यालय आटोमेशन कम्प्यूटराइजेशन तथा सूचना	5.00	5.00
13	पर्यावरण	खतरनाक अवशिष्ट/ठोस अवशिष्ट प्रबंधन/नगरपालिका निस्सारी प्रबंधन	10.00	10.00
14	सचिवालय	पारिवारिक आय तथा व्यय सर्वेक्षण	45.00	45.00
15	आर्थिक सेवाएं (जनगणना, सर्वेक्षण तथा सार्विकी)	राज्य तथा जिला स्तर केंद्र पर (एस.एस.एस.पी.) (सी.एस.एस.) राज्य स्ट्रैटेजिक स्टैटिस्टिकल	100.00	100.00
16	कला एवं संस्कृति	भवन पुरातत्व	175.00	175.00
17	तकनीकी शिक्षा	एस.सी. विद्यार्थियों को फीस की प्रतिपूर्ति	1,100.00	1,100.00
18		ऐसी विद्यार्थियों को मुफ्त किताबें	100.00	300.00
19	खेल	राज्य खेल - कूद पुरस्कार	200.00	200.00
20	चिकित्सा शिक्षा	बी.पी.एस. चिकित्सा कालेज का विस्तार/खानपुर कलां, सोनीपत पी.एच. - 2 (एन.सी.आर.पी.बी.) ii अस्पताल एन.सी.आर. पी.बी. लोन के लिए	4,000.00	4,000.00
21	स्वास्थ्य	एस.सी. (एस.सी.एस.पी.) रोगियों के लिए अरोज्य कोष	328.00	328.00
22		अधिकतर एस.सी. जनसंख्या वाले गांवों (एस.सी.एस.पी.) में उप केंद्रों का खोलना/निर्माण	10.00	10.00
23		मुख्यमंत्री मुफ्त इलाज योजना	--	1,500.00
24		ए.एन.एम./जी.एन.एम. नर्सिंग प्रशिक्षण स्कूल का खोलना/सुदृढीकरण	300.00	300.00

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	विभाग	स्कीमें	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले	
25	आयुष	डिस्पेंसरीज का आदर्श डिस्पेंसरीज में अपग्रेडेशन	2.29	2.29	
26		योगा केंद्रों की स्थापना	1.30	1.30	
27		पी.एच.सीज में आयुष ओ.पी.डी. क्लिनिकों की स्थापना (75:25)	27.50	27.50	
28		सी.एच.सीज में आयुष आई.पी.डी. क्लिनिकों की स्थापना (75:25)	36.67	36.67	
29		जिला अस्पतालों में आयुष विंग की स्थापना (75:25)	19.95	19.95	
30		कार्यक्रम प्रबंधन इकाईयों की स्थापना (पी.एम. यूज/डी.एम.यूज - 4)	4.49	4.49	
31		पी.जी.आई. एम.एस., रोहतक में आयुष के विशेष थैरेपी केंद्र की स्थापना	29.30	29.30	
32		पट्टीकारा गांव, नारनौल में नए सरकारी आयुर्वेदिक कालेज/अस्पताल का खोलना/स्थापना	1,001.00	1,001.00	
33		कर्मचारी राज्य बीमा	खनक, भिवानी में ई.एस.आई. डिस्पेंसरी खोलना	2.91	2.91
34			2 डी.ओ.सीज, एच.एस.आई.डी.सी. जगाधरी की दो नई ई.एस.आई. डिस्पेंसरी खोलना	4.00	4.00
35	3 डी.ओ.सीज, पृथला (फरीदाबाद) रेवाड़ी में दो नई ई.एस.आई. डिस्पेंसरी खोलना		4.00	4.00	
36	शहरी विकास	आग तथा आपातकालीन सेवाएं (टी.एफ.सी.)	2,500.00	2,500.00	
37		शहरी ठोस अवशिष्ट प्रबंधन	5,000.00	5,000.00	
38		अग्निशमन आपातकालीन सेवाएं (सी.एस.एस.) का सुदृढीकरण	250.00	250.00	
39	अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	चालक प्रशिक्षण विद्यालय, जे.बी.टी. ट्रेनिंग संस्थान, पैरा चिकित्सा/नर्सिंग/एयर होस्टेजस इत्यादि जैसी रोजगार अभिमुखी संस्थानों की स्थापना द्वारा रोजगार सृजन के अवसरों का सृजन	200.00	200.00	
40		एच.एस.सी.एफ. और डी. कारपोरेशन को शेयर कैपिटल (51:49)	228.00	228.00	
41		निजी संस्थाओं के माध्यम से अनायोजित क्षेत्र में एस.सी. प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण के लिए वित्तीय सहायता	0.20	0.20	
42		बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना (लड़कों के लिए) (50:50)	190.00	190.00	
43		ओ.बी.सी. लड़के एवं लड़कियों के छात्रावास का निर्माण (50:50)	240.00	240.00	
44		बी.सी. और अल्पसंख्यकों के लिए आवासीय वित्त स्कीम	170.00	170.00	
45		एस.सी./बी.सी. से संबंधित संस्थाओं/समितियों को वित्तीय सहायता	50.00	50.00	
46	श्रम	फरीदाबाद में लेबर कोर्ट परिसर के लिए प्लाट की खरीद	0.10	0.10	
47		बंधुआ मजदूर का पुनर्वास (सी.एस.एस.) (50:50)	2.50	2.50	

क्र. सं.	विभाग	स्कीमें	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले
48	सामाजिक न्याय और आधिकारिता	बीमा योजना (एन.आई.आर.एम.ए.वाई.ए)	0.25	0.25
49		आम आदमी बीमा योजना (50:50)	1,850.00	1,850.00
50		नेशनल ट्रस्ट केयर गीवरज के अंतर्गत रजिस्टर्ड प्रशिक्षित की नियुक्ति	2.00	3.00
51		इंदिरा गांधी प्रियदर्शिनी विवाह शगुन योजना	--	500.00
52	महिला तथा बाल विकास	शिशु तथा छोटे बच्चों की फीडिंग में सुधार	20.00	20.00
53		किशोरों का कौशल निर्माण व पुनर्वास	1.00	1.00
54		आंगनवाड़ी केंद्रों का निर्माण	400.00	400.00
55		राज्य महिला सशक्तिकरण अभियान (75:25)	5.00	5.00
56		महात्मा गांधी स्वावलंबन योजना	1.00	1.00
57	खाद्य एवं आपूर्ति	पशुपालन हिसार, एच.एस.ए.एम.बी. बरवाला, हिसार और भारसोधा गांव, कुरूक्षेत्र में गोदाम का निर्माण	3,037.88	3,037.88
58	प्रिंटिंग और स्टेशनरी	सरकारी प्रेस सैक्टर - 18, चण्डीगढ़ का विस्तार क) मशीनरी	792.00	792.00
59	सामुदायिक विकास	निर्मल ग्राम पुरस्कार	--	30.76
60	मत्स्य पालन	पूजीगत - परिव्यय कार्यालय भवन	30.00	48.00
61	अन्य सामान्य सेवाएं	न्यायाधिक प्रशासन के लिए मूलभूत संरचना का विकास (ग्राम न्यायालयों सहित ज्युडिशियरी	--	25.20
		कुल	27,077.02	29,351.98

परिशिष्ट 2.15

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5 (iv); पृष्ठ 43)

उन स्कीमों के विवरण जहां बजट अनुमान संवर्द्धित किए गए थे परंतु व्यय मूल प्रावधान से कम था

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक लागत	कॉलम 6 की कॉलम 4 से प्रतिशतता	कॉलम 6 की कॉलम 5 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
1	कृषि	राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आर.के.वी.वाई.)	30,000.00	38,750.00	20,665.16	68.88	53.33
2		राज्य विस्तार कार्यक्रम (सी.एस.एस 90:10)	242.00	250.00	150.56	62.21	60.22
3	बागवानी	रेशम उत्पादन में उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम (सी.डी.पी.) (50:25:25)	10.00	20.00	9.47	94.70	47.35
4	पशुपालन एवं डेयरी उद्योग	पशुपालन संस्थान का खोलना / अपग्रेडेशन और सुदृढीकरण	4,900.00	4,967.00	3,876.76	79.12	78.05
5	मत्स्य पालन	कृषि मानव संसाधन विकास परियोजना	36.95	40.00	17.02	46.06	42.55
6	वन	अवशिष्ट भूमि तथा कृषि वानिकी का वनीकरण	1,469.78	1,470.56	1,451.67	98.77	98.72
7	सहकारिता	सदस्य शिक्षा तथा प्रचार और प्रसार	347.00	377.00	250.4	72.16	66.42
8	ग्रामीण विकास	इंदिरा आवास योजना (आई.ए.वाई.) (75:25)	2,650.00	3,155.15	2,613.78	98.63	82.84
9	सामुदायिक विकास	जिला परिषद भवन सहित नए खंड कार्यालय भवनों का निर्माण	375.00	379.00	188.61	50.30	49.77
10	पंचायतें	मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति निर्मल बस्ती योजना	4,918.00	5,363.00	4,584.32	93.22	85.48
11	सिंचाई	जल के उचित वितरण के लिए नई माइनरज का निर्माण	2,465.00	3,430.00	2,139.08	86.78	62.36
12	पर्यावरण	विशेष पर्यावरण न्यायालयों की स्थापना	18.00	19.50	17.30	96.11	88.72
13	पर्यटन	बड़खल पर अवकाश तथा मनोरंजन रिजोट का स्थापन	50.00	59.38	19.38	38.76	32.64
14		जिला / उप मंडल स्तर तथा अन्य महत्वपूर्ण कस्बों / स्थानों पर पर्यटन सुविधाओं का विकास	917.48	988.93	802.72	87.49	81.17
15		हरियाणा में वन्य जीवन पर्यटन का विकास	1.00	9.62	1.00	100.00	10.40
16		पर्यटन का प्रोत्साहन / ऐतिहासिक स्मारकों का प्रकाशित करना	225.60	253.71	126.20	55.94	49.74
17	प्राथमिक - शिक्षा	प्राथमिक शिक्षा का कम्प्यूटराईजेशन और नेटवर्किंग	90.00	100.00	71.70	79.67	71.70
18	माध्यमिक शिक्षा	इको पिछड़े खंडों में आदर्श स्कूलों को खोलना (50:50)	3,240.00	3,961.07	2,319.93	71.60	58.57
19		एस.सी.ई.आर.टी., हरियाणा गुडगांव	9.97	15.00	8.88	89.07	59.20

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक लागत	कॉलम 6 की कॉलम 4 से प्रतिशतता	कॉलम 6 की कॉलम 5 से प्रतिशतता
1	2	3	4	5	6	7	8
		(सी.एस.एस.) का सुदृढीकरण					
20	उच्च शिक्षा	लेखाधिकारी का एक पद और अनुभाग अधिकारी के दो पद	116.11	119.80	32.07	27.62	26.77
21	कला एवं संस्कृति (पुरातत्व)	प्राचीन स्मारकों/स्थलों का संरक्षण/परिरक्षण तथा विकास	72.00	76.00	34.76	48.28	45.74
22		जॉनल म्यूजियमों की स्थापना	62.00	126.00	19.54	31.52	15.51
23	स्वास्थ्य	राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य अभियान (सी.एस.एस. 75:25)	12,000.00	12,400.00	10,164.00	84.70	81.97
24		एस.सी. रोगियों के लिए दवाओं की खरीद (एस.सी.एस.पी.)	2,200.00	2,700.00	1,983.14	90.14	73.45
25	कर्मचारी राज्य बीमा	वर्तमान अस्पतालों का आधुनिकीकरण/उपकरणों की खरीद	11.25	12.50	0.76	6.76	6.08
26	अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	इंदिरा गांधी प्रियदर्शनी विवाह शगुन योजना	7000.00	7478.26	6626.20	94.66	88.61
27	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	हरियाणा राज्य के वरिष्ठ महिला नागरिकों को हरियाणा रोडवेज बसों में नि:शुल्क बस यात्रा की सुविधा	1,500.00	1,700.00	1,500.00	100.00	88.24
28		राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन स्कीम)	4,250.00	4,765.00	4,222.00	99.34	88.60
29		आई.टी. प्लान का कंप्यूटरीकरण	20.00	30.00	5.62	28.10	18.73
30	औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा	आई.टी.आईज का विकास	6,300.00	6,411.95	5,546.71	88.04	86.51
31	लोक निर्माण	लघु सचिवालय एवं सहायक भवन	7,884.00	8,279.00	7,485.89	94.95	90.42
32	(सामान्य प्रशासन)	लो.नि.वि. (बी. एंड आर.) भवन, विश्राम गृह, गैस्ट हाऊस	1,300.00	1,500.00	1,292.51	99.42	86.17
		कुल	94,685.14	10,9212.43	78,233.14		

परिशिष्ट 2.16

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5 (vi); पृष्ठ 44)

उन स्कीमों के ब्यौरे जिनके संशोधित बजट कम किए गए थे किंतु वास्तविक व्यय किए गए प्रावधान से कम था

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक लागत
1	कृषि (फसल पालन)	कृषि इनपुट्स पर गुणवत्ता नियंत्रण	300	165.23	155.74
2		किसानों को भूमि तथा जल परीक्षण सेवाएं प्रदान करना	250	60	37.55
3		मिट्टी में सूक्ष्म पोषकों की कमी का प्रबंध करना	583	180	162.35
4		एकीकृत कीटनाशक प्रबंध के अंतर्गत सिरसा में बायोलोजिकल नियंत्रण लैबोरेटरी का सुदृढीकरण	50	22.26	16.94
5		फसल निपटान विविधता को प्रोत्साहन	1,100	515	498.82
6		कृषि विस्तार मूलभूत संरचना का सुदृढीकरण	850	539.61	297.52
7		संशोधित नीतिपरक पहल को प्रोत्साहन	1,500	1,375	1,199.04
8		किसानों को कृषि विस्तार प्रशिक्षण सेवाएं	153	105	100.98
9		कृषि इंजीनियरिंग सेवाएं	385	355	336.52
10		गन्ने पर प्रौद्योगिकी अभियान	500	359	308.12
11		हरियाणा किसान आयोग	300	250	158.31
12		कपास उत्पादन का प्रोत्साहन	500	450	323.19
13		कृषि आंकड़ों का सुधार	25	1.00	0.75
14		एस.सी. घटक सहित बीज तेल, तेल पॉम और मक्की के कार्यान्वयन के लिए एकीकृत स्कीम (75:25)	325	275	116.16
15		कपास विकास पर प्रौद्योगिकी अभियान (75:25)	20	11.95	5.03
16		भूमि स्वास्थ्य और उर्वरता के प्रबंध पर राष्ट्रीय परियोजना	300	22.05	15.38
17	मृदा एवं जल संरक्षण	जल बचत प्रौद्योगिकी पर सहायता प्रदान करना	1,275	975	713.53
18		झज्जर और भिवानी, सिरसा और सोनीपत जिलों में वाटर लॉकड क्षेत्रों के सुधार के लिए पाइलट परियोजना	200	105.41	85.72
19	बागवानी	बागवानी निदेशालय की स्थापना	160	153.81	136.78
20		प्रदर्शन सह फूड प्रोसेसिंग प्रौद्योगिकी	70	36.42	35.41
21		एकीकृत बागवानी विकास	750	747.87	673.77
22		बागवानी बायो प्रौद्योगिकी	80	79.03	36.69
23		अच्छे कृषि अभ्यास तथा फलों और सब्जियों पर कीटनाशक अवशिष्टों का प्रभाव	70	60.93	56.67
24		सूचना तथा प्रौद्योगिकी	100	64	54.64

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक लागत
25		उन्नत राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी का प्रोत्साहन	445	387.44	284.2
26		माइक्रो सिंचाई (सी.एस.एस. 40:50:10)	4,250	3,778.35	3,337.74
27	पशुपालन एवं डेयरी उद्योग	डी.डी./एस.डी.ओज के कार्यालय का सुदृढीकरण और नए जिलों का सृजन	130	120	82.09
28		ए.एच.आर.डी. परियोजना के अंतर्गत हरियाणा पशु चिकित्सा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना	25	23	16.35
29		दुग्ध, अडे, ऊन और मीट के उत्पादन का नमूना सर्वेक्षण अनुमान के लिए स्कीम (50:50 शेयरिंग वेसिस)	80	70	49.49
30	मत्स्य	गहन मत्स्य विकास कार्यक्रम	130	127.75	76.23
31		राष्ट्रीय मछली बीज कार्यक्रम	121.8	109	97.35
32		गतिशील पानी में मत्स्य पालन का विकास	17.5	16.5	15.22
33		अलंकृत मत्स्य पालन का विकास	10	7	6.93
34	सहकारिता	सहकारिता विभाग का कम्प्यूटराईजेशन	600	75	32.87
35		प्राथमिक श्रम सहकारिता समिति को ब्याज सबसिडी	15	1	0.27
36	ग्रामीण विकास	राष्ट्रीय ग्रामीण जीवनयापन अभियान (75:25)	1,500	1,000	140.27
37		डी.आर.डी.ए. प्रशासन (75:25)	850	800	569.29
38		ग्राम सविकाओं को वेतन	400	264.85	164.58
39		एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन कार्यक्रम (90:10)	1,300	445	141.4
40	भूमि अभिलेख	राष्ट्रीय भूमि रिकार्ड आधुनिकीकरण कार्यक्रम (50:50) सर्वेक्षण/पुनर्सर्वेक्षण तथा आधुनिक रिकार्ड कक्ष	1,816.52	880	44.63
41	सामुदायिक विकास	स्वास्थ्य व स्वच्छता स्कीम, शिक्षा तथा ग्रामीण सड़कें	600	569.24	228.59
42		सी.सी. स्ट्रीट्स की पेवमेंट	9,000	5,964.29	5,859.38
43	पंचायतें	राजस्व अर्जन स्कीम	372	150	93.64
44		मैचिंग अनुदान स्कीम	524	250	206.19
45	सिंचाई	पंपों की क्षमता बढ़ाना तथा लिफ्ट कैनल इकाईयों पर नए पंप लगाना	1,000	100	39
46		जल मार्गों का पुनरूद्धार	6,400	5,400	5,230
47		यमुना के साथ तटबंध बनाना तथा उसका सुदृढीकरण	1,000	300	284.47
48		संस्थानिक सुदृढीकरण	1,525	1,225	1,198.07
49	उद्योग (ग्रामीण एवं स्माल स्केल इंडस्ट्रीज)	उद्योगों को प्रोत्साहन के लंबित दावों का संवितरण	50	30	7.48
50		उद्योग विभाग की स्थापना	386	140	94.97

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक लागत
51		राज्य में एम.एस.एम.ई. की गणना	100	80	17.22
52		फूड प्रोसेसिंग (सी.एस.एस.) पर राष्ट्रीय अभियान	350	250	136.95
53	इलेक्ट्रॉनिक एवं सूचना प्रौद्योगिकी	इलेक्ट्रॉनिक्स और आई.टी. विभाग संगठन और प्रशासन	6	2	1.79
54	सिविल एविएशन	राज्य में रनवे लाइटिंग, ग्राउंड एडज, एन.डी.बीज और ए.टी.सी. सुविधाएं प्रदान करना	15	5	4.56
55		ट्रेनर/एडवांसड ट्रेनर एयरक्राफ्ट का प्रापण	165	15	14.57
56	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़कें)	भूमि अधिग्रहण और प्रभारित राशि	1,300	975	545.18
57	सड़क परिवहन	रेगुलेटरी विंग का कम्प्यूटराइजेशन	50	44	25.20
58	पर्यावरण	जलवायु परिवर्तन डिवीजन	24	10.5	7.61
59	पर्यटन	हरियाणा में मुख्य राजमार्गों के साथ-साथ पर्यटन सुविधाओं का विकास	725.51	717.45	588.81
60	विकेन्द्रीकृत/ जिला आयोजना	जिला आयोजना/सामान्य घटक	31,300	17,248	14,010.85
61		एस.सी.एस.पी.	18,700	12,752	10,162.52
62	प्राथमिक शिक्षा	सभी वी.पी.एल. छात्रों (1-VIII) को मासिक स्टाइपेंड	2,800	1,900	914.4
63		बी.सी.-ए छात्रों (1-VIII) को मासिक स्टाइपेंड	8,200	7,900	3,454.43
64		शिक्षा अधिनियम के अधिकार का कार्यान्वयन	16,290	10,090	5,915.35
65		सर्वशिक्षा अभियान (सी.एस.एस. 65:35)	46,100	21,400	18,893.7
66	माध्यमिक शिक्षा	सैकेंडरी स्कूल में 10+2 पैटर्न का कार्यान्वयन (स्कूल का अपग्रेडेशन)	12,904.4	11,660.73	10,589.83
67		श्रेष्ठता के लिए शिक्षा प्रोत्साहन (ई.ई.ई.) उच्च/सीनियर सैकेंडरी स्कूल छात्रों के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्ति	299.64	288	144.93
68		9वीं से 12वीं कक्षाओं में सभी बी.पी. एल. छात्रों के लिए मासिक स्टाइपेंड	1785	1150	717.39
69		9वीं से 12वीं कक्षाओं में सभी बी.सी.ए. छात्रों को मासिक स्टाइपेंड	5195	5000	2889.26
70		स्वतंत्रता सेनानी के पोता/पोती को मासिक स्टाइपेंड	16.17	13.4	5.05
71		लगातार तथा व्यापक मूल्यांकन	1,756	956	77.17
72		निदेशन तथा प्रशासन-मुख्यालय स्टाफ तथा डी.ई.ओ. मेवात तथा पलवल कार्यालयों के लिए वेतन	974.8	664	393.91
73		शिक्षक चयन बोर्ड की स्थापना	653.16	502.68	356.48
74		एस.सी.एस.पी. योजना के लिए संचालकों को मानदेय	284	200	131.08

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक लागत
75		राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा परियोजना (सी.एस.एस. 75:25)	10,000	4,200	2,401.43
76		राष्ट्रीय व्यवसायिक शैक्षिक योग्यता फ्रेमवर्क (90:10)	760.09	646.8	134.37
77		डी.आई.ई.टी. (सी.एफ.एस.) की स्थापना	1,483.95	1350	946.99
78		बी.आई.ई.टी. (सी.एस.एस.) की स्थापना (75:25)	163.08	100	65.32
79	उच्च शिक्षा	राजकीय कालेजों को खोलना और वर्तमान कालेजों में अतिरिक्त स्टाफ का प्रावधान और अतिथि शिक्षकों को भुगतान	8,414.74	7,188.05	6,204.05
80		छात्रों का मानव संसाधन विकास (शिक्षण के साथ कमाई)	140	117	83.06
81	कला एवं संस्कृति	प्रकाशन/प्रचार कार्यक्रम	20	16	2.49
82	तकनीकी शिक्षा	राजकीय बहुतकनीकी का विकास	13,740	9,970	9,524.85
83		तकनीकी शिक्षा के निदेशालय का सुदृढीकरण	200	145	123.9
84		राजकीय इंजीनियरिंग कालेज रेवाड़ी की स्थापना	300	160	10
85	खेल	मानव संसाधन विकास	1,800	1,789.41	1,039.15
86		सूचना प्रणाली का आधुनिकीकरण	100	92.2	59.18
87	चिकित्सा शिक्षा	हरियाणा अनुसंधान और चिकित्सा शिक्षा निदेशक के कार्यालय की स्थापना	242	125	94.61
88		कल्पना चावला मैडिकल कालेज करनाल की स्थापना	3,000	2,200	2,000
89	स्वास्थ्य	अस्पतालों में समर्थन सेवाओं की आउटसोर्सिंग	2,000	1,200	1,091.91
90		नशामुक्ति केंद्रों का सुदृढीकरण	360	160	46.53
91		शहरी स्वास्थ्य अभियान	1,400	400	235.37
92		एस.सी. के लिए जननी सुरक्षा स्कीम (एस.सी.एस.पी.)	1,590	1,090	434.61
93	कर्मचारी राज्य बीमा	5 डाक्टरों की 14 नई डिस्पेंसरियों को खोलना	34.13	30.13	2.55
94	जन - स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	इंदिरा गांधी पेयजल स्कीम (एस.सी.एस.पी.)	6200	4700	4036.46
95	(शहरी)	एन.सी.आर.	13,900	2,900	2,867.71
96	शहरी विकास	जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण अभियान (शहरी मूलभूत संरचना/शहरी निर्धनों को मूलभूत सेवा)	16,855	13,429	8,636.08
97		शहरी स्थानीय निकायों के लिए वेट पर सरचार्ज का हिस्सा	62,411	60,064	47,057.88

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक लागत
98	नगर एवं ग्राम आयोजना (एन.सी. आर.)	शहरी मूलभूत संरचना विकास निधि को लोन (प्रेरणा पैकेज) (ऑन लाइन)	85,000	67,000	39,351.59
99	अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों का कल्याण	एच.बी.सी.के.एन. को प्रशासनिक व्यय के लिए सबसिडी	362.5	354.74	350
100		एस.सी.एस.पी. के कार्यान्वयन के लिए मुख्यालय स्टाफ	50	30	8.33
101		कम्प्यूटर के द्वारा एस.सी./बी.सी. बेरोजगार युवाओं को टाइपिंग तथा डाटा एंट्री कौशल का अपग्रेडेशन	60	50	19.63
102		एस.सी./बी.सी. विधवाओं/निराश्रय महिलाओं/लड़कियों को टेलरिंग प्रशिक्षण और नए कल्याण केंद्रों को खोलना	100	79	64.71
103		अनुसूचित जाति छात्रा उच्च शिक्षा प्रोत्साहन योजना	20	5	0.59
104	सामान्य न्याय एवं अधिकारिता	कार्यशाला, सेमिनार और सम्मेलनों के द्वारा जागरूकता कार्यक्रम	5	2	0.46
105		स्कूल न जाने वाले अशक्त बच्चों को वित्तीय सहायता	350	328	319.64
106		हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को आई कार्ड जारी करना	20	18	5.96
107		हरियाणा के वरिष्ठ नागरिकों को एनके उपलब्ध करवाना	10	2	0.42
108		हरियाणा में बसी काशमीरी प्रवासी परिवारों को वित्तीय सहायता	20	5	3.65
109		राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एन.एस.ए.पी.) (इंदिरा गांधी राष्ट्रीय परिवार लाभ स्कीम)	1,645	1,130	697.2
110		लाइली (सामाजिक सुरक्षा पेंशन स्कीम)	1,720	1,634	1,531.99
111		हिजड़ों को हरियाणा भत्ता	1	0.75	0.56
112		बौनों को पेंशन	2	1	0.95
113	महिला एवं बाल विकास	स्वावलंबन (एन.ओ.आर.ए.डी.)	15	7.76	1.94
114	औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा	राज्य परियोजना कार्यान्वयन इकाई (एस.पी.आई.यू.) और मीडिया इंस्ट्रक्शनल प्रणाली	131	97	68.04
115		आई.टी.आई. का श्रेष्ठता केंद्रों में अपग्रेडेशन	400	340.6	283.05
116	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	ज्यूडिशियरी की मूलभूत संरचना सुविधाओं का विकास (सी.एस.एस. 75:25)	1,000	411	383.32
		कुल	4,28,412.99	30,6,534.19	2,24,015.08

परिशिष्ट 2.17

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5 (vii) पृष्ठ 44)

उन स्कीमों के ब्यौरे जिनमें वास्तविक व्यय प्रावधान से अधिक था

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक व्यय
1	शिवालिक विकास बोर्ड	अन्य स्कीमें	400.00	400.00	838.00
2	कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण	जल मार्गों का पुनरूद्धार	900.00	900.00	1,807.86
3		जल मार्गों के फील्ड चैनलों का निर्माण/लाईनिंग (50:40:10)	4,214.40	4,214.40	4,878.71
4	उद्योग (ग्रामीण एवं स्माल स्केल इंडस्ट्रीज)	समाप्त फसलों के खर्चों को खत्म करना अर्थात् एच.एस.एस.आई. एंड ई.सी./एच.एस.एच. एंड एच.सी./एच.टी.एल.	25.00	25.00	99.54
5	सड़क परिवहन	रेगुलेटरी विंग का भूमि तथा भवन कार्यक्रम	150.00	156.00	235.61
6	आयुष	श्री कृष्णा राजकीय आयुर्वेदिक कालेज, कुरुक्षेत्र को जारी रखना तथा कार्यान्वयन और इस कालेज/अस्पताल/टैस्टिंग लैब और आई.एस.एम. एंड एच., पंचकुला के भवन का निर्माण	391.82	391.82	1,244.07
7	जन - स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी (ग्रामीण)	नाबार्ड	10,500.00	10,500.00	10,583.22
8		ग्रामीण जलापूर्ति का रख-रखाव	1,800.00	2,300.00	2,320.95
9	जन - स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी (शहरी)	शहरी क्षेत्रों में एस.सी. बाहुल्य निवासियों को सीवरेज सुविधाएं	9,200.00	15,700.00	16,861.39
10		जलापूर्ति का संवर्धन	5,500.00	7,000.00	7,767.10
11		रख-रखाव	1,166.00	1,666.00	1,731.53
12		बाढ़ कार्य	3,000.00	2,000.00	2,015.85
13		राष्ट्रीय नदी संरक्षण कार्यक्रम	1,487.00	1,487.00	2,354.44
14	महिला एवं बाल विकास	ए.डब्ल्यू.एस./सहायकों की बीमा भविष्य सुरक्षा स्कीम	400.00	400.00	559.69
15	हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान	मुख्य भवन का फर्नीचर तथा साज-सज्जा	4.00	13.70	18.47
16		होस्टल भवन का फर्नीचर तथा साज-सज्जा	4.00	13.70	16.48
17		भूमि मुक्ति और जलापूर्ति	5.00	5.27	6.04
18		होस्टल भवन में मनोरंजन सुविधाएं	1.00	5.85	7.90
19		डी.टी.सी., पंचकुला के लिए 15 एयरकंडीशनरों के स्थान पर नए लगाना	0.00	4.42	4.75
20	लोक निर्माण (सामान्य प्रशासन)	न्यायधिक भवन	1,500.00	2,000.00	2,516.99
21	हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय	कल्याण व सेवाएं	1,242.07	1,242.07	1,774.10
22		अनुसंधान	1,802.97	1,802.97	4,489.32
23		निदेशन एंड प्रशासन	8,199.75	8,199.75	8,489.68
		कुल	51,893.01	60,427.95	70,621.69

परिशिष्ट 2.18

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.5 (viii); पृष्ठ 44)

उन स्कीमों के ब्यौरे जिनके लिए अनुमोदित आउटले और संशोधित अनुमानों में प्रावधान किया गया था पर किया गया व्यय रखे गए प्रावधान से काफी कम था

(₹ लाख में)

क्र.सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक लागत
1	कृषि	वैज्ञानिक मधुमक्खी पालन गुणक शहद प्रो - कृषि और गैर - कृषि श्रमिक	430	430	106.56
2	हरियाणा कृषि विश्व	शिक्षण	1,044.98	1,044.98	501.81
3	विद्यालय	विस्तार शिक्षा	468.15	468.15	154.34
4	पशुपालन एवं डेयरी उद्योग	पशुपालन पर पूंजीगत आउटले, आर.आई.डी.एफ. के अंतर्गत पशु चिकित्सा मूलभूत संरचना का निर्माण/दृढीकरण		2,000	495
5		एकीकृत मुराह विकास के लिए स्कीम	600	600	166.79
6		पैट क्लिनिक की स्थापना के लिए स्कीम	10	10	2.5
7		हार्डटैक और लघु डेयरी इकाईयों की स्थापना के लिए स्कीम	400	400	216.14
8		एस.सी. द्वारा रखे पशुधन के बीमा पशुधन इकाईयों की स्थापना कर एस.सी. को रोजगार अवसर प्रदान करना	1,100	1,100	562.21
9		रोगों के नियंत्रण के लिए राज्य को सहायता (75:25)	50	50	29.49
10	मत्स्य पालन	अनुसूचित जाति परिवारों के कल्याण के लिए स्कीम	42	42	17.63
11		फिश फार्मर विकास एजेसियों की स्थापना (75:25)	106	106	72.12
12		एक्वाकल्चर एस्टेट में जलवर्ष क्षेत्र का विकास (75:25)	1.5	1.5	0.64
13		मछली के लिए सलाईन भूमि जल की उपयोगिता (75:25)	2.25	2.25	0.91
14	वन	सूचना प्रौद्योगिकी	300	300	142.95
15		कार्ययोजना तैयार करना	50	50	27.87
16		राज्य वन अनुसंधान संस्थान (एस.एफ.आर.आई.)	50	50	20.31
17	सहकारिता	अनुसूचित जाति के सदस्यों को ब्याज सबसिडी	270	270	41.17
18		एस.सी. तथा सामान्य एल./सी. समितियों को सहायता	108	108	14.6
19	ग्रामीण विकास	पिछड़ा क्षेत्र अनुदान फंड (बी.आर.जी.एफ.)	3,600	3,600	2,251.72
20	एकीकृत ग्रामीण ऊर्जा कार्यक्रम (आई.आर.ई.पी.)	प्रशासनिक व्यय	200	200	132.44
21	सामुदायिक विकास	चौपाल निर्माण/मरम्मत सबसिडी स्कीम (अनुसूचित जाति)	100	100	22.7
22		चौपाल निर्माण/मरम्मत सबसिडी स्कीम (पिछड़ा वर्ग)	30	30	7.2
23		चौपाल सबसिडी स्कीम का निर्माण/मरम्मत (सामान्य)	70	70	7
24	पंचायते	राजीव गांधी पंचायत सशक्तिकरण अभियान (आर.जी.पी.एस.ए.) (80:20)	1,000	1,000	407.19

क्र.सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आऊटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक लागत
25	मेवात विकास बोर्ड	स्वास्थ्य	40	40	4.49
26		सामुदायिक कार्य /परिसंपत्तियां	358.6	358.6	167.98
27		कृषि	125	125	7.17
28		औद्योगिक प्रशिक्षण और व्यवसायिक शिक्षा	45	45	16.66
29		संस्कृति विकास	10	10	0.4
30		परियोजना प्रबंधन	196.94	196.94	95.26
31	शिवालिक विकास बोर्ड	वाटर शैड प्रबंधन	800	800	178
32	सिंचाई	दादपुर नलवी सिंचाई स्कीम	650	650	410.27
33		वार्षिकी प्रभार	2,000	2,000	947
34	कमांड क्षेत्र विकास प्राधिकरण	क्षेत्र मध्यवर्ती और लिंक ड्रेनज का निर्माण (50:50)	56	56	2.09
35		स्थापना (50:50)	1,061.6	1,061.6	649.1
36		डब्ल्यू.यू.ए. को संस्थागत समर्थन (50:50)	306	306	38.97
37		तकनीकी स्टाफ को प्रशिक्षण (75:25)	3.37	3.37	1.93
38		कृषकों को प्रशिक्षण (75:25)	4.13	4.13	1.34
39		मूल्यांकन अध्ययन (75:25)	12.75	12.75	2.7
40	रिन्यूएबल ऊर्जा	प्रशासनिक ढांचा (डी.आर.ई.)	81	81	27.64
41	उद्योग (ग्रामीण एवं स्माल स्केल इंडस्ट्रीज)	एस.सी./एस.टी. लाभग्राहियों के लिए उद्यम विकास कार्यक्रम	45	45	24.01
42		एस.सी.एस.टी. के लिए स्वास्थ्य बीमा स्कीम (सी. एस.एस.)	10	10	0.76
43	खदान एवं भू-विज्ञान	खदानों और खनिजों का विकास	120	120	37.72
44	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी	राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्ययोजना के लिए ए.सी.ए.	967	967	209.5
45	लोक निर्माण विभाग (भवन एवं सड़क)	नाबार्ड सहायता प्राप्त परियोजना	34,450	34,450	19,295.32
46		सूचना प्रौद्योगिकी	100	100	27.78
47		आवास स्कीम	7,700	7,700	3,589.3
48	सड़क परिवहन	कार्यशालाओं का आधुनिकीकरण	100	100	40.86
49		कम्प्यूटराइजेशन कार्यक्रम	100	100	27.09
50	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी	विदेश में प्रशिक्षण/अंतर्राष्ट्रीय सम्मलेन में भाग लेने के लिए छात्रवृत्ति/वित्तीय सहायता	1	1	0.49
51		एच.ए.आर.एस.ए.सी. का प्रशासनिक ढांचा	200	200	48.48
52	पर्यावरण	विकास परियोजनाओं का पर्यावरण प्रभाव निर्धारण	10	10	2.5
53		घग्घर और मारकंडा कार्ययोजना	7	7	1.75
54	सचिवालय आर्थिक सेवाएं	जिला आयोजना मशीनरी का सुदृढ़ीकरण	40	40	20.26
55		राज्य स्तरीय परियोजना मशीनरी का सुदृढ़ीकरण	202	202	46.64
56		सूचना एवं प्रौद्योगिकी	8	8	1.62
57	जनगणना, सर्वेक्षण तथा सांख्यिकी	सूचना प्रौद्योगिकी	9	9	4.57
58		जिला के साथ-साथ राज्य सांख्यिकी अधिकारियों के प्रशिक्षण/बैठक के लिए निधियों के आबंटन के लिए प्रावधान	1	1	0.32
59	प्राथमिक शिक्षा	विद्यालयों में स्वच्छ और स्वस्थ शिक्षण पर्यावरण प्रदान करना	300	300	166.04
60		मिडल कक्षा में श्रेष्ठ छात्रों के लिए राजीव गांधी छात्रवृत्तियां	110	110	39.36
61		मिड-डे-मील स्कीम (सी.एस.एस.)	4,200	4,200	2,715.11
62		I-VIII के एस.सी. लड़के/लड़कियों छात्रों को निःशुल्क साइकिल प्रदान करना	500	500	309.58

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक लागत	
63		कक्षा I-VIII के एस.सी. छात्रों को नगद पुरस्कार	18,000	18,000	7,272.71	
64		सभी एस.सी. छात्रों (I-VIII) को मासिक स्टाइपेंड	26,500	26,500	10,624.15	
65	माध्यमिक शिक्षा	पुस्तक बैंक	320	320	84.48	
66		9वीं से 12वीं कक्षाओं में सभी एस.सी. छात्रों को मासिक स्टाइपेंड	11,100	11,100	6,016.41	
67		स्कूलों का ब्यूटीफिकेशन पुरस्कार स्कीम	396	396	166.54	
68		सीनियर में पृथक महिला टाइलेट/हैड पंप का निर्माण	2,720	2,720	1,360	
69		राजकीय सैकेडरी स्कूल वैध साक्षरता अभियान का सुदृढ़ीकरण	30	30	10.07	
70		शिक्षकों को सेवाकाल में प्रशिक्षण और जी.ई.टी. टी.आई.जी. का सुदृढ़ीकरण	60	60	20.65	
71		शिक्षक कल्याण निधि	50	50	14.1	
72		शैक्षिक पिछड़े खंड के लिए कन्या छात्रावास का निर्माण तथा चलाना (सी.एस.एस. 90:10)	360	360	157.25	
73		कक्षा 9वीं तथा 11वीं में एस.सी. लड़के और लड़कियों को निःशुल्क बाइसाईकिल	700	700	26.9	
74		कक्षा 9वीं तथा 12वीं में एस.सी. छात्रों को नगद पुरस्कार	6,400	6,400	3,280.87	
75	उच्चतर शिक्षा	राजकीय कालेजों में खेल गतिविधियां	100	100	64.71	
76		छात्रवृत्तियां	146	146	85.22	
77		हिसार, हरियाणा में नए कन्या बी.एन.एन.सी.सी. का निर्माण करवाना	138.15	138.15	33.37	
78		सरकारी कालेजों में नौकरी दिलवाने के लिए कक्ष	60	60	31.42	
79		प्रति ₹ 2000/- की दर पर सरकारी कालेजों में एस.सी. छात्रों को मुफ्त पुस्तकें प्रदान करना	800	800	330.78	
80		सरकारी विद्यालय में सभी एस.सी. छात्रों को स्टाइपेंड	4,200	4,200	1,285.62	
81		राज्य में एक शैक्षणिक नगर की स्थापना (ई.डी.यू.एस.ए.टी.)	200	200	100	
82		सूचना प्रौद्योगिकी	600	600	343.8	
83		कला एवं संस्कृति	पुरातत्व खुदाई/खोज कार्यक्रम	22	22	6.34
84			प्राचीन मूर्तियों/पुरावशेष का पलस्तर तैयार करना	9	9	4.83
85	आर्चीवज	प्रचार कार्यक्रम/आर्चीवज के भवनों का निर्माण	13	13	7.46	
86		सूचना प्रौद्योगिकी	18	18	10.04	
87		सार्वजनिक पुस्तकालय (उच्चतर शिक्षा)	150	150	45.66	
88	तकनीकी शिक्षा	तकनीकी शिक्षा परियोजना फेज - IV	1,000	1,000	130	
89	खेल	खेल उपकरण	150	150	16.12	
90		खेल स्कीमों का बहुल प्रचार	150	150	51.28	
91		पंचायती युवा क्रीड़ा खेल अभियान (पी.वाई.के.के.ए. 75:25)	170	170	58.4	
92		एस.सी.जे. के लिए मूलभूत संरचना स्कीम	800	800	231.27	
93		चिकित्सा शिक्षा	नलहर, जिला मेवात में मेवात मैडिकल एंड शिक्षण कालेज की स्थापना (ते.वि.आ. अनुदान)	4,000	4,000	2,500
94	स्वास्थ्य	मुख्यालय स्टाफ का सुधार एवं सुदृढ़ीकरण	55	55	34.05	

क्र.सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आउटले	वास्तविक लागत
95		देबी रूपक राष्ट्र उत्थान इबाम परिवार कल्याण योजना	55	55	18.03
96		अस्पतालों में स्वतंत्र फीडर लाईनें प्रदान करना	250	250	43.8
97		इदिरा बाल स्वास्थ्य योजना (नई स्कीम)	150	150	50
98		उपकरण की मरम्मत/ए.एम.सी./सी.एम.सी.	300	300	140.16
99		सी.एच.सी.ज को खोलना/जारी रखना/अपग्रेड करना	1,415	1,415	953.03
100		मैडिकल और पैरा मैडिकल स्टाफ के लिए आरंभ और प्रोत्साहन प्रशिक्षण फेकल्टी	100	100	17.08
101		अंधेपन के नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम (ओपथेलमिक कक्ष)	40	40	21.9
102		मैडिकल और जन स्वास्थ्य पूंजीगत स्वास्थ्य व आउटले (स्वास्थ्य संस्था का निर्माण)	1700	1700	476.82
103	आयुष	आयुष निदेशालय का सुदृढीकरण	62.76	62.76	41.11
104		जिला आयुर्वेदिक अधिकारियों का सुदृढीकरण	108.84	108.84	54.87
105		मैडिकल कैंप के साथ आई.एस.एम. मेलों के द्वारा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता	32	32	17.92
106		राज्य में आयुर्वेदिक/यूनानी/होम्योपैथिक डिस्पेंसरियों को खोलना/जारी रखना	50.59	50.59	18.39
107		अनिवार्य दवाईयों की आपूर्ति (75:25)	82.5	82.5	1.08
108	कर्मचारी राज्य बीमा	रोजका - मियो, सोहाना, गुडगांव में ई.एस.आई. डिस्पेंसरी को चलाना	3.57	3.57	1.18
109		गुडगांव में मानेसर में ई.एस.आई. डिस्पेंसरी का खोलना	6.51	6.51	4.24
110		बावल में ई.एस.आई. डिस्पेंसरी खोलना	4.55	4.55	2.37
111		गतिशील ई.एस.आई. डिस्पेंसरियां, टोहाना का खोलना	1.14	1.14	0.44
112		स्टाफ की आउटसोर्सिंग के लिए वेतनों का प्रावधान	18.75	18.75	9.5
113		जवाहर कालोनी फरीदाबाद, कुंडली, राई करनाल की 4 ई.एस.आई. डिस्पेंसरी का अपग्रेडेशन	3.75	3.75	0.71
114		बी.पी.एल. परिवारों के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (75:25)	1,390	1,390	379.4
115	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी	उचंत (स्टॉक)	500	500	22.11
116	पुलिस	टी.एफ.सी.	2,500	2,500	1,000
117	शहरी विकास	सैटेलाईट और काऊंटर मैगनेट कस्बों (सी.एस.एस.) के विकास की स्कीम	1,000	1,000	347.9
118		नगरपालिका/परिषदों को नॉन जूडिशियल स्टाम्प पेपर के विक्रय पर 2 प्रतिशत कमीशन का भुगतान	16,700	16,700	11,244.36
119	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (एस.जे.एस.आर.वाई.) सी.एस.एस. (75:25)	452	452	284.85
120	नगर एवं ग्राम आयोजना (एन.सी.आर.)	चंडीगढ़ मेट्रो सहित दिल्ली के आसपास एन.सी.आर. सैटेलाईट के विकास के लिए हुडा को सहायता अनुदान	15,442	15,442	4,005.7
121	लोक संपर्क	प्रेस सूचना सेवाएं	12,807.5	12,807.5	3,800.59
122		प्रदर्शनियां	268.2	268.2	74.9
123		आधुनिक भारतीय भाषाओं एंड साहित्य को प्रोत्साहन (इतिहास एंड सांस्कृतिक अकादमी)	110	110	49.5

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र.सं.	विभाग	स्कीम	अनुमानित आउटले	संशोधित आऊटले	वास्तविक लागत
124	अनुसूचित जातियों तथा पिछले वर्गों का कल्याण	पी.सी.आर. अधिनियम, 1955 के कार्यान्वयन के लिए मशीनरी (50:50)	345.75	345.75	224.38
125		सूचना प्रौद्योगिकी	25	25	12.33
126	श्रम	फैक्टरियों में सुरक्षा एवं स्वास्थ्य जांच प्रणाली का सुदृढीकरण	2.4	2.4	0.2
127		बाल मजदूरी के उन्मूलन के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए बाल मजदूरी कक्ष की स्थापना	13	13	2.39
128		निराश्रय एवं प्रवासी बाल मजदूरों का पुनर्वास	111	111	65.07
129		मुख्य दुर्घटना खतरा नियंत्रण कक्ष की स्थापना	66	66	11.5
130		श्रम विभाग का कम्प्यूटराइजेशन (आई.टी.)	65	65	9.87
131		फैक्टरियों में काम करने वाले मजदूरों की स्वास्थ्य देखभाल करने के लिए गतिशील वैज प्रदान करना	36	36	7.59
132		गुडगांव और फरीदाबाद में औद्योगिक हाईजीन लैबोरेटरीज (आई.एच.एल.) की स्थापना	34	34	3.65
133		फरीदाबाद, गुडगांव में श्रम परिसर का निर्माण	520	520	341.89
134	रोजगार कार्यालय	विदेश रोजगार ब्यूरो	65	65	30.44
135		रोजगार एक्सचेंज आपरेशनों का कम्प्यूटराइजेशन	30	30	13.43
136		निजी प्लेसमेंट कन्सल्टेंसी और भर्ती सेवा केंद्र (पी.पी.सी. एंड आर.एस.सीज)	15	15	2.05
137	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	पानीपत में अंधे लड़के और लड़कियों के लिए सरकारी संस्थान सह - ब्रेल पुस्तकालय	2	2	1.11
138		अल्पसंख्यक समुदायों से संबंधित छात्रों के लिए प्री - मैट्रिक छात्रवृत्ति (75:25)	170	170	26.57
139	महिला एवं बाल विकास	एकीकृत बाल विकास सेवाएं स्कीम	482	482	271.79
140		घरेलू हिंसा से महिलाओं की सुरक्षा	150	150	95.14
141		एच्छक क्षेत्र का सुदृढीकरण	100	100	0.2
142		राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना	25	25	17.02
143		जे.जे. अधिनियम के अंतर्गत घरों का निर्माण	700	700	175
144		(योजना - सह - मानीटरिंग कक्ष) संवाद एवं प्रचार	45	45	11.26
145		मुख्यालय के लिए स्टाफ (सूचना प्रौद्योगिकी)	10	10	3.02
146	पोषण	किशोर लड़कियों के सुधार के लिए राजीव गांधी स्कीम (आर.जी.एस.ई.ए.जी.) - सबला (50:50)	1,000	1,000	610.02
147	औद्योगिक प्रशिक्षण तथा व्यावसायिक शिक्षा	एस.सी./एस.टी. छात्रों को कौशल प्रशिक्षण	3,000	3,000	1,798.42
148	मुद्रण तथा लेखन	सरकारी पाठ्य पुस्तक प्रैस, पंचकुला स्टाफ का विस्तार	8	8	4.81
149	लोक निर्माण	जेल भवन	1,880	1,880	212.89
150	(सामान्य प्रशासन)	जेल प्रशासन (सी.एस.एस. 75:25)	375	375	209.12
151	अन्य सामान्य सेवाएं	न्यायिक प्रशासन (फास्ट ट्रैक न्यायालय)	500	500	5.89
		कुल	2,11,710.23	2,11,710.23	96,214.84

परिशिष्ट 2.19

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (i); पृष्ठ 44)

वर्ष 2013 - 14 के अन्तिम तिमाही/माह में व्यय के वेग युक्त अनुदान संख्या 15 (स्थानीय शासन) के अंतर्गत स्कीमों का विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	स्कीमवार विस्तृत शीर्ष	वर्ष 2013 - 14 के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान व्यय		मार्च 2014 के दौरान व्यय	
			राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता	राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड को सहायता अनुदान (1-1-3754-2217-80-800-99)	3,152.00	2,902.00	92.07	0.00	0.00
2	संघटित हाऊसिंग तथा स्लम विकास प्रोग्राम (1-1-0000-2217-80-800-81)	3,834.59	1,805.01	47.07	1,805.01	47.07
3	राजीव आवास योजना (1-1-00002217-8-192-94)	10,985.22	5,886.22	53.58	5,886.22	53.58
4	स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (2-1-3758-2217-80-191-99)	168.18	168.18	100.00	168.18	100.00
5	अनुसूचित जातियों के कल्याण के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना (2-3-0000-2217-80-789-99)	116.67	116.67	100.00	116.67	100.00
6	सैटेलाईट तथा काऊंटर मैग्नेट टाऊनज का विकास (2-1-0000-2217-80-192-96)	3,131.10	1,565.55	50.00	0.00	0.00
7	सी.एफ.सी. की सिफारिश पर नगर परिषदों को सहायता अनुदान (एन-51-15-2217-80-191-93-51)	10,018.27	4,764.79	47.56	3,255.51	32.50
8	सी.एफ.सी. की सिफारिश पर नगपालिकाओं / नगर परिषदों को सहायता अनुदान (एन-51-2217-80-192-93-51)	6,557.52	3,035.14	46.28	2,224.20	33.92
	कुल	37,963.55	20,243.56	53.32	13,455.79	35.44

परिशिष्ट 2.20

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.1 (ii); पृष्ठ 44)

अनुदान संख्या 15 (स्थानीय शासन) के अंतर्गत स्कीमों, जिनके लिए वर्ष 2013 - 14 के दौरान कोई व्यय नहीं किया गया था, के विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	स्कीम का विवरण	मूल प्रावधान	पूरक प्रावधान	संशोधित प्रावधान	व्यय	कारण
1	शहरी सोलिड वेस्ट मैनेजमेंट (1-1-3755-2217-80-800-99)	5,000.00	-	5,000.00	शून्य	एम.सी. से मांग प्राप्त न होने के कारण
2	सी.एफ.सी. की सिफारिश पर एम.सी. को विकास अनुदान (1-1-0000-2217-80-800-82)	2,500.00	-	2,500.00	शून्य	व्यय में मितव्यता के कारण
3	लघु तथा मध्यम कस्बों के लिए शहरी मूलभूत संरचना विकास स्कीम (1-1-0000-2217-80-800-79)	10,358.00	-	3,050.00	शून्य	भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण
4	संघटित कम लागत सफाई स्कीम (1-1-0000-2217-80-800-78)	100.00	-	10.00	शून्य	भारत सरकार द्वारा निधियां जारी न करने के कारण
5	मिल्क डेयरी की शिफ्टिंग (1-1-0000-2217-80-800-76)	126.00	-	76.00	शून्य	एम.सी. से मांग प्राप्त न होने तथा माडल आचार संहिता लागू होने के कारण
6	राजीव गांधी शहरी भागीदारी योजना (1-1-0000-2217-80-192-97)	295.00	-	40.00	शून्य	माडल आचार संहिता लागू होने के कारण
7	अग्नि सेवाओं का सुदृढीकरण (2-1-0000-2217-80-192-98)	1,250.00	-	0.00	शून्य	भारत सरकार द्वारा स्कीम बंद कर दी गई है
	कुल	19,629.00		10,676.00	शून्य	

परिशिष्ट 2.21

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (iii); पृष्ठ 45)

वर्ष 2013-14 की अंतिम तिमाही/माह में व्यय के वेग युक्त, अनुदान संख्या 21 (महिला एवं बाल विकास) के अंतर्गत स्कीमों के विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	मुख्य लेखा शीर्ष	स्कीम वार विस्तृत शीर्ष	वर्ष 2013-14 के दौरान कुल व्यय	वर्ष की अंतिम तिमाही के दौरान कुल व्यय	
				राशि	कुल व्यय की प्रतिशतता
1	एन-51-21-2235-02-102-98-98- आर - वी-	निराश्रयों के बाल कल्याण के क्षेत्रों में स्वैच्छिक काम करने वाले स्वैच्छिक संगठन को सहायता अनुदान-देख-भाल एवं सुरक्षा की आवश्यकता में निराश्रय बच्चों का कल्याण	23.49	23.49	100.00
2	एन-51-21-2235-02-103-89-51- आर - वी-	महिला समूह को प्रोत्साहन पुरस्कार	28.50	15.42	54.11
3	एन-51-21-2235-02-103-97-51- आर - वी-	पी.डब्ल्यू.डी. (बी.एंड आर.) द्वारा गृह का रख-रखाव	2.50	2.50	100.00
4	एन-51-21-2235-02-103-98-51- आर - वी-	वाहय दान प्राप्त करने वाले/ अस्पतालों को नगद दान	0.17	0.07	41.18
5	एन-51-21-2235-02-800-87-51-आर - वी-	हरियाणा महिला विकास निगम	200.00	87.50	43.75
6	पी-01-21-2235-02-001-95-51-एन - वी-	संचार एवं प्रचार	11.26	8.58	76.20
7	पी-01-21-2235-02-102-76-51-एन - वी-	आंगनवाड़ी वर्करज/हेल्परज के लिए बीमा की भावी सुरक्षा स्कीम	418.73	209.37	50.00
8	पी-01-21-2235-02-102-92-51-एन - वी-	संघटित बाल विकास सेवाएं स्कीम (डब्ल्यू.सी.डी.)	271.79	202.49	74.50
9	पी-01-21-2235-02-103-77-51-एन - वी-	स्वावलंबन (नोराड)	1.19	1.19	100.00
10	पी-01-21-2235-02-103-87-99-एन - वी-	ऐच्छिक सेक्टर (ट्रेनिंग सह उत्पादन केंद्रों तथा स्टार्टअप स्कीमों) का सुदृढीकरण को सहायता अनुदान सरकारी सहायता प्राप्त एन.जी.ओज	529.65	287.65	54.31
11	पी-01-21-2235-02-789-94-51-एन - वी-	हरियाणा विकास निगम द्वारा अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता	60.00	30.00	50.00
12	पी-01-21-2235-02-789-95-51-एन - वी-	स्वावलंबन के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता	0.75	0.75	100.00
13	पी-01-21-2235-02-789-98-51-एन - वी-	आंगनवाड़ी वर्करज के लिए भावी सुरक्षा स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता	140.96	70.48	50.00
14	पी-01-21-2235-02-800-82-98-एन - वी-	हरियाणा राज्य महिला आयोग-महिला जागरूकता तथा प्रबंधन अकादमी (डब्ल्यू.ए.एम.ए.) को वित्तीय सहायता	40.00	20.00	50.00
15	पी-01-21-2235-02-800-87-51-एन - वी-	हरियाणा महिला विकास निगम	240.00	120.00	50.00
16	पी-02-21-2235-02-102-73-51-एन - वी-	संघटित बाल सुरक्षा स्कीम (आई.सी.पी.एस.)	1,375.00	1,009.85	73.44
17	पी-02-21-2235-02-103-74-51-एन - वी-	राज्य महिला सशक्तिकरण आयोग	15.21	15.21	100.00
18	पी-03-21-2235-02-102-74-51-एन - वी-	किशोरी कन्याओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम (आर.जी.एस.ई.ए.जी.) - सबला	19.29	17.93	92.95
19	पी-03-21-2235-02-102-87-51-एन - वी-	किशोरी शक्ति योजना के रूप में पुनः नामित किशोरी कन्या स्कीम	59.93	49.81	83.11
20	पी-02-21-2236-02-101-89-51-एन - वी-	किशोरी कन्याओं के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम (आर.जी.एस.ई.ए.जी.) - सबला	901.02	589.53	65.43
21	पी-02-21-2236-02-101-95-51-एन - वी-	पूरक न्यूट्रीशन प्रोग्राम	9,332.66	4,289.10	45.96
22	पी-01-21-4235-02-102-97-99-एन - वी-	जे.जे. एक्ट का कार्यान्वयन - रिमांड/आबजरवेशन होम	175.00	175.00	100.00
		कुल	13,847.10	7,225.92	52.18

परिशिष्ट 2.22

(संदर्भ: अनुच्छेद 2.6.2 (iv); पृष्ठ 45)

अनुदान संख्या 21 (महिला एवं बाल विकास) के अंतर्गत प्लान स्कीमों के विवरण,
जिनमें वर्ष 2013 - 14 में बचतें हुई (₹ 10 लाख अथवा अधिक की बचतों वाले मामले)
(₹ लाख में)

क्र. सं.	स्कीम के विवरण	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें
1	पी-01-21-2235-02-102-80-51-एन-वी-शिशु तथा यंग चाइल्ड फीडिंग बढ़ाना	16.00	-	16.00	-	16.00
2	पी-01-21-2235-02-102-92-51-एन-वी-संघटित बाल विकास सेवाएं स्कीमें	482.00	-	482.00	271.79	210.21
3	पी-01-21-2235-02-103-77-51-एन-वी-स्वावलंबन (एन.ओ.आर.ए.डी.)	12.00	-	12.00	1.19	10.81
4	पी-01-21-4235-02-102-99-51-एन-वी-आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण	18,062.00	-	18,062.00	-	18,062.00
5	पी-01-21-2235-02-789-99-51-एन-वी-लाइली स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जातिय परिवारों को वित्तीय सहायता	2,730.00	-	2,730.00	1,773.85	956.15
6	पी-02-21-2235-02-102-88-51-एन-वी-आंगनवाड़ी प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना (उद्दीशा परियोजना)	400.00	-	400.00	313.09	86.91
7	पी-02-21-2235-02-102-92-51-एन-वी-संघटित बाल विकास सेवाएं स्कीमें (डब्ल्यू.सी.डी.)	29,113.89	-	29,113.89	17,694.95	11,418.94
8	पी-03-21-2235-02-102-74-51-एन-वी-किशोरी लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम (आर.जी.एस.ई.ए.जी.) सबला	170.00	-	170.00	19.29	150.71
9	पी-03-21-2235-02-102-87-51-एन-वी-किशोरी शक्ति योजना के रूप में पुनः नामित किशोरी लड़कियां स्कीम	75.00	-	75.00	59.63	15.07
10	पी-02-21-2236-02-101-89-51-एन-वी-किशोरी लड़कियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी स्कीम (आर.जी.एस.ई.ए.जी.)-सबला	1,700.00	-	1,700.00	901.02	798.98
11	पी-02-21-2236-02-101-95-51-एन-वी-पूरक न्यूट्रीशन स्कीम	11,474.00	-	11,474.00	9,332.66	2,141.34
12	पी-02-21-2236-02-789-98-51-एन-वी-अनुसूचित जातियों के लिए पूरक राष्ट्रीय प्रोग्राम	5406.00	-	5406.00	3941.25	1464.75
13	पी-03-21-2236-02-101-88-51-एन-वी-इंदिरा गांधी मातृत्व योजना	200.00	-	200.00	51.05	148.95
14	पी-03-21-2235-02-103-75-51-एन-वी-रेप विक्टिम को वित्तीय सहायता तथा सहायता तथा सहायता सेवाओं के लिए स्कीम	200.00	-	200.00	-	200.00
15	पी-01-21-4235-02-190-99-51-एन-वी-डब्ल्यू.डी.सी. अन्य उपक्रमों को शेयर पूंजी (राज्य हिस्सा)	50.00	-	50.00	-	50.00
16	पी-01-21-4235-02-789-99-51-एन-वी-डब्ल्यू.डी.सी. अन्य उपक्रमों को शेयर पूंजी (राज्य हिस्सा)	600.00	-	600.00	-	600.00
17	पी-03-21-4235-02-102-99-51-एन-वी-आंगनवाड़ी केन्द्रों का निर्माण	150.00	-	150.00	-	150.00

क्र. सं.	स्कीम के विवरण	मूल	पूरक	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें
18	एन-51-21-2235-02-102-98-95-आर-वी- निराश्रयों के बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्यवाही ऐच्छिक संगठन को सहायतानुदान - राज्य अनाथ	40.00	-	40.00	-	40.00
19	एन-51-21-2235-02-103-91-51-आर-वी- वर्किंग वुमैन होस्टलों का निर्माण	30.00	-	30.00	-	30.00
20	पी-01-21-2235-02-789-97-51.एन-वी. महिला प्रशिक्षण सह उत्पादन केंद्रों तथा स्टाइपेंडरी के अंतर्गत अनुसूचित जाति परिवारों को वित्तीय सहायता	20.00	-	20.00	-	20.00
21	एन.51-21-2235-02-001-97-98-आर-वी. मुख्यालय के लिए स्टाफ (डब्ल्यू.सी.डी.)-स्थापना व्यय	420.00	-	420.00	389.32	30.68
22	एन.51-21-2235-02-102-98-98-आर-वी. निराश्रयों के बाल कल्याण के क्षेत्र में कार्य करने वाले ऐच्छिक संगठनों, को वित्तीय सहायता - देखभाल एवं सुरक्षा के लिए जरूरतमंद निराश्रय बच्चों का कल्याण	100.00	-	100.00	23.49	76.51
23	एन.51-21-2235-02-103-97-51-आर-वी. पी.डब्ल्यू.डी. (बी. एंड आर.) द्वारा गृह का रख-रखाव	40.00	-	40.00	2.50	37.50
24	एन. 51-21-2235-02-103-99-51- आर-वी. निराश्रय महिलाओं तथा विधवाओं के लिए गृह तथा प्रशिक्षण केंद्र	178.00	-	178.00	144.36	33.64
25	एन. 51-21-2235-02-800-81-95.आर-वी. जे.जे. एक्ट का कार्यान्वयन	40.00	-	40.00	12.15	27.85
26	पी.01-21-2235-02-001-95-51-एन-वी. संचार एवं प्रसार	45.00	-	45.00	11.26	33.74
27	पी.01-21-2235-02-103-76-51.एन-वी. घरेलू अत्याचार से महिला की सुरक्षा (सैलज का संस्थापन)	150.00	-	150.00	95.14	54.86
28	पी.01-21-2235-02-103-87-98.एन-वी. ऐच्छिक सैक्टर का सुदृढीकरण - प्रशिक्षण सह - सुरक्षा केंद्र तथा स्टाइपेंड स्कीम	20.00	-	20.00	0.20	19.80
29	पी.01-21-2236-02-101-94-51.एन-वी. किशोरी लड़कियां स्कीमें - किशोरी शक्ति योजना के लिए पुनःनामित	300.00	-	300.00	220.33	79.67
30	पी.01-21-2236-02-101-99-51.एन-वी. अनुसूचित जाति के लिए किशोरी शक्ति योजना	100.00	-	100.00	82.62	17.38
	कुल	72,323.89	-	72,323.89	35,341.14	36,982.45

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.1; पृष्ठ 47)

31 मार्च 2014 को देय, प्राप्त एवं बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्रों के ब्यौरे

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	वर्ष	प्रदत्त कुल अनुदान		देय उपयोगिता प्रमाण-पत्र		प्राप्त उपयोगिता प्रमाण-पत्र		बकाया उपयोगिता प्रमाण-पत्र	
			मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि	मदें	राशि
1	उद्योग	2009-10	13	1,301.03	3	90.00	--	--	3	90.00
		2011-12	13	677.20	5	55.90	1	1.25	4	54.65
		2012-13	32	1,073.83	32	1,073.83	2	75.00	30	998.83
2	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2012-13	66	5,014.86	66	5,014.86	7	2,008.18	59	3,006.68
3	तकनीकी शिक्षा	2012-13	58	20,441.81	58	20,441.81	46	18,056.32	12	2,385.49
4	खेल एवं युवा सेवाएं	2012-13	120	3,797.39	120	3,797.39	75	2,533.36	45	1,264.03
5	सामान्य शिक्षा	2011-12	204	46,595.00	168	28,725.90	22	4,229.56	146	24,496.34
		2012-13	274	89,769.47	274	89,769.47	90	35,089.21	184	54,680.26
6	ग्रामीण विकास	2008-09	248	43,297.30	17	4,364.86	4	39.00	13	4,325.86
		2009-10	205	39,973.42	32	17,908.54	14	6,921.34	18	10,987.20
		2010-11	221	31,562.07	126	12,915.75	85	4,124.31	41	8,791.44
		2011-12	630	82,997.69	374	61,462.22	139	15,871.34	235	45,590.88
		2012-13	546	97,775.88	546	97,775.88	106	33,248.00	440	64,527.88
7	शहरी विकास	2011-12	64	89,466.88	7	4,327.17	1	500.00	6	3,827.17
		2012-13	96	1,27,401.38	96	1,27,401.38	9	1,876.50	87	1,25,524.88
8	सहकारिता	2012-13	8	14,683.23	8	14,683.23	5	14,603.23	3	80.00
9	फसल पालन	2012-13	7	4,428.90	7	4,428.90	--	--	7	4,428.90
10	पर्यटन	2012-13	3	24.50	3	34.50	1	4.50	2	30.00
11	श्रम एवं रोजगार	2012-13	5	244.37	5	244.37	--	--	5	244.37
12	ग्रामीण एवं लघु उद्योग	2012-13	17	3,263.08	17	3,263.08	15	3,218.48	2	44.60
13	चिकित्सा	2012-13	54	52,958.67	54	52,958.67	49	48,063.63	5	4,895.04
14	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	2012-13	2	257.60	2	257.60	1	128.80	1	128.80
15	मछली पालन	2012-13	18	109.80	18	109.80	16	103.29	2	6.51
16	कला एवं संस्कृति	2012-13	2	0.31	2	0.31	--	--	2	0.31
17	अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	2012-13	28	1,741.31	28	1,741.31	23	586.51	5	1,154.80
18	कमांड क्षेत्र विकास	2012-13	15	12,921.22	15	12,921.22	12	6,339.71	3	6,581.51
19	परिवार कल्याण	2012-13	12	28.83	12	28.83	--	--	12	28.83
20	न्याय प्रशासन	2012-13	1	500.00	1	500.00	--	--	1	500.00
21	सूचना एवं प्रचार	2012-13	18	561.00	18	561.00	7	237.50	11	323.50
22	पशुपालन	2012-13	12	4,722.00	12	4,722.00	11	47,170.00	1	5.00
23	इकोलोजी एवं पर्यावरण	2012-13	6	121.50	6	121.50	--	--	6	121.50
कुल			2,998	7,77,711.53	2132	5,71,701.28	741	2,02,576.02	1391	3,69,125.26
₹ करोड़ में				7,777.12		5,717.01		2,025.76		3,691.25

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.2; पृष्ठ 48)

निकायों एवं प्राधिकरणों, जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे, के नाम दर्शानेवाली विवरणी

(₹ लाख में)

क्र. सं.	निकाय / प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
1.	श्री भूतेश्वर मन्दिर तीर्थ, जीन्द	1994-95	25.29
2.	अरावली विकास संगठन, गुड़गांव	1995-96	100.00
3.	सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क ऑफ इंडिया, नई दिल्ली	2002-03	250.00
4.	हरियाणा स्लम क्लियरेंस बोर्ड, चण्डीगढ़	1998-99	700.48
5.	जिला बाल कल्याण परिषद्, रेवाड़ी	1999-2000	38.75
6.	चेरिटेबल एडोमेंट, हरियाणा, मनीमाजरा	2001-02 2002-03	478.00 478.00
7.	ई-गवर्नेंस के लिए आई.टी. उपक्रमण निधि के लिए समिति, चण्डीगढ़	2002-03 2003-04 2004-05 2009-10	165.55 60.00 25.00 56.00
8.	हरियाणा ऊर्जा विकास एजेंसी, चण्डीगढ़	2001-02 2002-03 2003-04 2004-05	67.30 41.50 384.37 25.00
9.	बालग्राम (एस.ओ.एस.) न्यासी बोर्ड राई, चण्डीगढ़	2003-04	240.00
10.	साकेत अस्पताल, पंचकूला	2004-05 2008-09	50.00 30.00
11.	निदेशक, हरियाणा ग्रामीण विकास संस्थान, नीलोखेड़ी	2004-05	40.00
12.	हरियाणा राज्य विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्	2005-06	170.00
13.	रक्त ट्रांसफ्यूजन परिषद्, पंचकूला	2005-06	150.00
14.	गैर-परम्परागत ऊर्जा स्रोत, हरियाणा, चण्डीगढ़	2006-07 2008-09 2009-10	49.89 600.26 490.72
15.	निदेशक, इलेक्ट्रॉनिक्स, हरियाणा, चण्डीगढ़	2006-07	378.00
16.	आर.आई.टी.ई.एस. इण्डिया लिमिटेड	2009-10	1,750.00
सहायता प्राप्त निजी महाविद्यालय			
17.	एम.पी.एन. कालेज, मुलाना (अम्बाला)	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	66.58 61.35 105.29 180.78 174.90 225.39 203.67
18.	आर्य कन्या महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2013-14	248.97
19.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2013-14	652.23
20.	एस.ए. जैन महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2013-14	486.13
21.	एम.डी.एस.डी. महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2013-14	209.85
22.	एस.एल.डी.ए.वी. शिक्षण महाविद्यालय, अम्बाला शहर	2013-14	123.88
23.	जी.एम.एन. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	373.44 449.00 488.63 484.10

क्र. सं.	निकाय / प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
24.	एस.डी. महाविद्यालय, अम्बाला छावनी	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	541.52 691.07 671.84 683.15
25.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, नेनोला अम्बाला	2012-13 2013-14	115.77 100.30
26.	एस.एम.लुबाना खालसा कन्या महाविद्यालय, बराड़ा, अंबाला	2012-13 2013-14	186.12 186.60
27.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, यमुनानगर	2013-14	656.73
28.	गुरू नानक खालसा महाविद्यालय, यमुनानगर	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	535.53 531.96 834.00 764.32 784.26
29.	गुरू नानक खालसा कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2013-14	612.87
30.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, यमुनानगर	2013-14	406.03
31.	महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय, जगाधरी	2003-04 2004-05 2005-06 2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	49.13 41.68 44.55 53.10 52.89 59.70 70.24 93.58 142.50 158.10 188.18
32.	हिंदू कन्या महाविद्यालय, जगाधरी, यमुनानगर	2013-14	286.00
33.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, सढौरा, यमुनानगर	2012-13 2013-14	146.03 164.76
34.	एम.एल.एन. महाविद्यालय, रादौर, यमुनानगर	2010-11 2012-13 2013-14	138.21 175.50 180.78
35.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पुंडरी (कैथल)	2013-14	141.92
36.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय फतेहपुर पुंडरी (कैथल)	2013-14	246.26
37.	आर.के.एस.डी. महाविद्यालय, कैथल	2011-12 2013-14	485.50 557.75
38.	बी.ए.आर. जनता महाविद्यालय, कौल, कैथल	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	178.64 222.29 200.28 193.00
39.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, चीका, कैथल	2013-14	241.68
40.	सी.आई.एस. कन्या महाविद्यालय, डांड डडवान, कैथल	2013-14	251.40
41.	आई.जी. महिला महाविद्यालय, कैथल	2013-14	120.16
42.	हिंदू कन्या महाविद्यालय, जींद	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	200.00 212.01 251.58 258.54 236.52
43.	सी.आर. किसान महाविद्यालय, जींद	2013-14	352.60
44.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, नरवाना, जींद	2012-13 2013-14	144.53 145.31

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
45.	आर्या कन्या महाविद्यालय, शाहाबाद, कुरूक्षेत्र	2012-13 2013-14	309.48 329.63
46.	भगवान परशुराम महाविद्यालय, कुरूक्षेत्र	2013-14	335.80
47.	आई.जी. नेशनल महाविद्यालय, लाडवा, कुरूक्षेत्र	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	275.16 390.85 266.42 237.73
48.	एम.एन. महाविद्यालय, शाहाबाद, कुरूक्षेत्र	2012-13 2013-14	224.50 228.37
49.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, पेहवा, कुरूक्षेत्र	2013-14	328.86
50.	एस.एन.आर.एल. जयराम कन्या महाविद्यालय, लोहार माजरा, कुरूक्षेत्र	2013-14	62.16
51.	सी.एम.के. नेशनल कन्या महाविद्यालय, सिरसा	2012-13 2013-14	258.07 251.50
52.	गुरु हरी सिंह महाविद्यालय, जीवन, सिरसा	2013-14	176.72
53.	एम.पी. कन्या महाविद्यालय, मंडी डबवाली, सिरसा	2013-14	211.67
54.	बी.एस.के. शिक्षा महाविद्यालय, मंडी डबवाली (सिरसा)	2011-12 2012-13 2013-14	38.50 60.65 54.65
55.	सी.आर.एम. जाट महाविद्यालय, हिसार	2012-13 2013-14	665.02 638.24
56.	डी.एन. महाविद्यालय, हिसार	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	502.40 552.19 732.66 659.33 638.50
57.	एस.डी. महिला महाविद्यालय, हांसी	2013-14	114.69
58.	सी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, हिसार	2013-14	129.50
59.	एफ.सी. महाविद्यालय (महिला) हिसार	2013-14	349.71
60.	सी.आर.ए. महाविद्यालय, सोनीपत	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	227.94 237.59 386.31 372.33 370.21
61.	हिंदू महाविद्यालय, सोनीपत	2012-13 2013-14	673.45 474.97
62.	हिंदू शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत	2013-14	147.46
63.	टी.आर. शिक्षा महाविद्यालय, सोनीपत	2011-12 2012-13 2013-14	104.44 97.10 75.10
64.	कन्या महाविद्यालय, खरखोदा (सोनीपत)	2012-13 2013-14	128.33 152.88
65.	हिंदू कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2012-13 2013-14	729.62 677.32
66.	टी.आर. कन्या महाविद्यालय, सोनीपत	2011-12 2012-13 2013-14	113.63 123.12 129.60
67.	गीता विद्या मंदिर के.एम.वी., सोनीपत	2011-12 2012-13 2013-14	487.02 503.35 532.64

क्र. सं.	निकाय / प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
68.	के.एल.पी. महाविद्यालय, रेवाड़ी	2012-13 2013-14	497.00 477.41
69.	आर.डी.एस. पब्लिक कन्या महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	131.90 229.20 209.70 257.11 240.95
70.	एस.पी. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	47.97 76.93 85.39 69.60 62.00
71.	आर.बी.एस. शिक्षा महाविद्यालय, रेवाड़ी	2012-13 2013-14	46.96 27.50
72.	अहिर महाविद्यालय, रेवाड़ी	2012-13 2013-14	262.27 253.20
73.	डी.ए.वी. कन्या महाविद्यालय, कोसली रेवाड़ी	2012-13 2013-14	11.90 32.40
74.	डी.ए.वी. महाविद्यालय, करनाल	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	210.39 228.10 208.95 187.28
75.	के.वी.ए.डी.ए.वी. महिला महाविद्यालय, करनाल	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	289.36 455.10 364.11 395.05
76.	गुरू नानक खालसा महाविद्यालय, करनाल	2013-14	197.07
77.	दयाल सिंह महाविद्यालय, करनाल	2012-13 2013-14	538.15 640.95
78.	डा. गणेश दास डी.ए.वी. शिक्षा महाविद्यालय, करनाल	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	53.98 61.78 67.73 43.80
79.	वाई.एम. डिग्री महाविद्यालय, नूंह	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	118.02 144.30 170.78 155.20
80.	एन.बी.जी.एस. मेमोरियल महाविद्यालय, सोहना गुडगांव	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	186.80 194.70 226.74 212.16
81.	आर.एस.एल. शिक्षा महाविद्यालय, सिढरावाली गुडगांव	2012-13 2013-14	120.14 99.80
82.	जी.जी.डी.एस.डी. महाविद्यालय, पलवल	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	387.34 428.50 450.97 443.24
83.	सरस्वती महिला महाविद्यालय, पलवल	2013-14	203.45
84.	डी.ए.वी. सैनटेनरी महाविद्यालय, फरीदाबाद	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	307.72 277.32 278.72 266.41

31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष हेतु राज्य के वित्तों पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन

क्र. सं.	निकाय/प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
85.	के.एल. मेहता डी.एन. महाविद्यालय, (महिला) फरीदाबाद	2013-14	372.07
86.	अग्रवाल महाविद्यालय, बल्लभगढ़, फरीदाबाद	2013-14	334.39
87.	आर्य महाविद्यालय, पानीपत	2012-13 2013-14	355.24 403.88
88.	एस.डी. महाविद्यालय, पानीपत	2013-14	541.00
89.	गांधी आदर्श महाविद्यालय, समालखा, पानीपत	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	85.98 104.00 52.52 72.00
90.	आई.बी. महाविद्यालय, पानीपत	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	255.30 416.50 432.50 426.92 413.10
91.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, समालखा (पानीपत)	2006-07 2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	28.45 38.32 39.60 67.61 81.16 38.30 69.35 118.10
92.	एम.के. जाट कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2012-13 2013-14	296.44 366.80
93.	एस.जे.के. महाविद्यालय, कलानौर, रोहतक	2010-11 2012-13 2013-14	219.11 202.52 200.00
94.	सी.आर शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	85.75 132.93 112.04 113.50 97.80
95.	वैश्य शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	87.72 75.37 75.46 72.50
96.	जी.बी. शिक्षा महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2013-14	52.04 69.09 94.40
97.	वैश्य महाविद्यालय, रोहतक	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	317.14 424.45 407.83 448.90
98.	आल इंडिया जाट हीरो मेमोरियल महाविद्यालय, रोहतक	2013-14	879.70
99.	वैश्य कन्या महाविद्यालय, रोहतक	2012-13 2013-14	317.58 317.96
100.	जी.बी. डिग्री महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	83.09 104.20 134.20 149.40 161.90

क्र. सं.	निकाय / प्राधिकरण का नाम	वर्ष जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुए थे	प्राप्त अनुदान
101.	श्री एल.एन. हिंदू महाविद्यालय, रोहतक	2009-10 2013-14	216.74 234.67
102.	वैश्य महाविद्यालय, भिवानी	2013-14	408.38
103.	आदर्श महिला महाविद्यालय, भिवानी	2013-14	399.95
104.	के.एम. शिक्षा महाविद्यालय, भिवानी	2013-14	81.18
105.	जे.वी.एम.जी.आर. महाविद्यालय, चरखी दादरी, भिवानी	2013-14	408.44
106.	ए.पी.जे. सरस्वती कन्या महाविद्यालय, चरखी दादरी, भिवानी	2013-14	122.64
107.	एम.एल.आर.एस. सरस्वती शिक्षा महाविद्यालय, चरखी दादरी, भिवानी	2013-14	89.50
108.	बी.एल.जे. सुईवाला महाविद्यालय, तोशाम, भिवानी	2013-14	169.50
109.	महिला महाविद्यालय, जोशु कलां भिवानी	2010-11 2011-12 2012-13 2013-14	30.45 50.55 35.79 77.60
110.	एम.एम. महाविद्यालय, फतेहाबाद	2013-14	313.16
111.	वैश्य आर्या कन्या महाविद्यालय, बहादुरगढ़, झज्जर	2013-14	142.50
112.	एम.ए. महिला महाविद्यालय, झज्जर	2007-08 2008-09 2009-10 2010-11 2011-12 2012-13	67.35 77.67 156.34 172.90 184.30 158.87
113.	सेठ जय प्रकाश बहुतकनीकी, दामला, यमुनानगर	2013-14	4.50
114.	छोटू राम बहुतकनीकी, रोहतक	2013-14	145.50

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.3; पृष्ठ 48)

स्वायत्त निकायों द्वारा राज्य विधायिका को लेखापरीक्षा प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण तथा नियंत्रक-महालेखापरीक्षक को लेखे के प्रस्तुतिकरण के विवरण दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2013 तक)
1.	हरियाणा खादी एवं ग्राम उद्योग बोर्ड, मनीमाजरा, चण्डीगढ़	2012-13 से 2016-17	2011-12	2011-12	2009-10	2012-13	एक वर्ष
2.	हरियाणा श्रम कल्याण बोर्ड, च डीगढ़	2008-09 से 2012-13	2012-13	2011-12	2006-07	--	
3.	हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण, पंचकुला	2012-13 से 2016-17	2012-13	2011-12	2011-12	--	
4.	हरियाणा हाऊसिंग बोर्ड, पंचकूला	2009-10 से 2013-14	2011-12	2011-12	2011-12	2012-13	एक वर्ष
5.	हरियाणा राज्य कृषि विपणन बोर्ड, पंचकूला	2010-11 से 2014-15	2012-13	2012-13	2010-11	--	--
6.	हरियाणा वक्फ बोर्ड, अम्बाला छावनी	2013-14 से 2017-18	2012-13	2012-13	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं।	-	
7.	हरियाणा राज्य कानून सेवाएं प्राधिकरण, चण्डीगढ़	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2010-11	2010-11	2005-06	2011-12 से 2012-13	दो वर्ष
8.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, भिवानी	-सम-	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2012-13	दो वर्ष
9.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फरीदाबाद	-सम-	2012-13	2012-13	-	2012-13	एक वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2013 तक)
10.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, फतेहाबाद	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2011-12	2011-12	-	2012-13	एक वर्ष
11.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, गुड़गांव	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2012-13	17 वर्ष
12.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, झज्जर	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2012-13	17 वर्ष
13.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कैथल	-सम-	2011-12	2011-12	-	2012-13	एक वर्ष
14.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पंचकूला	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2012-13	17 वर्ष
15.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, पानीपत	-सम-	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2012-13	दो वर्ष
16.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रेवाड़ी	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2012-13	17 वर्ष
17.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, रोहतक	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2012-13	17 वर्ष
18.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सोनीपत	-सम-	-	-	-	1996-97 से 2012-13	17 वर्ष
19.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, यमुनानगर	-सम-	2011-12	2011-12	-	2012-13	एक वर्ष

क्र. सं.	निकाय का नाम	नि.म.ले.प. को लेखाओं की लेखापरीक्षा की सुपुर्दगी की अवधि	वर्ष जिस तक लेखे बनाए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किए गए	वर्ष जिस तक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन राज्य विधायिका को प्रस्तुत किए गए	वर्ष जिसके लिए लेखे देय है	लेखाओं के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की अवधि (31 अगस्त 2013 तक)
20.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, हिसार	कोई सुपुर्दगी अपेक्षित नहीं। लेखापरीक्षा सी.ए.जी. के डी.पी.सी. अधिनियम 1971 की धारा 19(2) के अधीन ली गई है।	2011-12	2011-12	-	2012-13	एक वर्ष
21.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, नारनौल	-सम-	2009-10	2009-10	-	2010-11 से 2012-13	तीन वर्ष
22.	मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, सिरसा	-सम-	2010-11 एवं 2012-13	2010-11 एवं 2012-13	-	2011-12	दो वर्ष
23.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, अम्बाला	-सम-	2012-13	2012-13	-	-	-
24.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, जींद	-सम-	2010-11	2010-11	-	2011-12 से 2012-13	दो वर्ष
25.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, करनाल	-सम-	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2012-13	पांच वर्ष
26.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, कुरुक्षेत्र	-सम-	2007-08	2007-08	-	2008-09 से 2012-13	पांच वर्ष
27.	मुख्य न्यायिक मेजिस्ट्रेट - सह - सचिव, जिला कानून सेवाएं प्राधिकरण, मेवात	-सम-	-	-	-	2009-10 से 2012-13	चार वर्ष
28.	हरियाणा भवन एवं अन्य निर्माण कामगार कल्याण बोर्ड, चण्डीगढ़	2009-10 से 2013-14	2012-13	2011-12	2011-12	-	

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.4; पृष्ठ 49)

विभागीय तौर पर प्रबन्धित वाणिज्यिक एवं अर्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में लेखाओं के अन्तिमकरण एवं सरकारी निवेश की स्थिति दर्शाने वाली विवरणी

क्र. सं.	विभाग	विभाग के अधीन उपक्रम/स्कीमों के नाम	तक लेखे अन्तिमकृत किए गए	अन्तिमकृत गत लेखाओं के अनुसार निवेश (₹ करोड़ में)	लेखाओं को तैयार करने में विलम्ब हेतु टिप्पणियां/कारण
1.	कृषि	बीज डिपो स्कीम ¹	1988-89	-	1988-89 के लिए लेखे लेखापरीक्षा हेतु प्रस्तुत किए गए।
2.	कृषि	पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण	1986-87	0.82	1986-87 के बाद स्कीम सहकारिता विभाग/समिति को हस्तांतरित कर दी गई।
3.	मुद्रण एवं स्टेशनरी	राष्ट्रीय पाठ्य पुस्तक स्कीम	2007-08	17.97	विलम्ब सटाफ की कमी के कारण हुआ।
4.	खाद्य एवं आपूर्ति	अनाज आपूर्ति स्कीम	2012-13	5,439.92	-
5.	परिवहन	हरियाणा रोडवेज	2009-10	678.74	विलम्ब सटाफ की कमी के कारण हुआ।
कुल				6,137.45	

¹ ये स्कीमों 1986-87 (पीड़कनाशियों का क्रय एवं वितरण) तथा 1984-85 (बीज डिपो स्कीम) से बंद हैं।

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 50)

दुरूपयोग, गबन इत्यादि, जहां अन्तिम कार्रवाई 30 जून 2014 को लम्बित थी, के मामलों का विभाग - वार/अवधि - वार विघटन

(कोष्ठक में आंकड़े इंगित करते हैं ₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष तक	20 से 25 वर्ष तक	25 वर्ष तथा अधिक	कुल
1	पशुपालन	-	1 (6.5)	-	1 (2.91)	2 (0.31)	-	4 (9.72)
2	शिक्षा	1 (0.50)	5 (2.96)	8 (5.74)	6 (5.39)	3 (1.65)	5 (1.63)	28 (17.87)
3	लोक सम्पर्क	-	1 (4.23)	-	-	-	-	1 (4.23)
4	वन विभाग	-	-	6 (9.27)	1 (2.13)	2 (0.71)	6 (1.11)	15 (13.22)
5	चिकित्सा	-	2 (2.03)	1 (0.01)	1 (1.50)	2 (11.92)	-	6 (15.46)
6	तकनीकी शिक्षा	-	3 (4.36)	9 (30.88)	-	-	1 (0.03)	13 (35.27)
7	राजस्व विभाग	-	-	1 (9.28)	-	-	-	1 (9.28)
8	पुलिस	1 (13.99)	1 (3.78)	-	-	-	-	2 (17.77)
9	खेल एवं युवा कल्याण	-	-	1 (0.87)	-	-	-	1 (0.87)
10	महिला एवं बाल कल्याण	1 (0.00)	-	-	-	-	-	1 (0.00)
11	परिवहन	-	1 (0.36)	1 (3.17)	-	-	1 (0.60)	3 (4.13)
12	भवन एवं सड़कें	1 (0.00)	1 (0.00)	-	-	-	-	2 (0.00)
13	जन - स्वास्थ्य	9 (11.39)	2 (8.00)	-	-	-	-	11 (19.39)
14	सिंचाई	4 (0.00)	13 (7.00)	7 (1.50)	4 (0.24)	10 (1.03)	11 (1.28)	49 (11.05)
कुल		17 (25.88)	30 (39.11)	34 (60.72)	13 (12.17)	19 (15.62)	24 (4.65)	137 (158.26)

अर्थात् ₹ 1.58 करोड़

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: अनुच्छेद 3.5; पृष्ठ 50)

सरकारी सामग्री की चोरी तथा दुरुपयोग/हानि के मामलों के विभाग/श्रेणीवार विवरण
(₹ लाख में)

विभाग का नाम	चोरी के मामले		सरकारी सामग्री का दुरुपयोग/हानि		योग	
	मामलों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
पशुपालन	2	9.41	2	0.31	4	9.72
शिक्षा	21	14.74	7	3.13	28	17.87
लोक सम्पर्क	1	4.23	-	-	1	4.23
वन विभाग	3	4.70	12	8.52	15	13.22
चिकित्सा	1	0.01	5	15.45	6	15.46
तकनीकी शिक्षा	11	23.64	2	11.63	13	35.27
राजस्व विभाग	--	--	1	9.28	1	9.28
परिवहन विभाग	1	0.36	2	3.77	3	4.13
खेल एवं युवा कल्याण	1	0.87	--	--	1	0.87
पुलिस	--	--	2	17.77	2	17.77
महिला एवं बाल कल्याण	1	0.00	--	--	1	0.00
भवन एवं सड़कें	2	0.00	--	--	2	0.00
जन-स्वास्थ्य	8	10.36	3	9.03	11	19.39
सिंचाई	37	10.50	12	0.55	49	11.05
कुल	89	78.82	48	79.44	137	158.26

अर्थात् ₹ 1.58 करोड़